पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: **4188** /अका./का.प./**2015** रायपुर, दिनांक : **23 /07/2015**

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरूवार, दिनांक 30 जुलाई, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।** (पृ.क्र. 01 से 04 तक)

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

03. **संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृ.क्र. 05 से 07 तक)

04. **NCNR, PRSU के लिए Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।**

टीप : NCNR, PRSU द्वारा Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. Leica DHR Hodina, India Pvt. Ltd. Mumbai से भावपत्र रायपुर स्थित Company m/s. Varad Corporation, Raipur के माध्यम से मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार m/s. Leica Mumbai से प्राप्त उपकरण का मूल्य Euro 15,249.65 + Custom Charges + LC Opening Charges की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात भुगतान के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

05. **NCNR, PRSU के लिए HPTLC क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।**

टीप : NCNR, PRSU द्वारा HPTLC क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से भावपत्र मुम्बई स्थित Company m/s. Anchrom Enterprises (I) Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार m/s. Anchrom Enterprises (I) Pvt. Ltd, Mumbai से प्राप्त उपकरण का मूल्य Swiss CHF 94,173 + Custom Charges + LC Opening Charges (Rs. 72,91,321=00) की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात भुगतान के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

06. **NCNR, PRSU के लिए Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।**

टीप : NCNR, PRSU द्वारा Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से भावपत्र मंगाया गया। उक्त आधार पर डी.पी.सी. एवं सी.पी.सी. के अनुसार Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से प्राप्त उपकरण का मूल्य रु. 5,67,600 (पाँच लाख सढ़सठ हजार छः सौ रुपए) की अनुशंसा की गई। अतः क्रय स्वीकृति एवं उपकरण क्रय पश्चात भुगतान के लिए कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

07. **छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रु.14,63,000.00 भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 17 से 18 तक)**

08. **पुनर्मुल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 19)**

09. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 20)**

10. **केन्द्रीय जेल, रायपुर से छात्रावास हेतु तखत् क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 21)**

11. **NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव, Extension of Appointment के संबंध में विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 22)**

12. **विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 23 से 25 तक)**

13. **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने के संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।**

टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 26)**

14. **विषय क्रमांक 2 मान. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफारमेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।**

<u>टीप</u> : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 27 से 32 तक)**

15. **छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद– कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 33 से 38 तक)**

16. **विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आगामी सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 39 से 46 तक)**

17. **कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 47 से 55 तक)**

18. **प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :–

<u>प्राचार्य</u> –

1. भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक, दुर्ग
2. खालसा एजुकेशन सोसाइटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग
3. दिशा कालेज आफ साइंस एण्ड कॉमर्स, रामनगर, कोटा, रायपुर

<u>विभागाध्यक्ष शिक्षा</u> –

1. दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर

प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।

19. **श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। **(पृ.क्र. 56 से 62 तक)**

20. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: **4189 / अका. / का.प. / 2015** रायपुर, दिनांक : **23 / 07 / 2015**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 3797 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 15/06/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बारहवीं* बैठक बुधवार, दिनांक 10.06.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ.. रोहिणी प्रसाद	–	सदस्य
3. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
4. डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
5. डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
6. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
7. डॉ. पी.सी. अग्रवाल	–	सदस्य
8. डॉ. आर. बाला सुब्रमनियन	–	सदस्य
9. श्री एस.के. चकवर्ती	–	सदस्य
10. प्रोफेसर दिनेश मारोठिया	–	सदस्य
11. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
12. श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
13. श्री नवीन मार्कण्डेय	–	सदस्य
14. श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
15. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

03. साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए **DGS & D** दर पर 20 कंप्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार फर्म, **HCL Infosystem Ltd. Noida** के अधिकृत डीलर मेसर्स, विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से रुपए 7,42,686/– (रुपए सात लाख बयालीस हजार छः सौ छियासी मात्र) टैक्स सहित का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

04. श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : **श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

05. छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की सेवा वृद्धि के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की नियुक्ति संबंधी नियम के साथ प्रस्तुत किया जाय।**

06. विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया :**

विभागाध्यक्ष शिक्षा –

1. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई – डॉ. अजय आर्य
2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम–अण्डा, जिला–दुर्ग – डॉ. जसबीर कौर

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

02. प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टॉवर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समयसीमा में पुनः एक वर्ष वृद्धि हेतु प्रस्ताव अमान्य किया गया।**

03. विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रू. 6,31,751/— (छः लाख इकत्तिस हजार सात सौ इंक्यावन रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के सबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रशासनिक भवन के पीछे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन के लिए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन के संबंध में विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रुपए 6,31,751/— (रुपए सात लाख इकतीस हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।**

04. लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे बायोटेक्नालॉजी विभाग भवन एवं विश्वविद्यालय के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य की शेष राशि भुगतान हेतु विचार करना।

निर्णय : **लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे कार्योपरांत उनके द्वारा बायोटेक्नॉलॉजी भवन के लिए मांग की गई शेष राशि रुपए 42.18 लाख एवं विश्वविद्यालय परिसर के बाउंड्रीवॉल के लिए मांग की गई राशि रुपए 68.83 लाख भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।**

05. स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।**

06. प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया :**

<u>प्राचार्य</u> —

1. जगद्गुरू शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई — **डॉ. बीना सिंह**
2. शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन, धुसेरा, रायपुर — **डॉ. बलराम प्रसाद झारिया**

<u>अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण</u> :

01. **विश्वविद्यालय परीक्षा में गोपनीय कार्य के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 2.2.2015 में अनुमोदित मुद्रक द्वारा कार्योपरांत प्रस्तुत देयक की स्वीकृत प्रदान की गई।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यवाही संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

C:\Users\HP\Desktop\5 E.C. minutes 10-06-2015.doc

पृ. क्रमांक: 3798/अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 15/06/2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

कार्यपरिषद की बारहवीं बैठक दिनांक 10.06.2015 का पालन प्रतिवेदन

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
01	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं आपात बैठक 29.05.2015 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान की गई।	---
02	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।	विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 एवं 29.05.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।	---
03	साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS&D दर पर 20 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।	साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत लैंग्वेज लैब के लिए DGS & D दर पर 20 कंप्यूटर क्रय करने के लिए विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसानुसार फर्म, HCL Infosystem Ltd. Noida के अधिकृत डीलर मेसर्स, विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से रुपए 7,42,686/- (रुपए सात लाख बयालीस हजार छः सौ छियासी मात्र) टैक्स सहित का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	**आदेश क्र. 1087/Dev/2015 दिनांक 27.06.2015 भेजा गया है।**
04	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान किए जाने पर विचार करना।	श्री नंद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त पटवारी को दिनांक 25.04.2015 से 24.10.2015 (छः माह) तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।	**आदेश क्र. 2134/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 29.06.2015 जारी किया गया।**
05	छ.ग. शासन के नियमानुसार संविदा आधार पर संचालक महाविद्यालय विकास परिषद् के पद पर डॉ. विभूति राय, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, जैविकी की सेवाएं एक वर्ष वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।	संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की सेवा वृद्धि के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् की नियुक्ति संबंधी नियम के साथ प्रस्तुत किया जाय।	**30.07.2015 की बैठक में प्रस्तुत किया गया है।**
06	विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।	विभागाध्यक्ष के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों के नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया : विभागाध्यक्ष शिक्षा – 1. के.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, भिलाई –डॉ. अजय आर्य 2. शैल देवी महाविद्यालय, ग्राम–अण्डा, जिला–दुर्ग – डॉ. जसबीर कौर	**(1) आदेश क्र. 3936/अका./2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।** **(2) आदेश क्र. 3932/अका./2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।**
		पूरक विषय सूची	
01	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।	विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।	

D:\back\shital\MEETINGS\karya-prishad\palan-prativedan-e c\27_EC-palan- 10-06-2015.doc

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
02	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समय–सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करना।	प्लेटिनम कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आशीर्वाद टॉवर, जी.ई. रोड, रायपुर के परिवर्तित स्थान में महाविद्यालय संचालन हेतु समयसीमा में पुनः एक वर्ष वृद्धि हेतु प्रस्ताव अमान्य किया गया।	1. प्लेटिनम महाविद्यालय, आशिर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर को शासन के आदेशानुसार स्थल परिवर्तन की स्वीकृति दी गई जिसमें समय–सीमा का निर्धारण नही है। 2. महाविद्यालय ने नये स्थान पर महाविद्यालय के संचालन के लिए कार्य परिषद् में उपरोक्त निर्णय पर पुनर्विचार किये जाने के लिये औचित्य के साथ निवेदन किया है – • वर्तमान स्थान में छात्रों के लिये वाहन सुविधा बहुत अच्छी है। • शहर के मध्य में स्थित होने से महाविद्यालय में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान का आयोजन होता है। • शहर के मध्य में होने के कारण छात्रों की फीस भी कम कर दी गई है। • पुराने, माना स्थित भवन का उपयोग महाविद्यालय अन्य शैक्षणिकोत्तर जैस Skill development, Vocational Programme इत्यादि के लिए किया जाता है।
03	विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रू. 6,31,751/– (छः लाख इकत्तिस हजार सात सौ इक्यावन रूपए) के भुगतान की स्वीकृति के सबंध में विचार करना।	प्रशासनिक भवन के पीछे अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन के लिए ट्रांसफार्मर एवं विद्युत कनेक्शन के संबंध में विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत डिमांड नोट रुपए 6,31,751/– (रुपए सात लाख इकतीस हजार सात सौ इक्यावन मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।	**भुगतान हो चुका है।**
04	लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे बायोटेक्नालॉजी विभाग भवन एवं विश्वविद्यालय के चारों ओर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य की शेष राशि भुगतान हेतु विचार करना।	लोक निर्माण विभाग द्वारा द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराए जा रहे कार्योपरांत उनके द्वारा बायोटेक्नॉलॉजी भवन के लिए मांग की गई शेष राशि रुपए 42.18 लाख एवं विश्वविद्यालय परिसर के बाउंड्रीवॉल के लिए मांग की गई राशि रुपए 68.83 लाख भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।	**भुगतान हो चुका है।**
05	स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान किये जाने के संबंध में विचार करना।	स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विनियम 91 में प्रावधान हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।	**प्रक्रिया में है।**

क्र.	विषय	निर्णय	पालन प्रतिवेदन
06	प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबध में विचार करना।	प्राचार्य पद के लिए चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित महाविद्यालयों में उनके नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया : प्राचार्य – 1. जगद्गुरू शंकराचार्य कालेज आफ एजुकेशन, आमदी नगर, हुडको, भिलाई – डॉ. बीना सिंह 2. शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन, धुसेरा, रायपुर – डॉ. बलराम प्रसाद झारिया	**(1) आदेश क्र. 3938/अका./2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।** **(2) आदेश क्र. 3934/अका./2015 दिनांक 26.06.2015 जारी किया गया।**
		अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण :	
1		विश्वविद्यालय परीक्षा में गोपनीय कार्य के लिए कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 2.2.2015 में अनुमोदित मुद्रक द्वारा कार्योपरांत प्रस्तुत देयक की स्वीकृत प्रदान की गई।	**भुगतान किया जा चुका है।**

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषयः- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में।

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद का पद छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा भरे जाने वाले नियमित पद है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 15-11/84(डी.पी.पी.) दिनांक 01.12.1988 के अनुसार संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद का पद राष्ट्रीय स्तर पर खुला विज्ञापन के माध्यम से भरे जाने वाले पद है तथा इस पद की शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान विश्वविद्यालयीन प्रोफेसरों के समान है।

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद की चयन समिति का गठन विश्वविद्यालय परिनियम 20 की कंडिका 5 के अनुसार होगा।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एल-2015-38-00008/ब-3/चार दिनांक 10.03.2015 द्वारा संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद को भरने की अनुमति प्राप्त हो गई है, परन्तु इन पदों पर अभी नियुक्ति की कार्यवाही (यथा- विज्ञापन) प्रारंभ नही हुई है। वर्तमान में नियुक्ति की कार्यवाही यथा- पद विज्ञापित करना, चयन समिति का गठन आदि में समय लगना संभावित है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं महाविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर कार्यरत अधिकारी को पूरे कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कालेजों को अनुदान दिलाने हेतु पूरा दस्तावेज के साथ अग्रेषित करने एवं महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदण्ड के अनुसार पालन कराने के लिए इस पद पर पदस्थापना आवश्यक है।

छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उप नियम 4 (1) एवं (2) में निम्नानुसार संविदा नियुक्ति का पद मान्य किया गया है:-

1. ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।
2. विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

छ.ग. सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उप नियम 7(2) के अनुसार सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।

डॉ. विभूति राय, सेवा निवृत्त प्रोफेसर की संविदा आधार पर दिनांक 06.06.2014 को नियुक्त किया गया था। जिसकी अवधि दिनांक 05.06.2015 को समाप्त हो चुकी है।

प्रकरण कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

(10)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
BAHADURSHAH ZAFAR MARG
NEW DELHI

F.15-11/84(CPP)

July, 1985

The Registrar

Sub: Functioning of the College Development Council set up in the universities - Revised guidelines

Sir,

In continuation of this office letter of even number dated 21.2.1985, I am directed to say that the University Grants Commission at its meeting held on 21.6.1985 considered the recommendations of the committee appointed by it to review the functioning of the College Development Council set up in the universities and agreed that the scheme be extended for the next five years ending March, 1990 as per the enclosed revised guidelines on the condition that the State Govt. would take over the responsibility thereafter.

The Commission further desired that the post of Director/Dean/Coordinator, College Development Council should be filled w.e.f. 1.10.1985 through open advertisement on an All-India basis.

In the new set up of the College Development Council from 1st Oct.1985, the Director/Dean/Coordinator may be appointed afresh by a selection committee consisting of the following :

1) Vice-Chancellor (to preside)
2) A nominee of the U.G.C.
3) One nominee of the Syndicate of the University.

The tenure of the Director/Dean/Coordinator, C.D.C. may be for 3 years. He may be re-appointed for another term of 3 years but not beyond the age of 65 years.

The Dean/Director/Coordinator may be appointed in scale of Rs.1500-2500 plus other admissible allowances per University rules. Person on deputation will be gible for deputation and other permissible allowances.

The Commission also desired that the T.A./D.A. of Director/Dean/Coordinator, College Development Council visiting colleges may be met by the university from own resources.

The above decision of the Commission is brought to notice of the University for guidance and necessary tion.

Yours faithfully,

(C.M.Ramachandran)
Deputy Secretary

py to all Officers and Sections
Divisions A to D

STATUTE No. 20

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY-CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES

[Refer Section 18]

1. In addition to the Officers mentioned in clauses (i) to (v) of Section 11 of the Adhiniyam, the following shall be the Officers of the University :

*(i) Director, College Development Council.
(ii) Deputy Registrar.
(iii) Finance Officer.
(iv) University Librarian.
(v) Director of Physical Education.
(vi) University Engineer.
(vii) Controller, University Press.
(viii) Deputy Controller, University Press.
(ix) Assistant Registrar.
(x) Assistant Director, Physical Education

Provided that if a Joint Registrar has been appointed in the University prior to the date on which the Adhiniyam came into force, he shall continue as an Officer of the University subject to the terms and conditions of his appointment as Joint Registrar.

2. The University may have one or more posts of Deputy Registrar as the need be. The Controller of Examinations and Development Officer, if appointed prior to the coming into force of this Statute, shall continue to hold office subject to the terms and conditions of their appointment and be redesignated as Deputy Registrar.

3. The scales of pay for the posts mentioned in paragraph (1) above shall be as prescribed by the State Govt. from time to time :

Provided that where an Officer serving under the Central Government or a State Government is on deputation to the University and is appointed as Finance Officer or University Engineer, his emoluments and terms and conditions of service shall be as laid down by the Government concerned while placing the service of the officer at the disposal of the University.

Provided further that where a retired Government Servant is appointed to any of the posts mentioned above he shall draw salary equal to the last pay drawn in government service minus the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him and where this amount is less than the minimum of the scale pay of the post he shall draw as his salary the minimum of pay of the post concerned irrespective of the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him.

4. The Executive Council shall prescribe the qualifications which a candidate should possess for being eligible to hold any of offices mentioned in paragraph (1) of this Statute. The prescribed qualifications shall be given due publicity and the Selection Committee shall select the candidates for such offices with due regard to the qualifications prescribed.

5. The Executive Council shall appoint a Selection Committee consisting of the Kulapati who shall be the Chairman of the Selection Committee, one nominee of the Executive Council from amongst its members and one nominee of the Kuladhipati not connected with the University to recommend the names of candidates for appointment to the offices mentioned in paragraph (1). The Registrar shall be the Secretary of the Selection Committee. The Committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the Executive Council shall make appointment from the panel.

* Provided that in case of appointment to the post following posts, the Selection Committee shall be constituted in accordance with the provision contained under Section 49(2) of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973.

Library

1. Librarian
2. Deputy Librarian
3. Assistant Librarian/Senior Technical Assistant

Physical Education

1. Director
2. Deputy Director
3. Assistant Director/Sports Officer.

6. The Officers mentioned in this Statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances medical benefit, provident fund and other benefits and their other terms and conditions of service including the age of retirement shall be such as may be prescribed by the University for the employee of the University:

Provided that where an officer is a serving or retired employee of the Central Government or any State Government, he shall not be entitled to the benefit of contributory provident fund.

7. The powers and duties of each Officer except the Finance Officer mentioned in this Statute sha[ll] be such as the Executive Council may determine.

Note : The provisions of this statutes are subject to the overriding provisions of section 15-C of Madh[ya] Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 and M.P. State University Service rules, 1982.

* inserted by amendment approved by the Coordination Committee on 12.17.[illegible]

(14)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम – 2012 का नियमन।

–––00–––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2004 को विलोपित करते हुये, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ है। नियम की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न है। कृपया संलग्न नियम के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

17/1/13
(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
5. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री जी/मान. मंत्री जी/मान. राज्यमंत्री जी/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़।

(ङ) "उच्च पद" से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से "एक उच्च पद";

(च) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक या शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक;

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाये।

4. **संविदा नियुक्ति के पद.**—निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :—

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।

(2) विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिये न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

(5) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिये की जानी हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी :—

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

(चार) नियम 4(5) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**— (1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

आयु सीमा.– (1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी।

नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.– (1) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलों में नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

) (क) सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले मे विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुवित दी जा सकेगी।

ानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ.– (एक) ा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

न) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

र) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

च) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

) ~~सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये~~ जाने पर;

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रू0 14,63,000.00 भुगतान स्वीकृति हेतु ।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दि0 12.12.14 के विषय क0 05 में हुए स्वीकृति अनुसार छत्तीसगढ़ संवाद रायपुर को वर्ष 2015 के वार्षिक, पूरक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका पत्र क0 958/विकास/उ.पु./15 दि0 01.01.15 के द्वारा मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु आदेशित किया गया था ।

क्र0	उ0पु0 का विवरण	विवरण				
		पेपर साइज़	पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	पेपर की गुणवत्ता	मुद्रण संख्या	उ0पु0 निर्माण दर
01.	मुख्य उत्तर पुस्तिका	9"X11"	24 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	23 लाख	रू. 02.66 प्रति नग
02.	पूरक उत्तर पुस्तिका	9"X11"	16 पृष्ठ	80 GSM मैपलिथो पेपर, एक कलर में (कव्हर एवं कमांक सहित)	12 लाख	रू. 01.86 प्रति नग
03	छ० ग० संवाद का चार्जेस 10% अतिरिक्त					
04.	मुख्य उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग R – 00,00,001 से R – 20, 00,000 तक पूरक उत्तर पुस्तिका की नंबरिंग R – 00,00,001 से R – 10, 50,000 तक					

छत्तीसगढ़ संवाद ने मुख्य उत्तर पुस्तिका 18 लाख (05 लाख कम) एवं पूरक उत्तर पुस्तिका 12 लाख मुद्रित कर विश्वविद्यालय में आपूर्ति की गई । विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 11.05.2015 में पूरक सूची के विषय कमांक 10 पर 18 लाख मुख्य एवं 12 लाख पूरक उत्तर पुस्तिका मुद्रण की राशि रू0 77,22,000.00 में से 10% की राशि रोककर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई । कार्यपरिषद की स्वीकृति के अनुसार संवाद को 10% की राशि रू. 7,72,200.00 रोक कर शेष राशि रू. 69,49,800.00 का भुगतान किया जा चुका है । उक्त के पश्चात् संवाद ने शेष 05 लाख मुख्य उ0पु0 की आपूर्ति विश्वविद्यालय में की गई तथा भुगतान हेतु देयक क0 678 दि0 03.07.2015 के द्वारा रू0 14,63,000.00 (रू0 चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । देयक अनुसार 05 लाख मुख्य उत्तर–पुस्तिका प्राप्त होने की जानकारी नोटशीट के पृष्ठ क्र0 15 पर विश्वविद्यालय मुद्रणालय के द्वारा दी गई है ।

अतः छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा आपूर्ति किए गए 05 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका की देयक राशि रू0 14,63,000.00 (रू0 चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) भुगतान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)
जनसम्पर्क संचालनालय के पास, छोटापारा
रायपुर, छत्तीसगढ़
☎0771–4048828,2236994 फैक्स–4224220

18

क्रमांक/ 1043 /छ.ग.सं./प्रकाशन/14–15 रायपुर ,दिनांक 30/05/2015

प्रति,

कुलसचिव
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मुद्रित उत्तर पुस्तिका की गुणवत्ता की जांच के संबंध में ।
संदर्भ :– आपका पत्र क्र./1041/विकास/2015 रायपुर दिनांक 2/05/2015

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, पत्र के माध्यम से प्राप्त उत्तर पुस्तिका की जांच की गयी जो निम्नानुसार गुणवत्ता में मुद्रित होना पाया गया है:–

(1)मुख्य उत्तर पुस्तिका

साईज–ए4

क्वालिटी– 24 पेज एक कलर मुद्रण, नंबरिंग,पंचिंग एवं पं.रं.वि.वि. का परफोरेशन सहित।
नंबरिंग अनुसार गुणवत्ता निम्नानुसार पाया गया :–

क्र.	मुख्य उत्तर पुस्तिका क्र.	परीक्षण में पाये गये गुणवत्ता गुणवत्ता	कार्यादेश में दिये गयें
1	0220001	79GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
2	0229001	75GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
3	349001	78GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
4	0407001	78GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
5	0786001	75GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर

(2)पूरक उत्तर पुस्तिका

साईज–ए4 क्वालिटी– 8 पेज एक कलर मुद्रण, नंबरिंग,पंचिंग एवं पं.रं.वि.वि. का परफोरेशन सहित।
नंबरिंग अनुसार गुणवत्ता निम्नानुसार पाया गया :–

क्र.	मुख्य उत्तर पुस्तिका क्र.	परीक्षण में पाये गये गुणवत्ता गुणवत्ता	कार्यादेश में दिये गयें
1	0463001	77GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
2	0664001	77GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
3	790001	76GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
4	0081001	77GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर
5	0999001	75GSM मैपलिथो पेपर	80 GSM मैपलिथो पेपर

सभी उत्तर पुस्तिका लगभग 80–75 GSM के अंदर पाया गया है। 5 GSM (–) एवं (+) का अंतर स्वाभाविक है।

प्रबंधक,प्रकाशन
छत्तीसगढ़ संवाद,रायपुर

D:\store\LETTER.p65 657

विषयः—पुर्नमुल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।

———000———

टीपः— कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 में लिए गए निर्णयानुसार सत्र 2015—16 से पुर्नमुल्यांकन शुल्क में निम्नानुसार वृद्धि की गई थीः—

पूर्व में पुर्नमुल्यांकन शुल्क (प्रति उत्तर पुस्तिका) सत्र 2014—15	**वर्तमान में पुर्नमुल्यांकन शुल्क (प्रति उत्तर पुस्तिका) सत्र 2015—16**
रूपए 150.00	रूपए 250.00

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् छ.ग. द्वारा पुर्नमुल्यांकन शुल्क की वृद्धि पर पुर्नविचार कर रूपए 100/— की राशि, शुल्क में कम करने की मांग की है।

तद्नुसार, छात्र हित में उपरोक्तानुसार शुल्क कम करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

———000———

20

~~15~~

कार्यपरिषद् में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषयः— विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में निर्देशार्थ प्रस्तुत।

टीप :— विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में निर्णय लिया गया कि " **पूर्व वर्षों की भांति विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक/अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु ट्यूशन फीस की छूट होगी**"। उपरोक्त निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम को छोड़कर) दी जा रही है।

कर्मचारी संघ की मांग है कि शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को सभी पाठ्यक्रमों के साथ ही स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में भी शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जावे।

कार्यपरिषद् के समक्ष प्रकरण निर्देशार्थ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— केन्द्रीय जेल रायपुर से तखत कय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करने बाबत् ।

इस वि0वि0 के अध्ययन शालाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है, जो पूर्णता की ओर है । नवनिर्मित छात्रावासों के लिये 200 नग तखत का क्रय जाना है।

तखत क्रय हेतु दर मंगाने के लिये जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर, छ0ग0 को पत्र क्रमांक 919/विकास/2014 दिनॉक 27–11–2014 के द्वारा पत्र भेजा गया था ।

कार्यालय, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल, रायपुर, छ0ग0 द्वारा पत्र क्र0 1110/उद्योग/2014 दिनॉक 15–10–2014 के द्वारा बीजा लकडी से निर्मित तखत (साइज 6 x 3 x 1½) रू0 10,460=00 प्रस्तुत किया है।

छात्रावासों के लिये फर्नीचर एंड फिक्सचर मद में सत्र 2015–16 के लिये रू0 34–00 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

अतः छात्रावासों के उपयोग हेतु 200 नग तखत केन्द्रीय जेल रायपुर से क्रय करने पर कुल रू0 20,92,000.00 (रू. बीस लाख ब्यानबे हजार मात्र) के लिये प्रशासनिक एव वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

24-7-15

विषयः–NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव Extension of Appointment के संबंध में विचार करना।

***

टीपः– NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययन शाला के इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 96/ NCNR / PRSU /2014–15 दिनांक 10.07.2014 के द्वारा प्रतिदिन कन्सल्टेंट फीस रूपए 1000/– अधिकतम रूपए 25,000/– प्रतिमाह 01 मई 2014 से अप्रेल 2015 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कन्सल्टेंट नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 30 अप्रेल 2015 को समाप्त हो गया।

अतः संचालक NCNR के प्रस्ताव अनुसार डॉ. एम.एल. नायक की कन्सल्टेंट नियुक्ति को दिनांक 01 मई 2015 से दिनांक 30 अप्रेल 2016 तक पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ वृद्धि किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :— विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

वि0वि0 परिसर के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य दिनॉक 30 जून 2015 को समाप्त हो रहा था,, जिस कारण वि0वि0 द्वारा पत्र क्र0 1021 दिनॉक 23–4–15 को निम्नलिखित समाचार पत्रों में निविदा हेतु विज्ञापन छ0ग0 संवाद के माध्यम से प्रकाशित कराया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1/ दैनिक नवभारत
2/ इंडियन एक्सप्रेस, राष्ट्रीय समाचार पत्र(नागपूर संस्करण)
3/ दैनिक भास्कर

इसी मध्य पुलिस मुख्यालय छ0ग0 शासन द्वारा जारी अनुज्ञप्ति का जीवित पंजीयन होना तथा सुरक्षा गार्डो को मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए का प्रमाण पत्र होने चाहिए का पत्र वि0वि0 को पत्र प्राप्त हुआ , जिस कारण दिनॉक 12–5–2015 को पत्र क्र0 1045 के द्वारा उक्त निविदा में संशोधन कर दैनिक समाचार पत्रों में 15 दिन वृद्वि कर पुनः प्रकाशित किया गया ।

उक्त विज्ञापन के तारतम्य मे निम्नलिखित सिक्युरिटी एजेंसियों का सीलबंद लिफाफा प्राप्त हुआ :–

1/ कामधीन सिक्यूरिटी सर्विसेस, इंदौर, म0प्र0 ।
2/ इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, शाप नं0 के–3/264 सुभाष मार्केट, जिला दुर्ग, छ0ग0।
3/ न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, शाप नं0 140 बस स्टैंड के पास नागपूर ।
4/ काल मी सर्विसेस, टैगोर नगर, रायपुर ।

उपरोक्त फर्मो से प्राप्त सीलबंद लिफाफा को निविदाकर्ता की उपस्थिति मे दिनॉक 05–6–2015 को विभागीय क्रय समिति एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति मे सीलबंद लिफाफा एवं पूर्व योग्यता जॉच सूची के आधार पर उनके दस्तावेजों की जॉच की गई। जॉच उपरान्त निम्नलिखित तीन फर्मो के निविदा को मान्य की गई तथा काल मी सर्विसेस, टैगोर नगर, रायपुर योग्यता पूर्ण नही करने के कारण निरस्त की गई।

1/ कामधीन सिक्यूरिटी सर्विसेस, इंदौर, म0प्र0 ।
2/ इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, शाप नं0 के–3/264 सुभाष मार्केट, जिला दुर्ग, छ0ग0।
3/ न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, शाप नं0 140 बस स्टैंड के पास नागपूर ।

उपरोक्त 03 फर्मो की योग्यता पूर्ण होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत दर को खोला गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

"A"

क्र0	सुरक्षा कर्मियों का पद नाम	कामधीन सिक्यूरिटी सर्विसेस, इंदौर, म0प्र0	इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, सुभाष मार्केट, जिला दुर्ग, छ0ग0	न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपूर
01.	सुरक्षा गार्ड प्रति शिफ्ट	रू. 6,849.00 (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)	रू. 6,318.00 (प्रतिव्यक्ति, 26 माह)	रू. 6,060.00 (प्रतिव्यक्ति, प्रतिमाह)
02.	गनमैन प्रति शिफ्ट	रू. 6,849.00 (प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह)	रू. 6,318.00 (प्रतिव्यक्ति, 26 माह)	रू. 6,060.00 (प्रतिव्यक्ति, प्रतिमाह)
03.	टैक्स/सेवा शुल्क	शासकीय नियमानुसार	NA	शासकीय नियमानुसार
04.	सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क निविदा की विशेष शर्तो के बिन्दु क0 06 के अनुसार	रू. 00.01	रू. 01.%	

23-7-15

"B"

पुनः वि0वि0 द्वारा जारी निविदा के विशेष शर्तो की कंडिका–37 पुलिस मुख्यालय छ0ग0 शासन द्वारा जारी अनुज्ञप्ति का जीवित पंजीयन एवं कंडिका –38 सुरक्षा गार्डो को मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त होना, का प्रमाण पत्र जांच हेतु तीनों फर्मो के दस्तावेजों का पुनः परीक्षण दिनांक 23 एवं 24 जून 2015 को किया गया, जिस पर दस्तावेजों के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

01. इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, शाप नं0 के–3/264 सुभाष मार्केट, जिला दुर्ग, छ0ग0 के द्वारा पुलिस मुख्यालय,रायपुर, छ0ग0 का 01 फरवरी 2016 तक कार्य करने का वैध प्रमाण पत्र संलग्न किया है तथा मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत केवल जिन फर्मो में उक्त एजेंसी ने कार्य किया है का विवरण संलग्न है।

02. न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, शाप नं0 140 बस स्टैंड के पास, नागपूर ने पुलिस मुख्यालय, रायपुर छ0ग0 में लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के दस्तावेज लगाये है एवं एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है यदि उनकी दर न्यूनतम पाई जाती है तो कार्य प्रारंभ करने से पहले उनके द्वारा पुलिस मुख्यालय का अनुज्ञप्ति प्रस्तुत कर दी जायेगी तथा मुख्यमंत्री कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों के प्रमाण पत्र संलग्न किये है ।

03. काल मी सर्विसेस, टैगोर नगर, रायपुर द्वारा मुख्यमंत्री कौशल योजना एवं पुलिस मुख्यालय का अनुज्ञप्ति का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है ।

"C"

वर्तमान में कार्यरत् संस्था न्यू भारत सिक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपूर का कार्यकाल दिनांक 30.06.2015 को समाप्त होने के कारण पत्र कमांक 1089/विकास/सु.व्य./2015 दिनांक 30.06.2015 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2015 से 31 अगस्त 2015 तक दो माह के लिए कार्यावधि विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु बढ़ाया गया है ।

गठित समिति द्वारा किये गए अनुशंसा "A" एवं "B" कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत एवं "C" कार्यपरिषद के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

23-7-15

(25)

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

क्रमांक 1069/विकास/सु०व्यव०/2015 रायपुर, दिनांक 30.06.2015

प्रति,

मेसर्स न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस,
5 – 140, W- 3A रजत संकुल, बस स्टैण्ड के सामने,
गणेश पेड, नागपुर (फोन 0712 3252871, 09373101081).
स्थानीय पता – मेसर्स न्यू भारत सिक्यूरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विसेस,
M - 2, 161, कबीर नगर, रायपुर (मो. 9300377382)

विषय :–विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था 2014–15 के कार्य वृद्धि के संबंध में।
संदर्भ :–01. इस वि० वि०की निविदा सूचना क. 143/विकास/सु.व्यय./2014 दिनांक– 24.02.2014
02. गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर हुए अनुबंध दिनांक– 28 जून 2014
03. कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित दिनांक– 23.06.2014
04. इस वि० वि० के पत्र क्रमांक–801, दिनांक– 28.06.2014

विषयान्तर्गत संदर्भ मे सूचित किया जाता है कि इस विश्वविद्यालय परिसर की सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार कार्य आदेश दिया जाता है :–

क०	पद	सुरक्षाकर्मियों की संख्या		दर (प्रतिमाह–प्रति शिफ्ट)
		दिन में	रात में	
01.	सुरक्ष गार्ड	14	18	**5,741.00 + 177.39 (सेवा शुल्क)** **कुल योग रू. – 5,918.39** (अक्षरी रू. पॉच हजार नौ सौ अट्ठारह एवं उन्चालीस पैसे मात्र) टैक्स/सेवा शुल्क सहित
02.	गनमैन	06	06	

नोट :–
01. अनुमनित सुरक्षा कर्मियों की संख्या दर्शाई गई है। यह संख्या विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा समय–समय पर घटाई या बढाई जा सकती है।
02. उपरोक्त कार्य आदेश दिनांक 01 जुलाई 2015 से 31 अगस्त (दो माह) 2015 तक प्रभावशील होगा।
03. दर प्रतिमाह प्रति शिफ्ट माह के दिनों की गणना के आधार पर होगी।
04. उपरोक्त दर प्रति दिन 08 घंटे की कार्य अवधि के लिए देय है।

कार्य अवधि निम्नानुसार शिफ्टों में करनी होगी :–

शिफ्ट	समय
प्रथम पाली	प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक
द्वितीय पाली	दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक
तृतीय पाली	रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 तक

05. अनुबंध में उल्लेखित शर्तो का पालन आवश्यक है।
06. आप इस विश्वविद्यालय के अधिकारी/कुलअनुशासक के निर्देशानुसार कार्य करेंगें।

कुलसचिव

क्रमांक 1070/विकास/सु०व्यव०/2015 रायपुर, दिनांक 30.06.2015

प्रतिलिपि :–
01. कुलअनुशासक/वित्त नियंत्रक/उ०कु०स०, प्रशासन,
02. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिवजी के निजी सहायक, पं०रवि०वि०वि०, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

उपकुलसचिव (विकास)

MyDocument/YogeshLetter/65/Dev

कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :– विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार करने बाबत् ।

विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने संबंध में निविदा सूचना कमांक 963/विकास/निसू/2015 दिनांक 05.01.2015 छ0ग0 संवाद, रायपुर के माध्यम से दैनिक नवभारत समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में निविदा प्रकाशित किया गया था ।

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निविदा भरकर प्रस्तुत किया गया है :––

01. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर
02. बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

उपरोक्त बैंकों से प्राप्त सीलबंद लिफाफा को विभागीय कय समिति की बैठक दिनांक 07.04.2015 को खोला गया तथा संबधित बैंकों को प्रस्तुतीकरण हेतु पत्र कमांक 1024 एवं 1026/विकास/15 दिनांक 27.04.2015 जारी किया गया था ।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु रूचि नहीं दिखाई तथा बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में बैंक की शाखा खोलने हेतु जनरल मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई को पत्र जारी कर विश्वविद्यालय परिसर में बैंक की शाखा खोलने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है ।

अतः विश्वविद्यालय परिसर में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोले जाने के संबंध में कार्यपरिषद के विचारार्थ प्रस्तुत है ।

24-7-15

विषयः— विषय क्रमांक—2 मान. कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफारमेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

टीपः— "विश्वविद्यालय के मान. कार्यपरिषद् की ग्यारहवीं बैठक (आपात) शुकवार दिनांक 29.05.2015 में विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करते हुए इसका अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि ऐसे महाविद्यालय जिनका निरीक्षण के बाद परफारमेंस इंडेक्स 0.5 अथवा इससे कम है उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाए कि, क्यों न उनके महाविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश, सत्र 2015—16 के लिए प्रतिबंधित किया जावे?

बी.एड. से संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत परफारमेंस इंडेक्स एवं शिक्षकों की जानकारी NCTE एवं SCERT को दिया जावे, ताकि वे मान्यता के संबंध में निर्णय लेकर विश्वविद्यालय को जानकारी दे सके।"

उपरोक्त निर्णयानुसार 0.50 से कम परफार्मेंस इंडेक्स पाने वाले अशासकीय महाविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

तत्सम्बध में महाविद्यालय से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर परफार्मेस इंडेक्स की पुनः गणना की गई जिसकी जानकारी संलग्न है।

साथ ही बी.एड. से संबंधित महाविद्यालयों के निरीक्षण उपरांत परफारमेंस इंडेक्स एवं शिक्षकों की जानकारी पत्र कमांक 2936/DCDC/15 रायपुर, दिनांक 07.07.2015 के माध्यम से संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् छत्तीसगढ़ (SCERT) शंकर नगर रायपुर एवं NCTE भोपाल को प्रेषित किया गया।

मान. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रकरण निर्देशार्थ प्रस्तुत।

28

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2262581 (डीसीडीसी), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

Performance Index of Non B.Ed. Colleges
As on 20-07-2015

S.No.	Range	No. of Colleges
1	0.50 to ----	3
2	0.40 to 0.49	11
3	0.30 to 0.39	14
4	0.16 to 0.29	7
	Total	35

24/7/15

List of Non B.Ed Colleges

(P.I. from 0.16 to 0.53)

As on 20-07-2015

S.No.	Name of College	Performance Index	Courses Conducted	New Performance Index	New Perfomance Index after 16-06-2015	New Perfomance Index after 30-06-2015	Final Performance Index as on 20-07-2015	Remarks
1	Platinum College of Professional Studies, Raipur (CG) 2009-10	8130/0.45	B.B.A.; B.C.A.	0.48	0.53	-	0.53	
2	RITEE College of Management, Chhatauna Mandir Hasaud Raipur (CG) 2013-14	8325/0.46	B.Com.; B.B.A.	-	-	0.5	0.5	24.01.2015 को चयन समिति गठित। 08.04.2015 को साक्षात्कार हुआ।
3	Alliance Institute of Commerce and Management, Sec-06, Bhilai (CG) 2009-10	6245/0.35	B.B.A.; B.Com.; B.C.A.	0.44	-	0.5	0.5	
4	Shantri Bai Arts, Commerce & Science College, Mahasamund (CG) 1993-94	7515/0.41	B.A.; B.Sc.; B.C.A.; P.G.D.C.A.	0.49	-	-	0.49	
5	Vande Matram College, Dhamtari (CG) 2006-07	8285/0.46	B.C.A.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.46	0.46	साक्षात्कार प्रस्तावित 05.05.2015
6	Seth Ratanchand Surana Law College, Durg (CG) 1998-99	6415/0.36	L.L.B.	0.43	-	-	0.43	
7	Attar Singh Mahavidyalaya, Model Town Bhilai Dist-Durg (CG) 2006-07	7200/0.40	B.A.; B.Com.	0.43	-	-	0.43	चयन समिति गठन के लिए जमा किया।
8	Chhattisgarh Mahtari College Bhakhara, Dhamtari (CG) 1998-99	7655/0.42	B.A.; B.Com.; B.Sc.	-	-	0.43	0.43	विज्ञापन नहीं कराया।
9	Arya Bhatt College, Kopra (Rajim) (CG) 2005-06	7020/0.39	B.A.; B.Sc.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.42	0.42	02 सहायक प्राध्यापकों के नाम का अनुमोदन हो चुका है।
10	Maa Bahadur Kalarin Arts & Science College, Gurur, Dist- Balod (CG) 2002-03	6960/0.38	B.A.; B.Sc.	-	-	0.41	0.41	
11	Shiksha Snatak Mahavidyalaya, Mandhar, Dist-Raipur (CG) 2003-04	5992.5/0.33	B.A.; B.Com.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.41	0.41	21.01.2015 को चयन समिति गठित।
12	Mata Karma Kala Commerce and Science college Gunderdehi, Dist-Balod (CG) 2002-03	5602.5/0.31	B.A.; B.Com.; B.Sc.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.41	0.41	
13	Kalyan Law College Bhilai, Dist-Durg (CG) 1967-68	6800/0.38	L.L.B.	-	-	0.4	0.4	

S.No.	Name of College	Performance Index	Courses Conducted	New Performance Index	New Perfomance Index after 16-06-2015	New Perfomance Index after 30-06-2015	Final Performance Index as on 20-07-2015	Remarks
14	Kachna Dhruwa College Chhura , Dist-Gariyaband (CG) 2005-06	5735/0.32	B.A.; B.Com.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.4	0.4	06.04.2015 को परि. 28 के तहत् चयन समिति गठित करने के संबंध में महाविद्यालय को पत्र प्रेषित किया गया।
15	Shanti Niketan College, Changorabhata Raipur (CG) 2001-02	6850/0.38	B.Com.; B.Sc.; B.C.A.; M.Sc.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.39	0.39	
16	Pt. Ramsakha Upadhyay College Gudhiyari Raipur 2005-06	6940/0.38	B.Com.; B.C.A.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.39	0.39	25.04.2015 को विज्ञापन प्रकाशित कराया। चयन समिति हेतु 07.05.2015 को जमा किया।
17	Nanakchand Ramesh Agrawal Arts & Commerce College Kharora (CG) 1998-99	6785/0.38	B.A.; B.Com.	-	-	-	0.38	28.01.2015 को चयन समिति गठित।
18	Vindhyavasini Arts & Science College, Sanod, Dist- Balod (CG) 2002-03	6850/0.38	B.A.; B.Sc.	-	-	0.38	0.38	16.04.2015 को विज्ञापन प्रकाशित कराया।
19	Sant Rajaram Sadani Nagrik College, Dondilohara, Dist- Balod (CG) 1996-97	5005/0.28	B.A.; B.Com.; M.A.	-	-	0.36	0.36	15.01.2015 को चयन समिति गठित।
20	DES. Sau. Kusum Tai Dabke Law College, Raipur (CG)	6474/0.36	L.L.B.	-	-	0.36	0.36	दि. 13.05.2015 को महा. के द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद निरीक्षण टीम ने अंक प्रदान किया।
21	Elegant College, Near Motinath Mandir Parisar, Rajnandgaon (CG) (2006-07)	2585/0.14	B.Com.; B.C.A.; B.B.A.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	0.15	-	0.35	0.35	09.04.2015 चयन समिति गठित।
22	Gurukul Mahavidyalaya, Magarlod, Dist-Dhamtari (CG) 2002-03	6177.5/0.34	B.A.; M.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.34[illegible]	0.34[illegible]	चयन समिति गठन के लिए 30.04.2015 को जमा किया।
23	Om Shri Sainath Mahavidyalaya Parastarai Dharsiwa, Raipur (CG) 1998-99	6025/0.33	B.A.; B.Com.	-	-	0.33	0.33	विज्ञापन नहीं कराया।
24	Comp-Tech College , Dhamtari (CG) 2002-03	4760/0.26	B.Com.; B.Sc.; B.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.33	0.33	
25	Pragya Arts & Commerce College, Dhamtari (CG) 2002-03	4330/0.24	B.A.; B.Com.	-	-	0.31	0.31	विज्ञापन की अंतिम तिथि 15.05.2015

S.No.	Name of College	Performance Index	Courses Conducted	New Performance Index	New Perfomance Index after 16-06-2015	New Perfomance Index after 30-06-2015	Final Performance Index as on 20-07-2015	Remarks
26	Pt. K.L.S. Law College, Rajnandgaon (CG) 1967-68	5515/0.30	L.L.B.	-	-	0.3	0.3	साक्षात्कार में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं पाया गया।
27	Genesis College of Higher Education, Dhamtari (CG) 2006-07	5255/0.29	B.Com.; B.B.A.; B.C.A.; P.G.D.C.A.	0.3	-	-	0.3	चयन समिति गठित।
28	Arts College, G jamgaon Dist-Dhamtari (CG) 2003-04	5240/0.29	B.A.	-	-	0.3	0.3	
29	Institute of National & Foreign Languages, Bhilai, Atharv IT, Durg, Dist.-Durg (CG) 1985-86	4825/0.27	M.A.	-	-	0.29	0.29	20.03.2015 को विज्ञापन अनुमोदित कराया।
30	Pairy Ganga College, Mainpur Dist-Raipur (CG) 2003-04	4725/0.26	B.A.; B.Com.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.29	0.29	07.04.2015 को विज्ञापन अनुमोदित कराया।
31	Beliram Arts & Commerce College, Bhilai, Dist-Durg (CG) 1995-96	4610/0.26	B.A.; B.Com.; B.Lib.	-	-	0.26	0.26	विज्ञापन नहीं कराया।
32	Udanti College Devbhog, Dist- Gariyaband (CG) (2003-04)	3710/0.20	B.A.; B.Com.;	-	-	0.25	0.25	28.01.2015 को चयन समिति गठित।
33	Vivekanand College Nara, Bhansoj, Raipur (2005-06)	4380/0.24	B.A.	-	-	0.24	0.24	10.02.2015 को विज्ञापन, 23.04.2015 को चयन समिति गठन हेतु प्रस्तुत।
34	Abhyudaya College, Chandkhuri, Raipur (CG) (2012-13)	2545/0.14	B.C.A.; B.Com.; D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.22	0.22	27.03.2015 चयन समिति गठित।
35	Unique College of I.T., Kawardha Dist-Kabirdham (CG) (2008-09)	2965/0.16	D.C.A.; P.G.D.C.A.	-	-	0.16	0.16	विज्ञापन नहीं कराया।

24/7/15

(32)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262581 (डीसीडीसी), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स- 0771-2262818, 2262607
Website: prsu.ac.in; E-mail id: dcdc.ptrsu@gmail.com

क्रमांक– 2936 /DCDC/15 रायपुर, दिनांकः 07/07/2015.

प्रति,

"स्पीड–पोस्ट"

संचालक,
राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं,
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) 492 007

विषयः–पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि– विश्वविद्यालय से सम्बद्ध ऐसे महाविद्यालय जिनमें बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है उनका सत्र 2014–15 के दौरान माह नवम्बर/दिसम्बर–2014 में आकस्मिक निरीक्षण कर परिनियम 28 के तहत् कार्यरत शिक्षकों, वेतनमान, अद्योसंरचना आदि के संबंध में जानकारी ली गयी।

इस आधार पर परिनियम 28 के तहत् नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या का महाविद्यालय को प्राप्त सीटों के आधार पर प्रतिशत निकाला गया एवं 50 प्रतिशत से कम तथा ऐसे महाविद्यालय जहॉ एक भी शिक्षक परिनियम 28 में नियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से अवगत कराते हुए अतिशीघ्र परिनियम 28 के तहत् शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि समय–समय पर आपके विभाग को भी भेजी गयी।

उक्त विभिन्न पत्राचारों के बाद पर महाविद्यालयों के द्वारा परिनियम 28 के तहत् नियुक्ति करा ली गयी है। दिनांक 30.06.2015 तक महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी (परि. 28 के तहत् शिक्षकों की नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग रिपोर्ट की प्रति) के आधार पर बनायी गयी रिपोर्ट आगामी कार्यवाही/दिशा–निर्देश हेतु आपकी ओर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– रिपोर्ट की प्रति। (08 पृष्ठ)

कुलसचिव

पृ.क्रमांक– 2937 /DCDC/15 रायपुर, दिनांक 07/07/2015

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., पश्चिम क्षेत्र, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

6/7/15

संचालक
महाविद्यालय विकास परिषद
पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद- कक्ष-अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्त्तव्य

भूमिका-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक संबंधित विभाग के कार्यालय के प्रबंध एवं अनुशासन से संबंधित सभी मामलों की व्यवस्था करता है। अतः उनका कुशल नियंत्रक एवं संचालक होना आवश्यक है।

विभाग के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना ही पर्याप्त नही है। अपितु उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य पर लगाकर कार्य का संपादन एवं संचालन करवाया जाना भी अपेक्षित है, ताकि कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव एवं क्षमता का उपयोग विश्वविद्यालय के हित में किया जा सके।

साथ ही कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को चाहिए कि वह कार्य के निपटारे में अद्यतन स्थिति बनाये रखे एवं विभिन्न कार्यों के यथाशीघ्र निष्पादन को ध्यान में रखे। कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक यह भी देखे की शासन के स्थायी आदेशो एवं प्रक्रियाओं का पूर्णरूपेण पालन किया जा रहा है।

कक्ष अधिकारी की अपेक्षित योग्यताएं-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के पद पर एक परिश्रमी, अनुभवी एवं कार्यकुशल व्यक्ति का होना आवश्यक है। उसमें निम्न योग्यताएं होना अपेक्षित है:-

1. कार्यालय पर नियंत्रण रखने की क्षमता होना।
2. अधीनस्थ लिपिकों को मार्गदर्शन देने एवं कठिनाई दूर करने की क्षमता होना।
3. कार्यालय के प्रबंध की क्षमता का होना।
4. प्रारूप एवं नोट/संक्षेपिका लिखने की योग्यता होना।
5. कार्य के पर्यवेक्षण (Observation) की योग्यता का होना।
6. व्यवहार कुशल एवं समन्वयक (Co-Ordinator) की योग्यता का होना।
7. संस्था के अन्य कार्यालयों एवं उनके क्रियाकलापों की भी अच्छी जानकारी।

कर्त्तव्य

विशेष कर्त्तव्य- इसके अंतर्गत निम्न कर्त्तव्य शामिल है:-

(अ) कर्मचारियों की उपस्थिति पर नियंत्रण-

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का यह कर्त्तव्य है कि वह संबंधित विभाग के कार्यालय के कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण रखे और यह देखे कि सभी कर्मचारीगण कार्यालय में समय पर आते है। इस संबंध में कार्यालय में एक उपस्थिति पंजी रखी जावे, जिसमें निम्न जानकारी रहेगी:-

1. कर्मचारी का नाम एवं पद।
2. महिने की तारीख।
3. कर्मचारी की उपस्थिति का समय।
4. उपस्थिति के समय कर्मचारी के हस्ताक्षर।
5. यदि कर्मचारी अवकाश पर है तो उसका विवरण।
6. यदि कर्मचारी विलंब से आया है तो उसका विवरण एवं समय।

टीपः- जब कोई कर्मचारी कार्यालय में समय पर उपस्थित नही होता है तो कक्ष अधिकारी को चाहिए कि ऐसे कर्मचारी के नाम के आगे लाल स्याही से (x) का चिन्ह लगा दे एवं अपने हस्ताक्षर करें।

इसके बाद यदि कर्मचारी देर से आता है तो उसकी उपस्थिति का समय अंकित करते हुये कर्मचारी के हस्ताक्षर लिये जाने चाहिए।

यदि कोई कर्मचारी हमेशा विलंब से आने का आदि है तो इसकी सूचना विभाग के उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/प्रभारी अधिकारी को दी जाए।

(ब) **डाक प्राप्ति एवं निपटारा-**

इसके अंतर्गत प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को प्राप्त होते ही कार्यालय की मूहर एवं तारीख लगवायेगा एवं विभाग के अधिकारी के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेगा एवं निर्देश प्राप्त करेगा।

तत्पश्चात् संबंधित शाखा के प्रभारी लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा। साथ ही समयावधि के पत्रों में राजभवन से पत्र, विधानसभा प्रश्न, लोक सभा प्रश्न, मंत्रीगण से प्राप्त पत्रों पर समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु अंकित करेगा/लिखेगा।

(स) **लिपिकीय कार्यों का निरीक्षण-**

इसके अंतर्गत कार्यालय के विभिन्न लिपिकों के मेजों का निरीक्षण करना चाहिए एवं यह देखना चाहिए कि बताया गया/निर्धारित काम इकट्ठा होने नही दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण उपरांत यदि हिदायतों एवं नियमों का पालन किया गया है अथवा नही इसकी जानकारी एवं कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों से संबंधित जानकारी विभागीय अधिकारी के ध्यान में लायेगा।

(द) **गोपनीय चरित्रावलियों की पंजी को व्यवस्थित रूप से रखना-**

कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय चरित्रावलियों एवं संबंधित पंजीयों को व्यवस्थित रखने का कार्य कक्ष अधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं कर्मचारियों की पदोन्नति इत्यादि के समय आवश्यकता होने पर पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(इ) **पदक्रम/वरिष्ठता सूची का रखा जाना-**

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा कार्यरत कर्मचारियों की पदवार पदक्रम सूची निर्धारित समय पर प्रत्येक वर्ष जारी की जावेगी एवं विभिन्न पदक्रम/वरिष्टता सूचियों से संबंधित पंजीयां एवं फाईल्स के संधारण की सुव्यवस्था निश्चित की जावेगी।

(फ) **विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों की पदोन्नति संबंधी कार्य-**

कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय-सीमा में किये जाने की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

<u>टीपः-</u> उपरोक्त "द", "इ" एवं "फ" में उल्लेखित विशेष कर्त्तव्य सामान्य प्रशासन विभाग के स्थापना से संबंधित होने के कारण केवल सामान्य प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होंगे।

(ज) **कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी द्वारा भेजे गये गोपनीय अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना-**

समय-समय पर कुलसचिव द्वारा भेजे गये समस्त गोपनीय अभिलेखों एवं गोपनीय पत्रों को अलग-अगल गोपनीय पंजी में पंजीकृत किया जावेगा।

गोपनीय पत्र, प्रकरण एवं पंजीयां कक्ष अधिकारी के नियंत्रण में रखी जावेगी।

(ह) **स्थायी आदेशों की फाईलों को व्यवस्थित रखना-**

शासन से प्राप्त स्थायी आदेशों को फाईल बनाकर सुरक्षित रखा जावेगा, इन्हें निम्न वर्गों में विभक्त किया जा सकता है:-

1. कार्यालय से संबंधित आदेश।
2. फौजदारी कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
3. राजस्व कार्य/प्रकरण से संबंधित आदेश।
4. विधिक विषयक आदेश।

<u>सामान्य कर्त्तव्य-</u>

सक्षम अधिकारी कुलपति/कुलसचिव/विभागाध्यक्ष के द्वारा अधिकृत किए जाने पर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना।

अतः कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के समस्त कार्यों को न तो लेखबद्ध किया जा सकता है और न ही किसी सीमा में बांधा जा सकता है। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के सामान्य कर्त्तव्यों को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से निरूपित किया जा सकता है:-

1. कर्मचारी कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित हो तथा कार्य भी प्रारंभ कर दें। यह ध्यान रखना कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का कर्त्तव्य है।

   साथ ही उपस्थिति के उपरांत कर्मचारी इधर-उधर घूमते रहते है या कार्य को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में लगे रहते है, जिससे एक ओर कार्य में विलंब होता है एवं दूसरी ओर कार्यालय की छवि खराब होती है। अतः इन पर पर्याप्त नियंत्रण रखा जावे।
2. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक को इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि कर्मचारी समय पर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे तो कार्य भी बकाया नही रहेगा।
3. प्रतिदिन प्राप्त होने वाली डाक को डाक रजिस्टर में प्रविष्टि के उपरांत संबंधित शाखाओं में वितरण की व्यवस्था की जावे।
4. राजभवन एवं शासन से प्राप्त आदेशों से संबंधित पत्रों, समय-सीमा से संबंधित पत्रों एवं आवश्यक पत्रों को अविलंब कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। समय-सीमा वाले पत्रों का उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जावे।
5. कुलसचिव/विभागीय अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कर्मचारी कार्यालयीन पत्र/रजिस्टर घर पर नही ले जा सकेंगे। अतः इस पर नियंत्रण रखा जावे। विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति लेकर कार्य को घर पर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।
6. विभागीय अधिकारी एवं कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत समस्त पत्र, फाईलें, प्रकरण तथा डाक- कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक के माध्यम से ही जानी चाहिए।
7. कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक विभिन्न प्रकरणों से संबंधित याचिकाओं एवं अपीलों को संबंधित माननीय न्यायालयों में भेजेगा।
8. इसी प्रकार राजभवन, शासन तथा विभिन्न आयोगों को भेजी जाने वाली जानकारी कक्ष अधिकारी /वरिष्ठ अधीक्षक के मार्गदर्शन में प्रेषित की जायेगी।
9. कर्मचारियों द्वारा प्रेषित विभिन्न अवकाश आवेदनों पर लिखी टीप का परीक्षण करेगा एवं आवेदनों को उचित आदेशार्थ प्रभारी अधिकारी के माध्यम से कुलसचिव को भेजेगा।
10. लोक सभा एवं विधानसभा के प्रश्नों के लिये पृथक से पंजी रखी जाये एवं उसमें प्राप्त ऐसे समस्त प्रश्नों का विवरण अंकित किया जावे।
11. राजभवन, राज्य शासन या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त पत्रों की अलग से पंजी रखी जाये एवं उत्तर दिये जाते समय स्वयं यह जांच की जावे कि उन्हें सही जानकारी प्रेषित की जा रही है।
12. विभिन्न कर्मचारियों के बकाया कार्य का विवरण नियमित रूप से विभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। नस्तीबद्ध प्रकरणों एवं अभिलेखों को कार्यालय में अलग से रखे जाने की व्यवस्था की जावे।
13. विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेशों, अधिसूचनाओं एवं नियमों, परिपत्रों, सूचनाओं को तथा उनमें किए गए संशोधनों से संबंधित समस्त आदेशों को सुव्यवस्थित रखा जावे एवं उनका यथोचित रूप से पालन किया जावे।
14. विभिन्न आदेशों, अधिसूचनाओं, सूचनाओं, पत्रों, ज्ञापन इत्यादि के मुद्रलेखन में देर न हो। इस ओर कक्ष अधिकारी को ध्यान रखना चाहिए।
15. कक्ष अधिकारी और कर्मचारियों के बीच हमेशा समन्वय एवं सद्व्यवहार बनाए रखने हेतु प्रयत्न करना चाहिए।
16. कक्ष अधिकारी को चाहिए कि लिपिक वर्ग से अनावश्यक पत्राचार न करें। यदि किसी कर्मचारी की भूल का पता चले तो, पहले मौखिक रूप से विभागीय अधिकारी के माध्यम से, कुलसचिव के ध्यान में बात लाई जावे।

17. विश्वविद्यालय की सामान्य कार्य प्रणाली- संबंधित अन्य नियमों के पालन के लिए कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक उत्तरदायी है। अतः उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाता है।
18. कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी के द्वारा विशेष प्रकरणों में, अपेक्षा किए जाने पर, संबंधित मामले पर कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा टीप लिखी जानी चाहिए।
19. कुलसचिव एवं विभागीय अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत संबंधित नस्तियों को कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक द्वारा एक विभाग/शाखा से दूसरे विभाग/शाखा में भेजा जा सकता है।
20. आवश्यकता होने पर कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक स्वविवेक से किसी भी लिपिक को कोई भी कार्य करने के लिए कह सकता है, चाहे वह कार्य उसके सामान्य कर्त्तव्यों के अंतर्गत आता हो अथवा न आता हो।
21. सौंपे गये कार्य की गोपनीयता को बनाये रखना।
22. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव की बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालयीन दस्तावेज किसी को न देना।
23. प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भेजे जाने वाले पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर अंकित करना।
24. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव द्वारा निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करने हेतु तत्पर रहना।
25. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव के निर्देशानुसार लोक सूचना अधिकारी के रूप में कर्त्तव्य का निर्वहन करना।
26. चूंकि कक्ष अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक का पद जिम्मेदारी का पद है। अतः वे विभिन्न संघों के आव्हान पर भी हड़ताल इत्यादि में भाग नहीं ले सकेंगे।
27. सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निश्चित समयावधि पर नियमानुसार जानकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना, ताकि निःशुल्क जानकारी दिये जाने पर अकारण शासकीय अपव्यय को रोका जा सके। विलम्ब से कार्य करने पर हुए अपव्यय की संबंधित से वसूली।
28. विभाग में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कम्प्यूटर, फोटोकॉपियर, प्रिंटर, फोन आदि) का बेहतर रखरखाव, इसके दूरूपयोग को रोका जाना। शासकीय स्टेशनरी के निज-प्रयोग पर अंकुश लगाना।
29. विभाग में अन्य विभाग के कर्मचारियों के अनावश्यक प्रवेश/कार्य हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना।
30. विभाग की स्वच्छता एवं स्वस्थ्य वातावरण बनाये रखने अधीनस्थों को प्रेरित करना।
31. आवश्यकतानुसार प्रतिमाह मीटिंग कर, अधीनस्थों द्वारा किये गये कार्य, उस पर होने वाली कठिनाईयों की समीक्षा करना।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद- निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग- 2, उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग- 1 एवं कनिष्ठ अधिक्षक की भूमिका, अपेक्षित योग्यताएं एवं कर्त्तव्य

भूमिका-

शाखा लिपिक ऐसा वरिष्ठ लिपिक होना चाहिए, जो सामान्यतः सेवा के संबंध में वरिष्ठता प्राप्त हो। यह कार्य किसी अनुभवी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए।

योग्यताएं-

1. शाखा के विभिन्न कार्यों से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं का सम्पूर्ण ज्ञान रखना।
2. सभी नियत कालीक प्रविवरण, विवरण और रिपोर्ट आदि समय पर तैयार करने एवं कार्यवाही करने की क्षमता का होना।
3. नोट लिखने, प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्यालयीन कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी का होना।
4. शाखा से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करना एवं प्रभारी अधिकारी तथा कुलसचिव द्वारा सौंपे गये अन्य विषयों के संबंध में पत्र व्यवहार करने की क्षमता का होना।
5. शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति गंभीरता होनी चाहिए।
6. प्रक्रियाधीन कार्यवाही से संबंधित गोपनीयता बनाये रखने की क्षमता होनी चाहिए।
7. कक्ष अधिकारी एवं उप कुलसचिव के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।

कार्यालय सहायक/शाखा लिपिक के कर्त्तव्य-

(अ) महत्वपूर्ण कर्त्तव्य-

1. शाखा लिपिक का यह कर्त्तव्य है कि वह शाखा के अभिलेखों को सुरक्षित रखे।
2. सभी नियत कालीक प्रविवरण, विवरण और रिपोर्ट आदि समय पर तैयार करना एवं कार्यवाही करना।
3. सभी प्रविवरण, रिपोर्ट आदि को कुलसचिव के समक्ष प्रेषण के पूर्व सावधानी पूर्वक जांच करना।
4. सभी अधिनियमों, पुस्तकों में आवश्यक संशोधन को अंकित करेगा या चिपकाएगा।
5. शाखा से संबंधित समस्त पत्र व्यवहार करना एवं प्रभारी अधिकारी तथा कुलसचिव द्वारा सौंपे गये अन्य विषयों के संबंध में पत्र व्यवहार करना।
6. नोट लिखने, प्रारूप तैयार करने संबंधी कार्यालयीन कार्य प्रणाली की पूरी जानकारी रखनी चाहिए।
7. महत्वपूर्ण एवं उलझे हुये विषयों पर पत्र व्यवहार करना एवं उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों को देखते हुये कार्य कर सकने के योग्य होना।
8. समय पर स्मरण पत्र जारी करना।
9. माह में न निपटायें गये कार्यों की मासिक सूची तैयार कर निर्धारित तिथि (समीक्षा बैठक) पर प्रभारी अधिकारी/ कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
10. सौंपे गये कार्य की गोपनीयता को बनाये रखना।
11. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव की बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालयीन दस्तावेज किसी को न देना।
12. प्रकरण में सक्षम स्वीकृति के उपरांत भेजे जाने वाले पत्रों पर प्रति हस्ताक्षर अंकित करना।

13. सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव द्वारा निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सौंपे गये कार्यों को सम्पन्न करने हेतु तत्पर रहना।

(ब) सामान्य कर्त्तव्य-

1. शाखा में पत्र प्राप्त होते ही प्रकरण की प्राथमिकता के अनुसार तत्काल/प्राथमिकता (समय-सीमा) की पर्ची चिपकाना।
2. संबंधित पत्र प्राप्त होते ही नस्ती तैयार करना एवं उस पर तुरंत कार्यवाही कर प्रस्तुत करना।
3. प्राप्त पत्र का तत्काल पंजीयन करना।
4. सभी आवश्यक पत्रों को तत्काल प्रभारी अधिकारी/कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
5. सभी विधान सभा, लोक सभा से प्राप्त प्रश्नों का तत्काल जवाब बनाकर प्रभारी अधिकारी/कुलसचिव के समक्ष प्रस्तुत करना।
6. राजभवन एवं शासन के विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों का जवाब समय-सीमा में प्रेषित करना।
7. आवश्यकतानुसार प्राप्त पत्रों एवं दी जाने वाली जानकारी एवं नियमों को दर्शाने वाले ध्वज को कागज के ऊपर पिन से लगाना।
8. न्यायालयीन आदेशों/अपीलों के मामले में आदेशों पर पर्ची लगाकर मूल आदेश या अपीलीय आदेश शब्द लिखना चाहिए।
9. किसी भी विषय पर आदेश के लिये, मामला प्रस्तुत करने के पूर्व, सभी संबंधित कागज/नियम उचित रूप से प्रस्तुत किये गये है।
10. यदि आवश्यक हो तो कर्मचारी उस पर नोट (टीप) लिखेगा।
11. यदि साधारण प्रकृति का पत्र हो तो प्रारूप प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे प्रकरण में कोई नोट (टीप) लिखना आवश्यक नही है।
12. प्रकरण के संबंध में नोट (टीप) ठीक-ठीक एवं संक्षिप्त होनी चाहिए।
13. महत्वपूर्ण मामले में लागू होने वाले नियमों, अधिनियमों और हिदायतों का हवाला दिया जाना चाहिए।
14. टंकन संबंधी कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।
15. आबंटित कार्य स्वयं संपादित किया जाना एवं आवश्यकता होने पर वरिष्ठों से मार्गदर्शन प्राप्त करना। सहयोगी कर्मियों के कार्य में हस्तक्षेप केवल आदेशित किये जाने पर वांछित है।
16. रफ कार्य हेतु विभाग में उपलब्ध अनुपयोगी कागज के उपयोग को बढ़ावा देना।
17. आबंटित कम्प्यूटर, फोटो कॉपी पेपर, फेक्स इत्यादि की समुचित देखभाल कराना।
18. त्रुटिहीन एवं उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाना।

विषय : विश्वविद्यालय में अधिकारियों के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आगामी सेवावृद्धि के संबंध में ।

टीप : पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एवं पुराना विश्वविद्यालय है, जहां 28 अध्ययनशाला के अंतर्गत एम.ए., एम.एस–सी., बी.फॉर्मा., एम.फॉर्मा., एम.फिल., बी.पी.एड., एम. पी.एड. एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ–साथ शोध कार्य संचालित हैं। इस विश्वविद्यालय से 239 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं तथा कुल 665 कर्मचारी (शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक) कार्यरत हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतर्गत दो हजार से अधिक प्रश्न पत्रों में परीक्षाएं वार्षिक प्रणाली (वार्षिक एवं पूरक) एवं सेमेस्टर प्रणाली (दो बार) में आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के माध्यम से परीक्षा परिणाम से लेकर सभी कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करते हुए निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अधिकारियों की नितांत आवश्यकता है।

इस विश्वविद्यालय में उपकुलसचिव के 04 पद, सहायक कुलसचिव के 06 पद, अधिष्ठता छात्र कल्याण के 01 पद, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् के 01 पद, वित्त अधिकारी के 01 पद, विश्वविद्यालय यंत्री के 01 पद स्वीकृत है। वित्त अधिकारी एवं विश्वविद्यालय यंत्री का पद प्रतिनियुक्ति का पद है। शेष पदों पर नियमित नियुक्ति की जा सकती है। अधिकारियों की नियुक्ति (उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं कुलसचिव को छोड़कर)के संबंध में परिनियम–20 प्रचलित है। उपकुलसचिव, सहायक कुलसचिव एवं कुलसचिव की नियुक्ति के अधिकार विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के अनुसार शासन को है। विश्वविद्यालय में कुलसचिव एवं उपकुलसचिव के एक पद पर पदस्थापना की गई है। शेष पद लंबे समय से रिक्त हैं। लंबे समय तक नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय के पहल पर शासन के द्वारा 03 वर्ष पूर्व उपकुलसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध 02 सेवानिवृत्त प्राचार्यों डॉ. जे.एल. गंगवानी एवं डॉ. आर. के. अग्रवाल की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष के लिए संविदा आधार पर की गई। पुनः एक वर्ष वर्ष के लिए संविदा सेवावृद्धि की गई। तत्पश्चात् तीसरे वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति में कोई वृद्धि नहीं की गई। परंतु अधिकारियों की नितान्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्यपरिषद् के अनुमोदन से एक वर्ष की सेवावृद्धि की गई, जिसकी अवधि दिनांक 15.07.2015 को समाप्त हो चुकी है।

इसी प्रकार वित्त अधिकारी के पद के विरूद्ध 02 वर्षों तक शासन द्वारा अनुमति दी गई, परंतु तीसरे वर्ष की अनुमति अप्राप्त है। कार्यपरिषद् के अनुमोदन से इस पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी श्री बी.सी. विश्वास संविदा पर कार्यरत हैं, जिसकी कार्यावधि दिनांक 31.07.2015 को समाप्त हो रही है।

इसी प्रकार विश्वविद्यालय यंत्री के पद पर शासन द्वारा लंबे समय से नियुक्ति नहीं की गई। विश्वविद्यालय में लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत अनेक योजनाएं संचालित हैं। जिसके निरीक्षण एवं यांत्रिकी से संबंधित कार्य सुनिश्चित करने हेतु कार्यपरिषद् के अनुमोदन से श्री के.पी. तिवारी, सेवानिवृत्त यंत्री की नियुक्ति संविदा पर की गई है, जिसकी अवधि दिनांक 18.08.2015 को समाप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त लेखा अधिकारी के पद पर श्री के.पी. यादव, सेवानिवृत्त अधिकारी संविदा पर कार्यरत हैं, जिसकी समयावधि दिनांक 15.08.2015 को समाप्त हो रही है।

अधिष्ठाता, छात्रकल्याण के पद दिनांक 06.03.2015 से रिक्त है। विश्वविद्यालय के नियमित गतिविधियों को निर्धारित अवधि में पूरा करते हुए सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के संबंध में कर्मचारियों के सफल मार्गदर्शन के लिए अधिकारियों की नितांत आवश्यकता है। विश्वविद्यालय में नैक (NAAC) की टीम का दौरा दिसंबर 2015/जनवरी, 2016 में प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षकीय पदों पर कार्यरत शिक्षकों को संबंधित विभाग में कार्य करना आवश्यक है। शैक्षणिक 61 पद अभी भी रिक्त हैं, जिस पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी की गई है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्य में लिए जाने से शैक्षणिक गतिविधियों पर अवरोध उत्पन्न होता है तथा इसके साथ वे पूर्णकालिक सेवाएं प्रशासनिक कार्यों में नहीं दे पाते, जिससे उनका नियंत्रण संबंधित विभाग पर नहीं होता। जिसके कारण राजभवन, यूजीसी, न्यायालयीन प्रकरणों एवं संबंधित महाविद्यालयों से संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण संभव नहीं होता है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उपनियम 4(1) एवं (2) में निम्नानुसार संविदा नियुक्ति का पद मान्य किया गया है :

1. ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हो।
2. विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

   छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के उपनियम 7(2) के अनुसार सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो के लिये दी जा सकेगी।

विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में अधिकारियों की सेवावृद्धि के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

1. विश्वविद्यालय के शिक्षकों से विभागाध्यक्षों के माध्यम से पत्र लिखकर प्रशासनिक पद पर कार्य करने हेतु सहमति प्राप्त किया जावे, यदि सहमत हों तो उन्हें प्रशासन में संविदा अधिकारियों के स्थान पर प्रशासनिक कार्य हेतु पदस्थ किया जावे।
2. क्रम संख्या 01 में विश्वविद्यालय शिक्षकों को सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को उपकुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव के रिक्त पद पर शीघ्र पदस्थापना करने हेतु पत्र लिखा जावे। नियमित नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना करने हेतु निवेदन किया जावे।
3. उपरोक्त व्यवस्था होने तक संविदा पर अधिकारियों से सेवाएं ली जावे ताकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य प्रभावित न हो।

इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से कुल 04 आवेदन प्रशासनिक कार्य हेतु प्राप्त हुए हैं। विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त अधिकारियों के कार्यावधि वृद्धि के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद् के समक्ष निर्देशार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. The Executive Council shall appoint a Selection Committee consisting of the Kulapati who shall be the Chairman of the Selection Committee, one nominee of the Executive Council from amongst its members and one nominee of the Kuladhipati not connected with the University to recommend the names of candidates for appointment to the offices mentioned in paragraph (1). The Registrar shall be the Secretary of the Selection Committee. The Committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the Executive Council shall make appointment from the panel.

*Provided that in case of appointment to the post following posts, the Selection Committee shall be constituted in accordance with the provision contained under Section 49(2) of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973.

Library

1. Librarian
2. Deputy Librarian
3. Assistant Librarian/Senior Technical Assistant

Physical Education

1. Director
2. Deputy Director
3. Assistant Director/Sports Officer.

6. The Officers mentioned in this Statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances medical benefit, provident fund and other benefits and their other terms and conditions of service including the age of retirement shall be such as may be prescribed by the University for the employee of the University:

Provided that where an officer is a serving or retired employee of the Central Government or any State Government, he shall not be entitled to the benefit of contributory provident fund.

7. The powers and duties of each Officer except the Finance Officer mentioned in this Statute shall be such as the Executive Council may determine.

Note : The provisions of this statutes are subject to the overriding provisions of section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 and M.P. State University Service rules, 1982.

---

* Inserted by amendment approved by the Coordination Committee on 12.12.1990.

5. The Executive Council shall appoint a Selection Committee consisting of the Kulapati who shall be the Chairman of the Selection Committee, one nominee of the Executive Council from amongst its members and one nominee of the Kuladhipati not connected with the University to recommend the names of candidates for appointment to the offices mentioned in paragraph (1). The Registrar shall be the Secretary of the Selection Committee. The Committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the Executive Council shall make appointment from the panel.

*Provided that in case of appointment to the post following posts, the Selection Committee shall be constituted in accordance with the provision contained under Section 49(2) of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973.

Library

1. Librarian
2. Deputy Librarian
3. Assistant Librarian/Senior Technical Assistant

Physical Education

1. Director
2. Deputy Director
3. Assistant Director/Sports Officer.

6. The Officers mentioned in this Statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances medical benefit, provident fund and other benefits and their other terms and conditions of service including the age of retirement shall be such as may be prescribed by the University for the employee of the University:

Provided that where an officer is a serving or retired employee of the Central Government or any State Government, he shall not be entitled to the benefit of contributory provident fund.

7. The powers and duties of each Officer except the Finance Officer mentioned in this Statute shall be such as the Executive Council may determine.

Note : The provisions of this statutes are subject to the overriding provisions of section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 and M.P. State University Service rules, 1982.

----

* Inserted by amendment approved by the Coordination Committee on 12.12.1999.

43

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया मंत्रालय–रायपुर

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम – 2012 का नियमन।

---:00:---

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2004 को विलोपित करते हुये, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 का नियमन राजपत्र में दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ है। नियम की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न है। कृपया संलग्न नियम के आधार पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए संविदा नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

17/1/13
(एम.आर. ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर, दिनांक 17 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
5. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री जी/मान. मंत्री जी/मान राज्यमंत्री जी/मान. संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़।

(44)

6. सचिव, लोक आयोग, रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
9. सचिव, सूचना आयोग, रायपुर
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर।
13. सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर।
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर।
15. अवर सचिव/ स्थापना/ अधीक्षण/ अभिलेख/ मुख्यलेखाधिकारी मंत्रालय, रायपुर।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
17. संचालक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
18. समस्त कोषालय अधिकारी/वित्त अधिकारी, छत्तीसगढ़।
19. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
20. संचालक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http://www.cg.nic.in/gad पर अपलोड करने बाबत्।
21. सामान्य प्रशासन विभाग, कर्मचारी कल्याण शाखा की ओर 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित समस्त अस्थाई मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों को भेजने हेतु अग्रेषित।

[signature] 7/11/13

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

(ङ) "उच्च पद" से अभिप्रेत है सेवानिवृत्ति के समय धारित पद से "एक उच्च पद";

(च) "सेवानिवृत्त शासकीय सेवक" से अभिप्रेत है शासकीय सेवा से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक या शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर सेवा मुक्त हुए शासकीय सेवक.

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— ये नियम प्रत्येक ऐसे पद/पदों के संबंध में एवं उन पर इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति या नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगे जिन पद/पदों को राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत संविदा नियुक्ति का पद घोषित किया जाये।

4. **संविदा नियुक्ति के पद.**—निम्नलिखित पद संविदा नियुक्ति के पद कहलायेंगे :—

(1) ऐसे पद जो विभागीय सेटअप में संविदा पद के रूप में स्वीकृत हों।

(2) विभागीय सेटअप में नियमित स्थापना में स्वीकृत ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष या उससे अधिक अवधि लगना संभावित हो।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनके लिये न्यूनतम अर्हता प्राप्त शासकीय सेवक उपलब्ध न होने के कारण अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से पदोन्नति से पद की पूर्ति एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक संभव न हो।

(4) विभागीय भर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, ऐसे पद जिनके लिए विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता आवश्यक हो को राज्य सरकार अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में, लोक प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, संविदा नियुक्ति का पद घोषित कर सकेगी।

(5) मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की निजी स्थापना के ऐसे स्वीकृत पद जिन पर नियुक्ति मुख्यमंत्री/मंत्रीगण की पदावधि (को-टर्मिनस) तक के लिये की जाती हो।

5. **नियुक्ति का तरीका.**— संविदा नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जा सकेगी :—

(एक) नियम 4(1) में विहित पदों पर लोक विज्ञापन के माध्यम से;

(दो) नियम 4(2) एवं (3) में विहित पदों पर सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति द्वारा;

(तीन) नियम 4(4) में विहित पदों पर, अपवादात्मक विशिष्ट प्रकरणों में गैर शासकीय व्यक्ति विशेष अथवा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की विशेषज्ञता, अनुभव एवं विशिष्ट योग्यता तथा पद हेतु उसकी उपयुक्तता के आधार पर, वित्त विभाग की सहमति के उपरांत, सीधे संविदा नियुक्ति द्वारा;

(चार) नियम 4(5) में विहित पदों पर मुख्यमंत्री/मंत्रीगण द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की, पद के लिये निर्धारित अर्हता/पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर।

6. **चयन समिति.**— (1) नियम 4(1) या (2) में विहित पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये चयन समिति वही होगी जो विभागीय भर्ती नियम में विहित हो :

परन्तु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु चयन समिति में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के स्थान पर, शासन, किसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव को नामांकित कर सकेगा।

(2) चयन समिति के गठन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, [redacted] अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, [redacted] 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

[redacted] आयु सीमा.– (1) संविदा नियुक्ति के लिये आयु सीमा वही होगी जो संबंधित [redacted] पद या सेवा हेतु विभागीय भर्ती नियम में विहित हो:

परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर [redacted] जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।

[redacted] 2) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष [redacted] की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा [redacted] सकेगी।

[redacted] नियुक्ति के लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड.– (1) सेवानिवृत्त शासकीय [redacted] सेवकों के मामलों को छोड़कर, संविदा नियुक्ति के अन्य मामलों में नियुक्ति के [redacted] लिए अर्हताएँ तथा पात्रता मापदण्ड वे ही होंगे, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल [redacted] सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 एवं 6 में विहित है।

[redacted]) (क) सीधी भर्ती के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अन्य अर्हताएँ वही होंगी जो उक्त पद हेतु विभागीय भर्ती नियमों में विहित है;

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

[redacted] वानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के लिए अनर्हताएँ.– (एक) [redacted] वा अभिलेखों में निष्ठा प्रमाणित नहीं होने पर;

[redacted]) सेवा अभिलेख में विगत तीन वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन/कार्य मूल्यांकन का वर्गीकरण बहुत अच्छा अथवा/या उससे उच्च स्तर का न होने पर;

[redacted] न) विभागीय जांच/अभियोजन लंबित होने पर;

[redacted] र) सेवा में रहते हुए अंतिम वर्ष में दंडित होने पर;

च) पेंशन रोकने के दंड से दंडित होने पर;

[redacted]) सेवा से पदच्युत किये जाने/हटाये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये जाने पर;

(47)

विषयः— कर्मचारी संघ के आव्हान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में निर्देशार्थ प्रस्तुत।

टीपः— विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के आव्हान पर विभिन्न विभागों एवं अध्ययनशाला में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपनी विभिन्न 11 सूत्रीय मांगों के परिप्रेक्ष्य में हड़ताल की गई थी। कर्मचारी दिनांक 04.06.2015 को सांकेतिक एवं इसके पश्चात् दिनांक 05.06.2015 से 12.06.2015 तक अपने कार्य पर हड़ताल के दौरान उपस्थित नहीं हुए।

कर्मचारी संघ के आव्हान पर दिनांक 05.06.2015 से 12.06.2015 तक समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे जबकि उन्हें कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में कार्यपरिषद् सदस्यों की उपसमिति की अनुशंसाओं के अनुमोदन की जानकारी अध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित की गई थी।

छात्रों एवं पालको की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिनांक 03.06.2015 एवं दिनांक 05.06.2015 को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर कुछ विभागों के कर्मचारियों की सेवाओं को अनिवार्य सेवाएँ घोषित किया गया था। अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् भी सभी कर्मचारी (कुछ कर्मचारियों को छोड़कर) अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए। जिसके कारण विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एवं विभिन्न कार्यों से आने वाले छात्र–छात्राओं एवं पालकों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा एवं परीक्षा कार्य तथा परीक्षा परिणाम की घोषणा में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ। कुलसचिव की कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि के बीच दिनांक 12.06.2015 को हुई चर्चा के उपरांत सहमति के आधार पर दिनांक 12.06.2015 को हड़ताल स्थगित हुई एवं कर्मचारी दिनांक 15.06.2015 को कार्य पर उपस्थित हुए। पूर्व में भी कर्मचारी संघ के आव्हान पर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई थी उक्त हड़ताल अवधि का समायोजन कर्मचारियों के अर्जित अवकाश से किया गया था।

कर्मचारी संघ की मान्यता से संबंधित रेगुलेशन, कुलसचिव एवं कर्मचारी संघ के बीच हुई चर्चा उपरांत सहमति पत्र दिनांक 12.06.2015 संलग्न है।

कर्मचारी संघ के आव्हान पर दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हड़ताल पर होने के कारण कर्मचारियों द्वारा कार्य नहीं किया गया। हड़ताल अवधि के संबंध में प्रकरण निर्देशार्थ प्रस्तुत।

क्रमांक: 1868 /सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक 03/6/2015

48

//अधिसूचना//

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के सभी विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों, विभागीय कक्ष अधिकारियों, परीक्षा विभाग में सेमेस्टर परीक्षाओं से संबंधित कर्मचारियों, गोपनीय विभाग के समस्त कर्मचारियों, वित्त विभाग के कैश काउण्टर से संबंधित कर्मचारियों, उपाधि एवं माइग्रेशन प्रदान करने से संबंधित कर्मचारियों, कुलसचिव एवं कुलपति कार्यालय के कर्मचारियों एवं यांत्रिकी विभाग के सभी कर्मचारियों की सेवाएँ **"अनिवार्य सेवाएँ"** घोषित की जाती हैं।

अतः इन सभी विभागों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि-- वे अपने निर्धारित कर्तव्य निर्धारित समय में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यालयीन निर्धारित अवधि में, नियमित रूप से कार्य संपन्न करें।

अनिवार्य सेवाओं से जुड़े इन कर्मचारियों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कर्तव्य के प्रति कोताही की जाती है तो उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 1861 /सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक: 03 / 6 /2015

प्रतिलिपिः–

1. सभी संबंधित विभागों के विभागध्यक्षों को ईस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि– वे अपने विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे अवगत करावें। साथ ही की गयी कार्यवाही की एक प्रति यथाशीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग में अनिवार्य रूप जमा करें।
2. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष प. र.शु. वि.वि. कर्मचारी संघ को सूचनार्थ इस आशय के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी को अवगत करावें।
3. कुलपति जी के सचिव/ कुल सचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

ई मेल– registrarprsu@gmail.com , फोन नं.– 0771-2262540

49

क्रमांक/ 516 /कु.स./2015

रायपुर, दिनांकः 5 /06/2015

//अधिसूचना//

पूर्व में जारी अधिसूचना कमांक 1860/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांक 03.06.2015 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय परिसर में स्थित समस्त छात्रावास (महिला/पुरूष), अतिथि–गृह में कार्यरत कर्मचारी, समस्त चौकीदार, स्वास्थ्य केन्द्र, जल वितरण, सफाई कार्य, प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी, एवं प्रशासनिक भवन मे पदस्थ समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों की सेवाओं को भी **"अनिवार्य सेवाएँ"** घोषित की जाती है।

अतः उक्त सभी सेवाओं से संबंधित सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि– वे अपने निर्धारित कर्तव्य पर निर्धारित समय में नियमित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कार्यालयीन अवधि में नियमित रूप से कार्य संपन्न करें।

अनिवार्य सेवाओं से संबंधित जुड़े सभी कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कर्तव्य के प्रति कोताही की जाती है तो उनके विरूद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांक/ 517 /कु.स./2015

रायपुर, दिनांकः 5 /06/2015

प्रतिलिपिः–

1. सभी संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों को इस निर्देश के साथ सूचनार्थ कि–वे अपने विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इससे अवगत करावें। साथ ही की गयी कार्यवाही की प्रति यथाशीघ्र अद्योहस्ताक्षरकर्ता के विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करें।
2. श्री श्रवण सिंह ठाकुर, अध्यक्ष, पं. र.शु.वि.वि. कर्मचारी संघ को सूचनार्थ इस आशय के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी को अवगत करावें।
3. उप कुलसचिव प्रशासन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ।

कुलसचिव

C:\Users\HP\Documents\REGISTRAR OFFICE\REGISTRAR COMPUTER\LETTER-2

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
Phone No-0771-2262587 Website: prsu.ac.in,
Email:- adm.prsu@yahoo.in

50

क्रमांकः 1862 /सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांकः 03/6/2015

प्रति,

श्री श्रवण सिंह ठाकुर,
अध्यक्ष, पं. र.शु.वि.वि. कर्मचारी संघ,
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— प्रशासनिक भवन अन्दर एवं मेन गेट के अहाते में कर्मचारी संघ की मांगों को लेकर प्रदर्शन न करने बावत्।

संदर्भः— **1. आपका पत्र कमांक 517/क.सं/2015 रायपुर, दि. 01.06.2015**
2. वि.वि. का पत्र कमांक 1766/सा.प्रशा./2015 रायपुर, दि.29.05.2015

विषयान्तर्गत लेख है कि— आपके द्वारा वि.वि. को पत्र क.501/क.स./2015 दिनांक 22.04.2015 प्रेषित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष 11 सूत्री मांगों से संबंधित मांग—पत्र प्रस्तुत किया गया था।

उक्त मांग पत्र को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.05.2015 में लिए गए निर्णय के उपरांत, कर्मचारी संघ के मांग पत्र के विभिन्न बिन्दुओं का परीक्षण कर निराकरण हेतु गठित उप समिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को आयोजित की गयी थी। उप समिति द्वारा की गयी सभी अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 में अनुमोदित किया गया था। जिसकी सूचना आपको इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 02 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

विदित हो कि— उपसमिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को डी.सी.डी.सी. कक्ष में समिति के द्वारा आपको बैठक कक्ष में बुलाकर यह कहा गया था कि— आपके द्वारा प्रेषित मांग—पत्र की विभिन्न बिन्दुओं पर समिति विचार कर अपनी अनुशंसाएँ माननीय कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावेगी **फिर भी— इन बिन्दुओं के अतिरिक्त और कुछ कहना चाहते हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं।**

उपसमिति की बैठक के दौरान आप स्वयं अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए थे एवं आपके साथ संघ की कार्यकारिणी के सदस्य श्री रामेश्वर राठौर भी उपस्थित हुए थे तथा आप दोनों के द्वारा मांग—पत्र के एक—एक बिन्दु पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपसमिति द्वारा आपको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय भी दिया गया था। जिसका उल्लेख उनके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा संबंधी रिपोर्ट में किया गया है।

अब जब उपसमिति द्वारा मांग—पत्र के विभिन्न बिन्दुओं पर की गयी अनुशंसा, विश्वविद्यालय के मान. कार्यपरिषद् की आपातकालीन बैठक दिनांक 29.05.2015 में अनुमोदन हो चुका है एवं इसकी सूचना आपको उपरोक्त संदर्भित पत्र कमांक 02 के द्वारा दी जा चुकी है। तब ऐसा कहना कि— इस पर हमने बिन्दुवार अपना पक्ष रखा गया, लेकिन उपसमिति 11 सूत्री मांगों पर अपना अभिमत वि.वि. प्रशा. द्वारा प्रस्तुत की गई टीप पर विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

पत्र के अनुसार— कर्मचारियों ने यह माना कि इस प्रतिवेदन में संघ के पदाधिकारियों के पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः कर्मचारियों की आम सभा मे कर्मचारियों ने उपसमिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को एक पक्षीय होने के कारण स्वीकार नहीं किया है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की उपसमिति की बैठक दिनांक 18.05.2015 को आयोजित थी तथा विश्वविद्यालय की आपातकालीन बैठक में दिनांक 29.05.2015 को अनुमोदन होने के पश्चात् इस बीच इन 15 दिनों में आपके द्वारा कभी भी यह जानकारी नहीं दी गयी कि— कर्मचारी संघ को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया या आपने कभी इस बीच ऐसी मांग भी नहीं की अर्थात् आपको पक्ष न रखने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी।

अब ऐसा कहना कि संघ के पदाधिकारियों का पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि– आप अपने संघ के कर्मचारियों को वस्तुस्थिति से अवगत न कराकर उन्हें गुमराह करते हुए भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अब जब आपको चरणबद्ध आन्दोलन समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है तो इसके बाद **ऐसा कहना उचित प्रतीत नहीं होता है कि– आपका पक्ष नहीं सुना गया था।**

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में कुलपति महोदय/कुलसचिव से विभिन्न कार्यों से छात्र–छात्राओं के पालक, शासकीय अधिकारी एवं विभिन्न नागरिक आते–जाते रहते हैं वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षाएँ संचालित हो रही हैं तथा विभिन्न परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जाने हैं। विश्वविद्यालय का अस्तित्व छात्र–छात्राओं के कारण ही बना रहता है।

इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अतिमहत्वपूर्ण एवं आवश्यक विभागों से जुड़े कर्मचारियों की सेवाएँ **अनिवार्य सेवाएँ** घोषित की जा चुकी है। अतः आप अपने संघ के सभी संबंधित कर्मचारियों को अवगत करावें कि– वे अपने कर्तव्य पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि– चरणबद्ध आन्दोलन यथाशीघ्र समाप्त करें यदि चरणबद्ध आन्दोलन के अन्तर्गत हड़ताल/प्रदर्शन जारी रखने संबंधी निर्णय पत्रानुसार लिया गया है तो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के अन्दर एवं अहाते के सामने न करें ताकि आने–जाने वालों को किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्रमांकः 1863 /सा.प्रशा./2015 रायपुर, दिनांकः 03/6 /2015

प्रतिलिपिः–

1. मान. राज्यपाल के उप सचिव, राज–भवन रायपुर (छ.ग.)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, तृतीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)
3. जिलाधीश, जिला–रायपुर, छ.ग. को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला–रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
5. थाना प्रभारी, सरस्वती नगर थाना, रायपुर को कर्मचारी संघ द्वारा की जा रही चरणबद्ध हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. कुलपति जी के सचिव/ कुल सचिव के निजी सहायक, प. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

कुलसचिव

52

(विनियम १०२ में समायोजित)

विनियम क्रमांक २५ (कार्य परिषद २१-१-७३)

रविशंकर विश्वविद्यालय कर्मचारी (कर्मचारी संघो की मान्यता) नियम

१. संक्षिप्त नाम : ये नियम रविशंकर विश्वविद्यालय (कर्मचारी संघो की मान्यता) नियम कहलायेंगे।

२. परिभाषाऐ : इन नियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- क. विश्वविद्यालय से तात्पर्य रविशंकर विश्वविद्यालय है।
- ख. विश्वविद्यालय कर्मचारी से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जिसकी रविशंकर विश्वविद्यालय सेवा अध्यादेश लागू होते हों।

३. सेवा संघों की मान्यता के लिए शर्ते : इन नियमों के प्रारभं होने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कर्मचारी संघ को तब तक मान्यता नहीं दी जावेगी जब तक कि निम्नलिखित समस्त शर्ते पूरी न की जाय अर्थात :

- क. कर्मचारी संघ की मान्यता के लिए आवेदन पत्र दिया जाय जिसमें ऐसी मान्यता से संगत समस्त जानकारी हो।
- ख. कर्मचारी संघ का निर्माण मुख्यत: उनके सदस्यों के सामान्य सेवा संबंधी हितों की अभिवृद्धि के उदेश्य से किया गया हो।
- ग. कर्मचारी संघ की सदस्यता ऐसा सामान्य हित रखने वाले विश्वविद्यालय कर्मचारी की विशेष कोटि तक ही सीमित हो ऐसे समस्त विश्वविद्यालय कर्मचारी उस कर्मचारी संघ की सदस्यता के लिए पात्र होगें।
- घ. कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय कर्मचारी न हो, कर्मचारी संघ के कार्यो से संबंधित न हो।
- ड. कर्मचारी संघ की प्रबंधकारिणी की नियुक्ति केवल सदस्यों में से ही की गई हो, और
- च. कर्मचारी संघ की निधियां केवल सदस्यों द्वारा दिये गये चंदों और विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अनुदानो से, यदि कोई हो, निर्मित हो और उनका उपयोग केवल कर्मचारी संघ के उद्देश्यों की अग्रसर करने के लिए ही किया जाता हो।

४. वे शर्ते जिनके अधीन रहते हुए मान्यता दी जाती है : प्रत्येक कर्मचारी संघ जिसे नियमों के अधीन मान्यता प्रदान की गई हो निम्नलिखित शर्तो का पालन करेगा अर्थात :

- क. कर्मचारी संघ किसी ऐसे विषय के संबंध के अतिरिक्त जो कि कर्मचारी संघ के सदस्यों के सामान्य हित का हो, अभ्यावेदन या शिष्टमंडल नहीं भेजेगा।
- ख. कर्मचारी संघ सेंवा संबंधी विषयों से किसी वैयक्तिक विश्वविद्यालय कर्मचारी के पक्ष को न तो ग्रहण करेगा और न ही उसका समर्थन करेगा।
- ग. कर्मचारी संघ कोई राजनैतिक निधि नहीं रखेगा और न ही किसी राजनैतिक दल या राजनीतिज्ञ के विचारों का प्रसार करने के काम में जावेगा।
- घ. कर्मचारी संघ द्वारा समस्त अभ्यावेदन उचित प्रणाली द्वारा भेजे जायेंगे और सामान्यतया वे कुलसचिव को संबोधित किये जायेंगे।
- ड. कर्मचारी संघ द्वारा समस्त सदस्यों तथा पदाधिकारियों की सूची उसके नियमों की अद्यतन प्रति और उसके लेखाओं का लेखा परीक्षा किया गया विवरण, सामान्य वार्षिक अधियेशन के पश्चात उचित प्रणाली द्वारा विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष इस प्रकार भेजे जावेगें जिससे वे प्रत्येक वर्ष एक जुलाई के पूर्व विश्वविद्यालय के पास पहुंच जायें।
- च. कर्मचारी संघ के नियमों में सारवान प्रकार का कोई भी संशोधन केवल विश्वविद्यालय के पूर्वानुमोदन से ही किया जायेगा और अल्प महत्व का अन्य संशोधन विश्वविद्यालय की जानकारी के लिए भेजे जाने की उचित प्रणाली द्वारा सूचित किया जायेगा।
- छ. कर्मचारी संघ किसी अन्य यूनियन, कर्मचारी संघ या फेडरेशन से यदि सम्बद्ध होना चाहे तो विश्वविद्यालय की पूर्वलिखित अनुज्ञा प्राप्त कर ही सम्बद्ध हो सकेगा।
- ज. कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय के पूर्वानुमोदन के बिना कोई नियतकालिक पत्रिका या विवरणिका का प्रारंभ या प्रकाशन नहीं करेगा।
- झ. कर्मचारी संघ किसी भी नियतकालिक पत्रिका या विवरणिका का प्रकाशन करना उस दशा में बंद कर देगा जबकि विश्वविद्यालय

भ.

ट.

ठ.

ड.

५. मान्यता
३ या नि

६. निर्वचान
निर्दिष्ट

1. This F
2. ELIGI
The f(
i)
ii)
3. Items
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

[illegible] लिए इस आधार पर निर्देश दे कि उसका प्रकाशन केन्द्रीय शासन, किसी राज्य शासन या विश्वविद्यालय [illegible] विश्वविद्यालय कर्मचारी तथा विश्वविद्यालय अधिकारी के बीच अच्छे संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

कर्मचारी संघ कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा या किसी ऐसे कार्य के करने में सहायता नहीं देगा जिससे किसी विश्वविद्यालय कर्मचारी द्वारा किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय सेवा नियमों या उपबंधों में से किसी नियम या उपबन्ध का उल्लघंन होता है।

कर्मचारी संघ किसी विदेशी प्राधिकारी को संबोधित की गई सूचना विश्वविद्यालय के द्वारा ही भेजेगा अन्यथा नहीं और विश्वविद्यालय को उसे रोकने का अधिकार होगा।

कर्मचारी संघ द्वारा या उसकी ओर से किसी पदाधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय को या किसी विश्वविद्यालय पदाधिकारी को संबोधित सूचनाओं में अनादरपूर्ण एवं अनुचित भाषा नहीं होगी, और

कर्मचारी संघ तथा उसकी समितियां अपने अधिवेशन उस प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं करेगी और कोई भी ऐसा अधिवेशन जनता के लिए खुला नहीं होगा। परंतु इस खंड की कोई भी बात कर्मचारी संघ या उसकी समितियों के किसी ऐसे अधिवेशन की दशा में लागू नहीं होगी जो किसी सामाजिक सांस्कृतिक या सदृश प्रकार के अन्य कार्यकलापों के संबंध में बुलाया गया हो और जिसमें किसी ऐसे विषय पर चर्चा न की जाय जिसमें कि विश्वविद्यालय तथा उसके कर्मचारियों के संबंध अन्तर्गत हों।

मान्यता का वापस लिया जाना यदि विश्वविद्यालय की राय में इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त किसी कर्मचारी संघ के नियम-३ या नियम- ४ में दी गई शर्तो का पालन नहीं किया तो विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचरी संघ को दी गई मान्यता वापस ले सकेगा।

निर्वचन यदि इन नियमों के उपबंधों में किसी भी उपबन्ध के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो वह विश्वविद्यालय को निर्दिष्ट किया जायगा। जिस पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

Regulation No. 26

RAVISHANKAR UNIVERSITY RESEARCH ASSISTANCE FUND

1. This Fund will be known as Ravishankar University Research Assistance Fund.
2. ELIGBILITY :

The following shall be eligible for receipt of the assistance from this fund :

i) Students registered for the Doctoral Research Degree of the University in any Faculty of the University shall be eligible for assistance from this fund.

ii) Teachers in the University or in the affiliated colleges of the University working on a specific Research problem for a period of about one year or more shall also be eligible for assistance from this fund.

3. Items which may be purchasesd out of this fund are listed as below :

a) Chemicals (including stairs and seara etc) glass were, Biological material (Animals and plants), Photographic and drawing materials, megnatic tapes for tape recorders.

b) Reprints, Microfilms, Photo States, xerographic copies of rare manuscripts thesis and rare books.

c) Instruments and their replacement parts and components.

d) Customs syntheses and analysis of materials vizi. Analysis of compounds by micro methods including Infrared, ultra violet and visible and Nuclear Magnetic resonance spectra.

e) Expenses on data procesing on electronic and mechanical computers.

f) Assistance to works the publication cost of research papers by the applicant in Journals of repute and purchase of reprints of his published paper upto a maximum of 100 reprints (The payment will be made against the actual bill of the Journal).

g) Any other item not covered by above may be approved of by the committee for sanction of the KUlpati.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607
Website: prsu.ac.in; E-mail id: registrarprsu@gmail.com

54

सहमति–पत्र

पं. रविशंकर शुक्ल कर्मचारी संघ के मांग पत्र कमांक 501/क.सं./2015 दिनांक 22.04.2015 में उल्लेखित 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में आज दिनांक 12.06.2015 को प्रातः 11:00 बजे कुलसचिव कक्ष में कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मण्डल एवं कुलसचिव महोदय के साथ चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत दोनों पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति बनीः–

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 01 के संबंध में:–

1. 2011 की स्थिति में घोषित अंतिम वरिष्ठता सूची के आधार पर आगामी पदोन्नति की कार्यवाही 15 दिनों के भीतर किया जावे।
2. मान. उच्च न्यायालय के प्रकरण 3578/95 के निर्णय के परिपेक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के कोई पात्रता प्राप्त कर्मचारी पदोन्नति के लिए छूट गए हों तो उन्हें पात्रतानुसार पदोन्नति दी जावे तथा इनके पदोन्नति के पश्चात् नियमानुसार आगामी पदोन्नति दी जावे।

उक्त पदोन्नति की कार्यवाही 01 माह के भीतर परीक्षण कर किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 02 के संबंध में:–

अग्रिमों के संबंध में शासन के आदेशानुसार सुविधा प्रदान किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 03 के संबंध में:–

उक्त मांग के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया है जिसकी प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 04 के संबंध में:–

इस संबंध में जहाँ तक संभव हो स्थानांतरण करते हुए पद अनुरूप कार्य लिया जाए तथा लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों से पद अनुरूप कार्य लिया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 05 के संबंध में:–

चिकित्सा प्रतिपूर्ति विकल्प का आदेश शासन के निर्देशानुसार जारी कर दिया गया है।

जिन कर्मचारियों का चिकित्सा प्रतिपूर्ति अभी भी शेष है ऐसे संबंधित कर्मचारियों से संक्षेपिका लेकर वित्त विभाग से परीक्षण करवा कर मान. कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 06 के संबंध में:–

1. अध्यादेश कमांक 45 के प्रावधानों में संशोधन की कार्यवाही त्वरित किया जाए।
2. वित्तीय सत्र 2014–15 में जिनके शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष है तत्संबंध में त्वरित कार्यवाही की जाए।
3. कार्यपरिषद् के कार्यवृत्त दिनांक 10.09.2010 के निर्णय के परिपेक्ष्य में स्ववित्तीय पाठ्यकमों के शिक्षण शुल्क के संबंध में प्रकरण मान. कार्यपरिषद् में प्रस्तुत कर निर्देश प्राप्त किया जावे।

12-6-15 12/6/15 12/6/15 12/6/15 12/6/15

55

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 07 के संबंध में:–

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 08 के संबंध में:–

शासन के निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में अध्यक्ष की अनुमति से विषय कमांक 03 पर निर्णय के बिन्दु कमांक 04 पर लिए गए निर्णयानुसार कार्यवाही किया जावे।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 09 के संबंध में:–

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 10 के संबंध में:–

इस संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। प्रतिलिपि कर्मचारी संघ को प्रदान किया जाए।

मांग पत्र के बिन्दु कमांक 11 के संबंध में:–

इस संबंध में पात्रतानुसार कर्मचारियों का स्थायीकरण किया गया है तथा शेष कर्मचारियों का स्थायीकरण प्रकियाधीन है।

कर्मचारी संघ का सुझावः– बिन्दु कमांक 01 के संबंध में:–

मान. उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक 3578/95 के निर्णय के परिपेक्ष्य में वर्ष 1995 से नियमानुसार वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए वर्ष 2014 एवं 2015 तक पदोन्नति आदेश समझौता तिथि से 01 माह के भीतर जारी किया जावे।

उपरोक्तानुसार सहमति के आधार पर कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक : 12.06.2015
स्थान : रायपुर (छ.ग.)

कुलसचिव 12/6/15

कर्मचारी संघ के पदाधिकारीगणः–

1. श्री श्रवण सिंह ठाकुर (अध्यक्ष) 12/06/2015.
2. श्री प्रदीप कुमार मिश्रा (सचिव)
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद औसर (उप सचिव) 12/6/15
4. श्री रामजी मण्डावी (कार्यका. सदस्य एवं सचिव–अ.ज.जा परिषद्)
5. श्री रामेश्वर राठौर (कार्यकारिणी)
6. श्री तीर्थराम यादव (सदस्य) 12/6/15

विषय :– श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में कार्यालयीन टीप।

––00––

माननीय कुलपति महोदय को सम्बोधित करते हुए विश्वविद्यालय के आदेश कमांक/524/सा.प्रशा./2015 रायपुर दिनांक 12.02.2015 के द्वारा श्री जानकी शर्मा के विरूद्ध संस्थित विभागीय जॉच में लगाये गये आरोपो के प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप उन्हे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम – 31 की कंडिका 57 (1) (g) के तहत इस विश्वविद्यालय की सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया है। साथ ही संबंधित कर्मचारी से गबन की राशि रू. 30,13,370/–(शब्दों में तीस लाख, तेरह हजार तीन सौ सत्तर रूपये मात्र) की वसूली की जावे का आदेश जारी किया गया है, जिससे असंतुष्ट हो नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त), बंजारी नगर, हनुमान मंदिर के पास, रायपुर के द्वारा दिनांक 27.02.2015 को अपील प्रस्तुत किया गया है।

अपील द्वारा असंतुष्टि व्यक्त कर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत विभागीय अपील पर कार्यालयीन टीपः–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत–प्रकरण के तथ्य	कार्यालयीन टीप
(1) यह कि अपीलार्थी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय (छ.ग.) रायपुर में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यरत था।	**इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। (इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं चुकिं इस संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं)**
(2) यह कि अपीलार्थी जब अप्रैल 2012 में कार्यरत था तब अपीलार्थी को कुलसचिव महोदय के आदेश कमांक 1495/सा.प्रशा./12 दिनांक 23/04/2012 द्वारा निलंबित किया गया था।	**इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। (इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं चुकिं इस संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं)**
(3) यह कि अपीलार्थी को विभागीय जांच का आरोप पत्र कं. 1943/सा.प्रशा./12 रायपुर दिनांक 24/05/2012 को प्राप्त हुआ, उक्त आरोप पत्र के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध 1 से 13 तक निम्नलिखित आरोप अभिरचित किये गये हैं। उसी आरोप पत्र के आरोप कं. 13 में अंतिम में लिखा गया है जो नीचे लिखे अनुसार है। "उपरोक्त 13 आरोपों के अलावा और कोई अनियमितता पाई जाती है जो अलग से आरोप पत्र जारी किया जायेगा।	**इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। (इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं चुकिं इस संबंध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं)**
(4) यह कि ऊपर लिखे आरोपों पर विभागीय जांच संस्थित कर अपीलार्थी को लिखित प्रतिवाद कथन प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। अपीलार्थी ने लिखित प्रतिवाद कथन तैयार करने के लिए दिनांक 05.06. 2012 को कुलसचिव महोदय को ज्ञापन सौंपकर सुसंगत अभिलेख एवं संबंधित पंजियों व साक्षियों के बयानों की सत्यप्रतिलिपियॉ प्रदाय करने की मांग की थी। मांगे गये कोई भी दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियॉ प्रदान नहीं	प्राथमिक जांच के दौरान एवं प्राथमिक जांच से संबंधित दस्तावेज नहीं दिये जाते है, चुकिं ये दस्तावेज विभागीय जांच के प्रमुख आधार होते हैं। विभागीय जांच प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित कर्मचारी को दिनांक 24.05.2012 को आरोप पत्र प्रेषित करते हुए, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। जिसका जवाब श्री शर्मा द्वारा दिनांक 11.06.2012 को दिया गया था। (प्रमाण–1) श्री शर्मा द्वारा अपने जवाब में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये थे, उन पर विश्वविद्यालय प्रशासन (प्रमाण–2)

57

प्रमाण-3

की गयी, और ना ही अभिलेखों का अवलोकन कराया गया।	ने असहमत होते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच का निर्णय लेते हुए दिनांक 19.07.2012 को आदेश जारी किया गया था।
(5) यह कि जब अपीलार्थी को न तो मांगी गई सत्यप्रतियां उपलब्ध कराई गई और न कोई उत्तर ही समयावधि के अन्दर प्राप्त हुआ तो अपीलार्थी नह लाचार होकर एक पक्षीय कार्यवाही न हो जावे इस डर से बिना सत्यप्रतियां एवं बिना अभिलेखों का अवलोकन करें अपना प्रतिवाद कथन दिनांक 09.06.2012 को प्रस्तुत कर दिया अपीलार्थी ने अपने प्रतिकथन में लगाये दोषरोपण को अस्वीकार किया।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(6) यह कि कुलसचिव के आदेश कमांक 2704/सा.प्रशा./2012 रायपुर दिनांक 19.07.2012 द्वारा डॉ. जे.एल.गंगवानी, उपकुलसचिव (संविदा) सामान्य प्रशासन विभाग को डॉ. बी. पी. साहू के स्थान पर जांच अधिकारी एवं श्री के.पी. राठौर, कक्ष अधिकारी/अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(7) यह कि जांच अधिकारी ने विभागीय जांच में निम्नलिखित दस्तावेज (फोटोकापी) को बिना साक्षी द्वारा प्रमाणित किये विभागीय जांच में सम्मिलित कर लिया, उनका अवलोकन अपीलार्थी की उपस्थिति में किया, जो नीचे लिखे अनुसार है :– 1. कार्यवाही विवरण फोटो प्रति पृष्ठ कमांक 01 से 65 तक। 2. संबंधित दस्तावेज की फोटोप्रति पृष्ठ कमांक 01 से 409 तक। इस तरह समस्त फोटो प्रति को संबंधित विभागीय जांच में प्रमाणित माना गया है।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(8) यह कि विभागीय जांच में जांच अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 (चौदह) साक्षियों की सूची में नाम सम्मिलित किये थे। जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने कुल 07 (सात) गवाह का परीक्षण किया जिनके नाम कमशः (1) श्री अब्दुल वाहब, सहायक कुलसचिव, विकास विभाग (2) डॉ. निनाद बोधनकर, रीडर, भू–विज्ञान अध्ययनशाला (3) श्री ए.के. उपाध्याय, प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय लवन (4) श्री शिव लोचन नेताम, कनिष्ठ अधीक्षक, विकास विभाग (5) श्री योगेश सोनटेके, प्रथम श्रेणी लिपिक, विकास विभाग (6) श्री सुमित उपाध्याय, प्रभारी विश्वविद्यालय प्रेस (7) श्री राम खिलावन साहू,	विभागीय जांच के दौरान नियमानुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विभिन्न आरोपों के बिन्दुओं से संबंधित गवाहों/साक्षियों को प्रस्तुत करते है। तद्नुसार साक्षियों का बयान दर्ज किया जाता है। चुकिं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि विभिन्न आरोपों को वह विभागीय जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष संबंधित गवाहों के माध्यम से प्रमाणित करावें।

प्रमाण-4

निम्न वर्ग लिपिक (डी.एस.डब्ल्यू.) वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग, जांच अधिकारी द्वारा अन्य 07 साक्षियों का परीक्षण नहीं कराया गया।	
(9) यह कि विभागीय जांच के प्रारंभ हो जाने के उपरान्त जांच अधिकारी द्वारा दो आरोपों का अलग से सुगठित किया गया। उक्त दो आरोप कमांक 14 एवं 15 है जो नीचे लिखे अनुसार है :–	**इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है।** **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है चुकिं पूर्व में बिन्दु कमांक 03 पर स्वयं श्री शर्मा द्वारा यह बात उल्लेखित की जा चुकी है)।**
(10) यह कि जांच अधिकारी ने आनन–फानन में जांच पूर्ण कर अपीलार्थी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित पाकर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।	अपील में प्रस्तुत की गई यह आपत्ति आधारहीन है। चुकिं विभागीय अधिकारी द्वारा विभागीय जांच से संबंधित सभी निर्देशों का गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अपचारी कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत बचाव हेतु पुरे अवसर प्रदाय किये गये थे। अपचारी कर्मचारी की मांग के अनुरूप उन्हें श्री हेमंत शर्मा बचाव सहायक को नियुक्त करने पर अनुमति प्रदाय की गई थी। साथ ही गवाहों के प्रति परीक्षण करने का भी पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था। विभागीय जांच के समापन के पूर्व नैसर्गिक न्याय के तहत उन्हें एक और अवसर प्रदान करते हुए अपना पक्ष रखने की अनुमति दी गई थी।
(11) यह कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर श्रीमान् कुलसचिव महोदय के पत्र कमांक 7853/सा. प्रशा./2013 रायपुर दिनांक 23.12.2013 जारी किया जाकर सात दिवस के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थी द्वारा एक पत्र प्रेषित कर गवाहों के प्रतिपरीक्षण दस्तावेजों की मांग की गई अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 148/सा.प्रशा./2014 दिनांक 08.01.2014 को प्रदान किया गया। उक्त पत्र कमांक 286/सा.प्रशा./2014 दिनांक 17.01.2014 में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को निर्देशित था कि आप तीन दिनों के अन्दर जवाब प्रस्तुत करें।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(12) यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 20.01.2014 को बचाव प्रतिवेदन माननीय कुलसचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाकर उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश एवं रू. 30,13,370.00 (तीस लाख तेरह हजार तीन सौ सत्तर रूपये) का वसूली का दण्ड अधिरोपित किया गया है।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(13) यह कि उक्त दण्ड अत्यन्त कठोर एवं अवैध है। अतएव अपीलार्थी उक्त आदेश दिनांक 12.02.2015 से असंतुष्ट होकर अन्याय आधारों	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो सही है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**

प्रमाण – 5

में से कतिपय निम्न आधारों पर यह विभागीय अपील प्रस्तुत करता है :–	
(14) यह कि माननीय कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर छ.ग. द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है और ध्वस्त किये जाने योग्य है।	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**
(15) यह कि प्रविधी 57 की कंडिका (3) के अनुसार अर्थदण्ड के सिवाय उक्त प्रविधी की कंडिका (1) में वर्णित किसी शस्ति से विश्वविद्यालय सेवक को दण्डित करने के लिये वही प्रकिया का पूर्ण पालन करना अनिवार्यहै जो छ.ग. शासन के सेवकों को दण्डित करने के लिए तत्समय निर्धारित हो अतएव अपीलार्थी को अधिरोपित किये गये दण्ड के लिए छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करने के बाद ही अपीलार्थी के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित किया जा सकता है, परन्तु विभागीय जांच न तो छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और न जांच करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया है। आलेच्य आदेश दिनांक 12.02.2015 पारित कर दण्डित किया गया है जो विधि के आज्ञापक प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। अतः आलोच्य आदेश आरम्भतः अवैध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** चुकिं विभागीय जांच के दौरान अपचारी कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत बचाव के पूरे अवसर जांच अधिकारी द्वारा देते हुए उन्हें :– 1. बचाव सहायक को उनकी मांग के अनुसार श्री हेमंत शर्मा को नियुक्त करने की अनुमति प्रदाय की गई। 2. साक्षियों से प्रति परीक्षण का अवसर प्रदाय किया गया। 3. विभागीय जांच के समापन के समय भी अपचारी कर्मचारी को बचाव का एक पुनः अवसर प्रदाय किया गया था। प्रमा०-6
(16) यह कि अपीलार्थी को आरोप पत्र के साथ संलग्न सूची जो 14(3) छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण तथा अपील नियम 1966 के अंतर्गत दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियां प्रदाय नहीं की गई... । अतः विभागीय जांच में लिखित प्रतिवाद कथन प्रस्तुत करने के उपरान्त दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों की सत्यप्रतिलिपियां प्रदान नहीं की गई और न उनका अवलोकन करने का अवसर से वंचित किये जाने के कारण जांच त्रुटिपूर्ण है। साथ ही पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.02.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।	अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है एवं असत्य जानकारी प्रस्तुत की गई है कि उन्हें दस्तावेजों एवं गवाहों के बयानों की सत्यप्रतिलिपियां प्रदान नहीं की गई। वस्तु स्थिति यह है कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक 148/सा.प्रशा./2014 दिनांक 8.01.2014 के द्वारा गवाहों के प्रति परीक्षण संबंधित समस्त दस्तावेजों को उनकी मांग के अनुरूप पृष्ठ कमांक 01 से 65 तक प्रदाय किये गये थे। जिसकी पावती कार्यालय में उपलब्ध है। प्रमा०-7
(17) इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा यह आपत्ति दर्ज की गई है कि अपने प्रतिवाद कथन में सभी आरोपों को अस्वीकार किया गया है। अतएव विभागीय जांच में सभी आरोपों को प्रमाणित करने का स्पष्ट रूप से अनुशासनिक अधिकारी के ऊपर था तथा उनके द्वारा ही आरोपों को	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** इस संबंध में जांच के दौरान अनुशासनिक अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित सभी आरोप पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलेखों की सूची, गवाहों की सूची प्रदाय की गई थी एवं उन्हें जांच के दौरान

60

प्रमाण- 8

प्रमाणित किया जाना था।	दस्तावेज उपलब्ध कराये गये थे। उनपर अपचारी कर्मचारी के प्रति हस्ताक्षर भी किये गये थे।
(18) यह कि जांच अधिकारी ने विभागीय जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नहीं की है नियम 14 में दर्शित 03 से लेकर 23 तक छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2) के प्रावधानों का तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है एवं विद्वान जांच अधिकारी द्वारा भी उक्त प्रावधानों को अनदेखा कर उपेक्षा कर आदेश पारित किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शुन्य है।	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय जांच की कार्यवाही नियमानुसार सम्पन्न की गई थी एवं सभी आवश्यक प्रकियाओं को ध्यान में रखा गया।
(19) यह कि विभागीय जांच में एक अवैधता इस बात की है कि आरोप पत्र के साथ दस्तावेजों की जो सूची दी गई थी उसके अनुसार प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा फोटोकापी प्रस्तुत किया गया है। फोटोकापी होने के कारण उनको प्रदर्शित किया गया, जबकि मूल दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियां अपीलार्थी को प्रदान ही नहीं की गई है।.....	**अपीलार्थी के इस कथन से असहमत एवं अमान्य।** वस्तु स्थिति यह है कि अपीलार्थी को जो भी दस्तावेज पूर्व में प्रदाय किये गये थे वे विधिवत एवं नियमानुसार कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर प्रदाय किये गये थे। इस संबंध में उन्होंने कभी भी जांच के दौरान असहमति या असंतुष्टि या आपत्ति व्यक्त नहीं की गई थी।
(20) यह कि जांच अधिकारी द्वारा अपनायी गई विभागीय जांच की प्रकिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है जिसके कारण जांच अधिकारी द्वारा निकाले गये निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है।	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** **(इस बिन्दु पर टीप दिया जाना आवश्यक नहीं)**
(21) यह कि आरोप जिसके आधार पर विभागीय जांच आदेशित की गई जिनको प्रमाणित पाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया, पूर्णतः अस्पष्ट व अनिश्चित है। जिनके आधार पर किसी भी प्रकार की विभागीय जांच नहीं की जा सकती। कदाचार लांछनों का जो विवरण कर आरोप के साथ दिया गया है उसमें सारभूत विशिष्टियों का पूर्णतः अभाव होने के कारण तथाकथित विभागीय जांच त्रुटिपूर्ण अस्पष्ट आरोप के आधार पर पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.02.2015 अवैध है निरस्त किये जाने योग्य है।	**यह अपीलार्थी की स्वयं की धारणा/सोच है। जिससे असहमत एवं अमान्य।** **(इस बिन्दु पर टीप दिया जाना आवश्यक नहीं)**
(22) यह कि प्रविधी के अनुसार कुलसचिव के आदेश के विरूद्ध अपील विश्वविद्यालय कार्य परिषद को होती है, कुलपति विश्वविद्यालय कार्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं अतः अपील कुलपति को प्रस्तुत की गई है।	इस बिन्दु में अपीलार्थी द्वारा तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई है। **(इस बिन्दु पर टीप देने की आवश्यकता नहीं)**

(61)

श्री जानकी शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के विरूद्ध कुल 15 आरोप लगाये गये थे जिसे विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 2704/सा.प्रशा./2012 रायपुर, दिनांक 19.07.2012 के परिपालन में विभिन्न आरोपो का विभागीय जॉच की कार्यवाही की गई।

सर्वप्रथम विभागीय जॉच की प्रथम सुनवाई की तिथि 27.08.2012 निर्धारित करते हुए अपचारी कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा को विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा विभागीय जॉच से संबंधित पत्र कमांक 3094/सा.प्रशा./2012 रायपुर दिनांक 17.08.2012 प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये आरोप–पत्र, अभिकथन पत्र, अभिलखो की सूची प्रेषित की गई एवं पत्र कमांक 2092/सा.प्रशा./2012 रायपुर दिनांक 17.08.2012 के द्वारा सभी साक्षियों को भी उक्त सुनवाई तिथि पर उपस्थित रहने हेतु सूचना प्रेषित की गई।

साथ ही अपचारी कर्मचारी को जॉच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय के आदेश कमांक 2704/सा.प्रशा./2012 रायपुर दिनांक 19.07.2012 की छायाप्रति प्रदाय करते हुए पावती प्राप्त की गई।

अपचारी कर्मचारी श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा कुलसचिव को पत्र प्रेषित करते हुए डॉ0 हेमन्त शर्मा को बचाव सहायक के रूप में नियुक्त करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया जिसके संबंध में जॉच अधिकारी के द्वारा उन्हें पत्र कमांक 3191/सा.प्रशा./12 रायपुर दिनांक 24.08.2012 प्रेषित करते हुए डॉ0 हेमन्त शर्मा को विभागीय जॉच हेतु बचाव सहायक नियुक्त करने संबंधित अनुमति प्रदाय की गई।

अपचारी कर्मचारी द्वारा जॉच अधिकारी को दिनांक 25.09.12 को पत्र प्रेषित करते हुए उन पर लगाये गये आरोप बिन्दु कमांक – 03 से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 28.09.12 को आरोप बिन्दु कमांक – 03 से संबंधित दस्तावेज पृष्ठ कमांक 01 से 175 तक प्रदाय करते हुए अपचारी कर्मचारी श्री जानकी शर्मा से पावती प्राप्त की गई।

अपचारी कर्मचारी श्री जानकी शर्मा द्वारा कुलसचिव, महोदय को दिनांक 24.08.12 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए जॉच अधिकारी पर झूठा एवं अवांछनीय आरोप लगाने का प्रयास किया गया कि–जॉच अधिकारी द्वारा 23.08.12 को दिये गये आवेदन को जॉच अधिकारी महोदय द्वारा फाड़ कर टोकनी में डाल दिया गया है। इस संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा लगाये गये झूठे आरोप बाबत् कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया।

जबकि अपचारी कर्मचारी द्वारा जॉच अधिकारी एवं कुलसचिव महोदय को समय–समय पर दिये गये सभी आवेदन मूलतः जॉच रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा जॉच अधिकारी पर झूठा आरोप लगाकर, जॉच के पूर्व ही, दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जो अशोभनीय प्रतीत होता है।

विभागीय जॉच के दौरान अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये आरोप बिन्दुओं में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के प्रति–परीक्षण का अवसर बचाव सहायक को प्रदाय किया गया।

साथ ही विभागीय जॉच के दौरान उन्हें प्राकृतिक न्याय के तहत् बचाव हेतु पुनः अवसर प्रदाय करते हुए यह पूछा गया कि–क्या विभागीय जॉच के संबंध में आप अन्य कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है ?

बचाव सहायक द्वारा जवाब दिया कि– वे अन्य कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहते है।

फलस्वरूप दिनांक 09.04.2013 को विभागीय जॉच की अंतिम सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई एवं जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2013 को जॉच रिपोर्ट पृष्ठ 1 से 31 तक, कार्यवाही विवरण (नोटशीट) पृष्ठ 1 से 15 तक एवं संबंधित दस्तावेज पृष्ठ 1 से 409 तक कुलसचिव महोदय को प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र कमांक/7853/सा0प्रशा0/2013 रायपुर दिनांक 23.12.2013 के द्वारा विभागीय जॉच अधिकारी द्वारा आपके ऊपर लगाये गये आरोप की जॉच के जॉच रिपोर्ट पृष्ठ 1 से 31 तक श्री जानकी प्रसाद शर्मा को उपलब्ध कराते हुए जॉच रिपोर्ट पर अपना पक्ष पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

जिसके संबंध में श्री जानकी प्रसाद शर्मा द्वारा दिनांक 20.01.2014 को प्रेषित किये गये पत्र में उन पर आरोपित एवं सिद्ध पाये गये सभी आरोपों से इंकार करते हुए उन्हे विलोपित करने का निवेदन किया गया।

उनके जवाब का परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि विभागीय जॉच में उनके विरूद्ध आरोपित बिन्दुओं एवं श्री जानकी प्रसाद शर्मा के द्वारा दिनांक 20.01.2014 को पत्र के माध्यम से दिये गये विभिन्न आरोपों के जवाब स्वीकार योग्य नही होने के कारण उनके द्वारा की गई गंभीर आर्थिक अनियमित्ता के परिप्रेक्ष्य में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 एवं विश्वविद्यालय परिनियम – 31 की कंडिका 57 (1) (g) के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया।

उपरोक्तानुसार अपचारी कर्मचारी को पर्याप्त अवसर देते हुए जॉच अधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई। इस तरह विभागीय से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं परीक्षण करने से यह पाया गया कि श्री जानकी शर्मा द्वारा कुलपति महोदय को प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नही है।

प्राप्त अपील की प्रति एवं विभागीय जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरूवार, दिनांक 30 जुलाई, 2015 को अपरान्ह 03.00 बजे की पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र. 1 से 4)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र. 5 से 19)
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

03. स्व. श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।
टीप : डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला ने अपने स्वर्गीय पुत्र स्वर्ण पदक आगामी अलंकरण समारोह में प्रदान किये जाने हेतु रु. 60,000/– विश्वविद्यालय कोष में रसीद क्रमांक G4/5599 दिनांक 27 जुलाई 2015 के द्वारा जमा करा दिया गया है। इससे संबंधित विनियम क्रमांक 163 संलग्न है। (पृष्ठ क्र. 20)

04. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना। *(पृष्ठ क्र. 21)*
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

05. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 22)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

06. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 23)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

07. विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुमोदन पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 24 से 60)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति एवं अध्यादेश क्रमांक 01 एवं 02 संलग्न।

08 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 61)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

09. डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र. 62 से 63)
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।

10. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 4216/अका./वि.प./2015 रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2015 दिन–शुक्रवार को अपरान्ह 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1. प्रो. एस. के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. एस. के. पाटिल – सदस्य
3. डॉ. ए. टी. दाबके – सदस्य
4. डॉ. श्रीनिवासन नरसिम्हन – सदस्य
5. डॉ. पुलोक के. मुखर्जी – सदस्य
6. डॉ. अब्दुल अलीम खान – सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ – सदस्य
8. डॉ. भगवंत सिंह – सदस्य
9. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान – सदस्य
10. डॉ. सी. डी. अगासे – सदस्य
11. डॉ. ए. के श्रीवास्तव – सदस्य
12. डॉ. ओ. पी. चन्द्राकर – सदस्य
13. डॉ. एस. सी. नैथानी – सदस्य
14. डॉ. विभूति रॉय – सदस्य
15. डॉ. के. के. घोष – सदस्य
16. डॉ. ए. के. गुप्ता – सदस्य
17. डॉ. (श्रीमती) शुक्ला बनर्जी – सदस्य
18. श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गएः–

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः– विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।

02. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः— **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक, दिनांक 03.07.2014 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**

03. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को SAP (Special Assistance Programme) के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

04. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को अंग्रेजी अध्ययनशाला के स्थापना के लिए पद की स्वीकृति के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के प्रस्ताव अनुसार पद की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग अध्ययनशाला द्वारा योग शिक्षकों के पदों की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत में सामाजिक विचारक अवचेतना के संबंध में आमंत्रित प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।**

07. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा Guidelines वित e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT के अन्तर्गत "e-PG Pathshala" संबंधी योजना सूचनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा Guidelines वित e-Content Development of Project, Submission for Assistance From UGC Under NME-ICT के अन्तर्गत**

"e-PG Pathshala" संबंधी योजना का सूचना ग्रहण करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के द्वारा प्रस्ताव बनाकर निर्धारित तिथि पर भेजी जावे।

08. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, हिन्दी विभाग की स्थापना, स्वामी विवेकानंद चेयर की स्थापना, स्पोर्टस हॉस्टल के निर्माण एवं विभिन्न विकास कार्यों के साथ शैक्षणिक पदो के लिए अनुदान सहित स्वीकृति की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।

09. सहायक फैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर विचार करना।

निर्णयः— सहायक फैकल्टी के पेनल (Guidelines for Empanelment of Adjunct Faculty in Universities and College) के निर्धारण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त Guideline पर सभी विभागों द्वारा प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही की जावे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. **कुलपति जी ने विश्वविद्यालय एवं विभिन्न संस्थानों के बीच शोध को बढ़ावा देने के लिए किये गये MoU से अवगत कराया इसी के साथ निम्नलिखित संस्थानों से MoU करने हेतु अनुशंसा की गईः—**

   I. छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड

   II. ASTHAGIRI HERBAL RESEACH FOUNDATION, CHENNAI, TAMIL NADU, INDIA

   III. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर

   IV. School of Natural Products, Jadavpur University (W.B.)

2. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को (B. Voc.) डिग्री प्रोग्राम के अंतर्गत "Renewable Energy Technology and Management" से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित की गई है। प्रस्ताव की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

3. **इंस्टीट्यूट ऑफ लैंगवेज के अंतर्गत संस्कृत एवं अन्य भाषा के लिए आवश्यक पद निर्मित करते हुए प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को भेजा जावें।**

4. **कुलपति जी द्वारा सभी सदस्यों को इक्जामिनेशन रिफार्म के अंतर्गत सत्र 2016—17 से नये प्रश्नपत्र पैटर्न (New Q.P. Pattern) लागू करने की जानकारी दी गई।**

5. छत्तीसगढ़ अंचल में स्थित स्कूलों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति उत्प्रेरित करने हेतु विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्रत्येक माह कम से कम एक व्याख्यान दिया जावे ताकि स्कूली छात्र उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन एवं शोध के संबंध में हो रहे कार्यो से अवगत हो सके तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर आधारित संभावनाओं के बारे में विचार कर शोध के प्रति प्रेरित हो सके।

6. **NCNR** के अंतर्गत ऐसे उपकरण कय किये गये है जिसकी व्यापक उपयोग हेतु इस क्षेत्र के उद्योगों से लिंकेज स्थापित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए निर्धारित शुल्क तय की जावे ताकि भविष्य में संबंधित उपकरणों के मरम्मत राशि की भरपाई हो सके।

7. श्री सुनिल कुमार, उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के पत्र दिनांक 04.07.2015 **Ref 177/VC/SPC** में उल्लेखित बिंदुओं पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न योजनाओं के मूल्यांकन एवं प्रभाव के अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापकों एवं शोधार्थियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रेरित किया जावे।

8. विश्वविद्यालय में पुराने भवनों के जीर्णोद्धार, विभागों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग के भवनों के विस्तार एवं नये भवन के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जा रहे कार्यों की सूचना ग्रहण की गई।

9. प्रत्येक विभाग में प्रत्येक शिक्षकों को एक ऑन–गोईंग प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है इस हेतु समस्त शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जावे तथा पत्र लिखा जावे जिससे परिसर में शोध का उत्कृष्ट वातावरण बने।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक 4217/अका./वि.प./2015

रायपुर, दिनांक : 25/07/2015

प्रतिलिपि :–

1. विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड के समस्त सदस्यों को।
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

(5)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 4238 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2015 रायपुर, दिनांकः 29/07/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आवश्यक बैठक मंगलवार, दिनांक 28.07.2015 अपरान्ह 04.00 बजे **कुलपति कक्ष** में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे –

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	–	सदस्य
3.	डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
4.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	–	सदस्य
5.	डॉ. सी.डी. अगासे	–	सदस्य
6.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
7.	डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
9.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	–	सदस्य
10.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन का दिनांक 27.07.2015 को शिलांग में असामयिक निधन हो जाने के कारण, विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर शोक श्रद्धांजली दी।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
1.	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महावि. राजनांदगांव	Add on Course (Diploma) Spoken English & Crative Writing	60	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 22.06.2015 The College has Sufficient infrastructural facilities. The college has 92621 books in general and 2000 books in departmental library. The department has an established language laboratory. The department is already running certificate course in "spoken English and Creative Writing". The College fulfils basic requirements for the affiliation of Diploma Course in "Spoken English and Creative Writing".	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र पृ. क्र. 3068/एफ 3–18/11/38–1 रायपुर दिनांक 29.08.2011					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
2.	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महा. धरसीवां, जिला–रायपुर	M.Sc. Prev. Maths	15	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 16.07.2015 The team inspected Govt. Pt. Shyamacharan Shukla College Dharsiwa, for inspection for granting affiliation to M.Sc. Pre. Math (Seat-15) from 2015-16 sessions. College is house in its own building, having sufficient space. At Present one professor post is sanctioned however 4 more teachers for M.Sc. Maths shall be required. Books are insufficient. and need to be purchased in proportion for student's strength.	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र क्र. एफ 3–87/2014/38–1 रायपुर दिनांक 22.08.2014	M.A. Final Political Sc.	30	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 16.07.2015 एम.ए. अंतिम राजनीति विज्ञान की कक्षा (सीट संख्या–30) सत्र 2015–16 से प्रारंभ करने की पात्रता है। शर्तें – 1. राजनीति विज्ञान विभाग हेतु 20 हजार रुपयों की पुस्तकें क्रय करने, 2. राजनीति शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के रिक्त पद की पूर्ति करने एवं 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति करने की शर्तों की पूर्ति करने के शर्त पर सत्र 2015–16 से एम.ए. अंतिम कक्षा (सीट संख्या–30) प्रारंभ करने की अनुशंसा की जाती है।	
03	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर	M.Com. Prev.	25	2015–1	निरीक्षण तिथि :– 14.07.2015 विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4080/अका./2015 दिनांक 10.07.2015 द्वारा नवीन कक्षा विषय एम.कॉम. की 25 सीट तथा पी.जी.डी.सी.ए. की 30 सीट की वृद्धि हेतु दिनांक 14.07.2015 को दिशा कालेज रामनगर कोटा रायपुर का निरीक्षण किया निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है : 1. एम.काम. की 25 सीट (नवीन कक्षा) तथा पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 30 सीट की वृद्धि के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या में फर्नीचर एवं शिक्षण कक्ष उपलब्ध है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
		PGDCA Seat Increase	30			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
				6	2. एम.काम. की 25 सीट (नवीन कक्षा) तथा पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 30 सीट की वृद्धि के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है। अध्यापन हेतु पर्याप्त संख्या मे फर्नीचर एवं शिक्षण कक्ष उपलब्ध है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर उपलब्ध है। 4. ग्रंथालय में एम.काम. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध है। 5. महाविद्यालय में पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पर्याप्त Oralce, Visual Basic, Java, Office Automation के Licenssed Software नहीं है, अतः इनका क्रय तत्काल किया जावे। 6. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु प्राचार्य सहित दो शिक्षक परिनियम 28 के तहत नियुक्त है। निरीक्षण के समय शिक्षक अनुपलब्ध थे। महाविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. रेगुलेशन 2009 के मापदण्डों के अनुसार योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। 7. छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु संदर्भग्रंथ व कम्प्यूटर पत्रिकाओं क्रय किया जाना चाहिए।	
04	शासकीय महावि. मंगचुवा, जिला–बालोद	**B.A. -II -** Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, Geography **B.Sc. -II -** (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60 60	2014–15	**निरीक्षण तिथि :–** 17.07.2015 वि.वि. पत्र क्रमांक 1265/अका./2014 दिनांक 09.09.2014, निरीक्षण समिति को सम्पर्क दिनांक 07.07.2015 एवं संबध में निरीक्षण दिनांक 17.07.2015 को किया गया एवं देखा। 1. उक्त महाविद्यालय का संचालन हायर सेकेण्डरी एवं पंचायत भवन (मंगचुआ) जिसमें 07 कमरे व 04 बड़े कमरा है में संचालित है। तथा वर्तमान छात्र संख्या B.Sc.-IInd (10), B.Com.-IInd(13) एवं B.A.-IInd (29) है।	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		B.Com.-II (Compulsory Subject)	60		2. महाविद्यालय में वर्तमान में (03) शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें एक प्रभारी प्राचार्य का कार्य कर रहे हैं। शासन द्वारा (08) शिक्षक (1) प्राचार्य एवं (08) अशैक्षणिक पद स्वीकृत किये हैं। 3. महाविद्यालय के छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध है लेकिन और पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. प्रभारी प्राचार्य ने बताया महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।	
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 111/आउशि/ब. योजना/2013 रायपुर दिनांक 20.05.2013					
		B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Economics, Geography	60	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 24.07.2015 1. बी.ए.–III, B.Comm-III व B.Sc.-III वर्ष की कक्षाओं हेतु प्रत्येक कक्षा में 60 विद्यार्थियों की क्षमता महाविद्यालय में पर्यप्त साधन, सुविधाएं एवं संरचना उपलब्ध है, अतः उक्त कक्षाओं की सम्बद्धता हेतु पात्रता है। 2. नियमित शिक्षकों की कमीक है, जिसकी शत–प्रतिशत पूर्ति अतिथि शिक्षकों द्वारा की जा रही है।	
		B.Sc. -III - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60			
		B.Com.-III (Compulsory Subject)	60			
05	प्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज़, आशीर्वाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर	**B.B.A.-** **II-** **III-**	 40 40	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 13.07.2015 We inspected Platinum College on 13-07-2015 for affiliation of B.B.A. and B.C.A. II and III years courses for 40 & 30 seats respectively. College is running in a leased building in 2nd and 3rd Floor, having 6 room of 30 capacities each, 2 labs and staff rooms. College is having 21 computers in computers lab, and small library with 1780 books. College is having 5.24 acre land at Mana, Raipur, Principal is not appointed under section 28, working under section 28, their payments are made through bank. College has advertised teaching posts.	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
		B.C.A. - **II-** **III-**	 30 30			
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 319/आउशि/अशै.प्र. /2015 रायपुर दिनांक 12.03.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
06	संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महावि. कुरूद **शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. एफ 5–34/2008/38 रायपुर दिनांक 05.07.2008**	**M.Sc.** Prev. Mathematics	20	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 22.07.2015 The team visited on 22-7-2015 for inspection in respect of granting affiliation to M.Sc. Maths(Prev.) course. It is observed that : 1. At present two teachers of Maths are working in the college. 2. Infrastructure. facilities are available. 3. As for Books in Maths are concerned, facilities need to be improved. 4. There is a need of additional teachers for M.Sc. Maths Course.	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।
07	साईं महाविद्यालय, सेक्टर–6, भिलाई, जि. –दुर्ग **शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. संचालनालय पत्र क्र. 313/आउशि/अशै.प्र./2015 दिनांक 12.03.2015**	**B.Sc. -III** Physics, Chemistry, Maths	60	2014–15	निरीक्षण तिथि :– 23.07.2015 The team visited the college on 23-07-2015 for inspection for granting affiliation to B.Sc. (PCM) III year Course. 1. The College has sufficient infrastructure, Laboratory and Library facilities to runt the course. 2. One teacher in Physics need to be appointed under section 28	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
08	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, जिला–धमतरी **P.G.D.C.A. & D.C.A.** **शासन का आदेश – छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 3–58/2013/38–1 दिनांक 28.06.2014**	**M.A. Final Economics** **P.G.D.C.A.** **D.C.A.**	30 40 40	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 23.07.2015 1. शासकीय महाविद्यालय भखारा में एम.ए. अर्थशास्त्र–I एवं II सेमेस्टर की कक्षाएं वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ हो चुकी है। वर्ष 2015–16 से III एवं IV सेमेसअश्र कक्षाएं प्रारम्भ की जानी हे। महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विषय में एक नियमित प्राध्यापक है, अतः दो शिक्षकों की और आवश्यकता होगी। 2. ग्रंथालय में अर्थशास्त्र विषय की उपलब्ध पुस्तकें के अतिरिक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रश्नपत्रों में उल्लेखित पाठ्यपुस्तकों को छात्रों के लिये उपलब्धता हो।	निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					3. पी.जी.डी.सी.ए. एवं डी.सी.ए. के लये कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 15 कम्प्यूटर हैं. 05 कम्प्यूटर की और आवश्यकता होगी। वर्तमान में नियमित शिक्षक कम्प्यूटर में नहीं हैं, परंतु महाविद्यालय द्वारा जनभागीदारी के माध्यम से शिक्षकों हेतु विज्ञापन किया गया है। ग्रंथालय में पाठ्यक्रम अनुसार पुस्तकों को क्रय करने की आवश्यकता है।	
09	अग्रसेन महाविद्यालय, पुरानी बस्ती रायपुर	M.Com. Prev.	20	2015–16	<u>निरीक्षण तिथि – 23.07.2015</u> वि.वि. पत्र क्र. 4130/अका./2015 दिनांक 17.7.2015 के संदर्भ में आज दिनांक 23.07.2015 को निरीक्षण किया एवं देखा – 1. अग्रसेन महाविद्यालय पुरानी बस्ती, रायपुर में एम.काम. 20 सीट के लिये अधोसरंचना पर्याप्त है। 2. पुस्तकालय में छात्र अनुपात में पुस्तकों की संख्या कम है जिसका घोषणा पत्र प्राचार्य द्वारा दिया गया कि पुस्तकें (150 प्रति सेमेस्टर) 3. एक सप्ताह में क्रय कर ली जायेगी। 4. उक्त महाविद्यालय में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुयी है लेकिन वाणिज्य (बी.काम.) के लिये (03) शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। एम.काम. के लिये (1) एक और शिक्षक की नियुक्ति परिनियम 28 के तहत की जानी है। प्राचार्य का विज्ञापन निकाला गया है। 5. महाविद्यालय दो पालियों में संचालित है। 6. शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भुगतान बैंक के माध्यम से होता है। लेकिन छठवें वेतनमान से नहीं किया जाता है।	**निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।** **संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।** **परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।**
	शासन का आदेश – छ.ग. शासन उ.शि. विभाग मंत्रालय पत्र क्र. एफ 17–10/2015/38–2 रायपुर दिनांक 30.01.2015					

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
10	एलायंस इंस्टीट्यूट ऑफ कामर्स एण्ड मैनेजमेंट सेक्ट.–6, भिलाई	**PGDCA** **DCA** **B.Com.** (Compulsory) Seat Increment **B.Com.** (Computer Application) Seat Increment **M.Com. Prev.**	30 30 30 30 20	2015–16	निरीक्षण तिथि – 24.07.2015 वि.वि. पत्र क्र. 4153/अका./2015 दिनांक 20.7.2015 के संबध मे आज दिनांक 24.07.2015 को निरीक्षण किया एवं पाया :– 1. उक्त महाविद्यालय किराये के भवन में संचालित है, एवं प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय 2 Shift में संचालित होता है। उक्त के अनुसार अधोसंरचना पर्याप्त है। 2. M.Com. 20 Seats, PGDCA-30 seats, DCA-30 Seat के यिे पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय किये जाने की आवश्यकता है। M.Com.-20 के लिये किताबों की प्रक्रियाका चालान संलग्न है। 3. कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं में 15 और कम्प्यूटर क्रय किये जाने की आवश्यकता है। 4. महाविद्यालयों में प्राचार्य की एवं Commerce में 3, कम्प्यूटर में दो शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 में की जानी है। वर्तमान में 4 शिक्षक परिनियम 28 में कार्यरत है।	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
	New Course - P.G.D.C.A. & D.C.A., **Seat Increment -B.Com. & B.Com. Computer Appl.** शासन का आदेश – छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र. एफ 938/1377/2012/38–2 दिनांक 30.05.2012 **M.Com. Prev.-** 17–15/2015/38–2 दिनांक 30.01.2015					
11	अलशम्स इंफोटेक कालेज, नगरी, जिला–धमतरी	**M.S.W. Prev.** **B.Com.-I- Computer Application**	20 40	2015–16	निरीक्षण तिथि :– 26.07.2015 विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4151/अका./2015 रायपुर दिनांक 20.07.2015 के परिपालन में अलशम्स इंफोटैक महाविद्यालय नगरी (सिहावा) में सत्र 2015–16 में एम.एस.डब्ल्यू. (20 सीट), बी. काम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) (40 सीट) सम्बद्धता हेतु दिनांक 26.07.2015 को निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाए गए। i. वर्तमान में महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत् नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। ii. महाविद्यालय का निजी	निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई। संबंधित महाविद्यालय समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे। परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
					iii. भवन है, प्राप्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज के अनुसार 05 एकड़ जमीन हैं। जिसमें कुल 12 कमरे हैं, जिसमें अध्यापक के लिए 06 कमरे है तथा प्राचार्य एवं कार्यालय के लिए पृथक कमरे उपलब्ध है। iv. महाविद्यालय में 28 परिनियम के तहत संलग्नअनुसार, वाणिज्य में 02 M.S.W. में एक, एवं कम्प्यूटर में तीन शिक्षक है। आवश्यकतानुसार और शिक्षकों की विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्ति किया जाना आवश्यक है। v. महाविद्यालय में कुल 700 पुस्तकें हैं। भविष्य में छात्र अनुपात में और पुस्तकें पाठ्यक्रम संबंधी क्रय किया जाना आवश्यक है। ग्रन्थपाल कि नियुक्ति विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत कि जाए। vi. महाविद्यालय में कम्प्यूटर लैब है। जिसमें 30 कम्प्यूटर है एवं 10 नवीनतम कांफिगुरेशन के क्रय किया जाना आवश्यक है। vii. महाविद्यालय में लाइसेंस साफ्टवेयर था, जो 31.01. 2015 को समाप्त हो चुका है। पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त लाइसेन्स साफ्टवेयर का नवीनीकरण एवं क्रय किया जाना आवश्यक है।	
12	चंद्रपाल डड़सेना शासकीय महाविद्यालय, पिथौरा	B.Sc.-II Maths - Physics, Chemistry, Maths	60	2015--16	निरीक्षण तिथि :– 18.07.2015 शासकीय महाविद्यालय पिथौरा में बायोग्रुप (CBZ) में स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष एवम् द्वितीय वर्ष संचालित हो चुका हें तृतीय वर्ष के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 70 सीट की अनुमति दी गई है। गणित ग्रुप (PCM) में 60 सीट	**निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति द्वारा टीप	निर्णय
		B.Sc.-II Bio-(Botany, Zollogy, Chemistry	60		की अनुमति दी गई है। अतः पात्रता बनती है। कमियाँ – i. Teaching staff की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। ii. रसायन, भौतिकी, बॉटनी, जुलाई, हेतु 30–30 हजार की प्रायोगिक सामग्री क्रय किया जाना आवश्यक है। iii. ग्रंथालय के लिए सभी 5 विषयों हेतु रू. 10–10 हजार की पुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है।	

03. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय : विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.06.2015 का पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

04. श्री सांई कालेज, प्लॉट नंबर–286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)–490096 को सत्र 2015–16 से बी.एड्–50 सीट (एक यूनिट) के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में निरीक्षण समिति द्वारा किये गए पुनः निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : श्री सांई कालेज, प्लॉट नंबर–286/1,286/2, 291 देउरझाल, नंदनी, दुर्ग (छ.ग.)–490096 को सत्र 2015–16 से बी.एड् 50 सीट (एक यूनिट) प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.02.2014 में निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल के Order F.No.APP1482/217th/B.Ed./2015/ 131869 Date 25/26-02-2015 बी.एड्. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के साथ अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

1. **परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 3 माह के अंदर पूर्ण करें।**
2. **ग्रंथालय में पर्याप्त संख्या में संबंधित विषय की पुस्तकें क्रय की जाए।**
3. **समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।**

उक्त शर्तें पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ली जावे।

05. नवीन अशासकीय आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर के सम्बद्धता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्र. एफ 17–02/2015/38–2 दिनांक 27.06.2015 की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : नवीन अशासकीय आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा, रायपुर के सम्बद्धता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर के पत्र क्र. एफ 17–02/2015/38–2 दिनांक 27.06.2015 की सूचना ग्रहण कर महाविद्यालय को सम्बद्धता दिये गए विषयों में आंशिक संशोधन B.Com. के स्थान पर B.Com. Computer Application किये जाने की अनुशंसा की गई।

06. आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड, अवंति विहार, रायपुर को B.Ed. Spl. (M.R.) पाठ्यक्रम की सम्बद्धता सत्र 2015–16 एवं 2016–17 दो वर्ष वृद्धि किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : भारतीय पुनर्वास परिषद् **(RCI) नई दिल्ली का APPROVAL LETTER - 8-363/B.Ed.Spl.Ed. (MR)/13RCI 1784 अप्रैल, 2015 के अनुसार,** आकांक्षा लायंस स्कूल फॉर मेंटली हैंडिकेप्ड, अवंति **विहार, रायपुर को B.Ed. Spl. (M.R.) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की सम्बद्धता दिये जाने की नियमानुसार कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है एवं अध्यादेश तत्काल समन्वय समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए।**

07. शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर का शासन के आदेशानुसार परिवर्तित नाम शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर (College of Teacher Education, Raipur) स्वीकृत किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर के नाम परिवर्तन के संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर का पत्र क्र./बी.एड्./एम. एड्./विमागीय/2015–16/3176 दिनांक 27.05.2015 एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश पत्र क्र. 3619/519/2015/20–3 दिनांक 21.05.2015 के द्वारा शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (College of Teacher Education) रायपुर किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

08. कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई में स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्वशासी योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर, सत्र 2015–16 से परीक्षायें संचालन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर में बी.ए., बी.काम., बी.एस.सी, बी.एड्, बी.लिब. साइंस, बी.बी.ए., बी.सी.ए. एवं एम.एड्. पाठ्यक्रम को स्वशासी योजना अंतर्गत सत्र 2015–16 से संचालित किये जाने की अनुशंसा की गई।

09. सत्र 2015–16 के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णय : महाविद्यालय में अध्ययन–अध्यापन प्रारंभ होने एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए, शासन के अनुमोदन की प्रत्याशा में वर्तमान सत्र 2015–16 के लिए स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम सत्र 2014–15 के पाठ्यक्रम को यथावत् लागू किया गये जाने की अनुशंसा की गई।

10. यू.जी.सी. का पत्र D.O.No. F. 10-6/2011(PS) Misc Date 6th July, 2015 के अनुसार शोध निर्देशकों के अन्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के निर्देशन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः यू.जी.सी. का पत्र D.O.No. F. 10-6/2011(PS) Misc Date 6th July, 2015 के संदर्भ में विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 10.07.2012 के पैरा 1 एवं 2 में संशोधन करते हुए शोध निर्देशकों को अन्य विश्वविद्यालय/शोध–संस्थानों में निर्देशक कार्य के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा।

11. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015–16 से प्रवेश मार्गदर्शिका के कंडिका के अनुसार विभिन्न विषय/पाठ्यक्रम में निर्धारित सीट संख्या में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 3–33/2015/38–1 नया रायपुर, दिनांक 02.07.2015 के .आदेशानुसार विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2015–16 से निम्नलिखित विषय/पाठ्यक्रम में सीट वृद्धि के लिए महाविद्यालयों से आवेदन प्राप्त कर, सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	महाविद्यालयों का नाम	कक्षा/विषय	सीट वृद्धि संख्या
1	डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. गणित	05
2	शासकीय काब्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष	10
3	शासकीय राजीव लोचन महाविद्याल, राजिम	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष	10
4	शासकीय महाविद्यालय, सिमगा, जिला– बलौदाबाजार भाटापारा	बी.एस.सी (गणित) प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी (बायो.) प्रथम वर्ष	10
5	शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी	बी.एस.सी (बायो.) प्रथम वर्ष	20
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
6	शासकीय स्नातकोत्तर महावि., कुरुद, जिला– धमतरी	बी.कॉम. प्रथम वर्ष	10
		शारीरिक शिक्षा	10
7	शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग	बी.एस.सी. इलेक्ट्रानिक्स	10
		एम.एस.सी. रसायन	05
		एम.एस.सी. भौतिकी	05
		एम.एस.सी. प्राणीशास्त्र	05
		एम.एस.सी. वनस्पति	05
8	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई–3	पी.जी.डी.सी.ए.	10
9	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला– कबीरधाम	बी.ए. प्रथम वर्ष	15
		बी.कॉम. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. गणित प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायो. प्रथम वर्ष	25
		बी.एस.सी. बायोटेक्नोलॉजी प्रथम	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष(गणित,कम्प्युटर साईस)	20
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष (गणित, सूचना प्रौद्योगिकी)	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
		डी.सी.ए.	05
		एम.एस.सी. रसायनशास्त्र	05
		एम.एस.सी. वनस्पतिशास्त्र	05
		एम.एस.सी. भौतिकी	05

		एम.एस.सी. गणित	05
		एम.ए. भूगोल	05
		एम.ए. राजनीति शास्त्र	05
		एम.ए. हिन्दी साहित्य	05
		एम.ए. अंग्रेजी साहित्य	05
		एम.ए. अर्थशास्त्र	05
10	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोड़ला, जिला- कबीरधाम	बी.ए. प्रथम	20
		बी.एस.सी. प्रथम	10
11	शासकीय नवीन महाविद्यालय पंडरिया, जिला- कबीरधाम	बी.एस.सी(बायोसमूह)प्रथमवर्ष	05
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
12	शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.एस.सी.(माइक्रोबायोलॉजी)	10
13	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुंद	बी.ए. भाग-1	10
14	शासकीय महाविद्यालय, सरायपाली, जिला- महासमुंद	बी.एस.सी. (कम्प्युटर सांईस)	05
		बी.ए. प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	20
		बी.एस.सी.(गणित) प्रथम वर्ष	10
15	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	एम.एस.सी. गणित	10
		पी.जी.डी.सी.ए.	10
16	शासकीय महाविद्यालय, लवन, जिला- बलौदाबाजार भाटापारा	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
17	शासकीय महाविद्यालय छूरा, जिला- गरियाबंद	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
18	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नात. महाविद्यालय, भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार	पी.जी.डी.सी.ए.	10
19	शासकीय जे. यो. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर	एम.एस.सी. गणित	05
20	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो समूह) प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (गणित समूह) प्रथम वर्ष	10
21	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला- बेमेतरा	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
22	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	बी.ए. प्रथम वर्ष	20
23	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोंगरगढ़	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.कॉम. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. (बायो) प्रथम वर्ष	10
24	शासकीय लाल चक्रधर शाह महाविद्यालय, अम्बागढ़ चौकी	एम.एस.सी. रसायन शास्त्र	05
25	शासकीय सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	बी.ए. प्रथम वर्ष	15
26	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा, नवापारा, जिला- रायपुर	बी.एस.सी. (बायो) प्रथम	20
27	शासकीय महाविद्यालय, मोहला, जिला- राजनांदगांव	बी.एस.सी. बायो प्रथम वर्ष	15
28	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	बी.ए. प्रथम वर्ष	15
29	शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला	बी.ए. प्रथम वर्ष	10
		बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	10

12. **सत्र 2015–16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :–**

शासकीय महाविद्यालय

1	शास. डॉ. बाबा साहेब भिमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
2	शास. रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

3	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
4	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला–महासमुंद
5	शास. महाविद्यालय धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.)
6	शास. स्व. श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह महा. सरायपाली, जिला–महासमुंद
7	नवीन शास. कालेज खेरथा, जिला–बालोद
8	नवीन शास. कालेज बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
9	स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे शास. महाविद्यालय, गंडई जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
10	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
11	शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
12	स्व. श्री जयदेव सतपथी शास. महाविद्यालय, बसना, जिला–महासमुंद
13	शास. डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव **(सत्र 2014–15)**

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय

1	शास. शिक्षा महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर

अशासकीय बी.एड्. महाविद्यालय

1	कालिंदी महाविद्यालय, स्वाती एजुकेशन, सोसायटी, लालपुर, रायपुर (छ.ग.)
2	कांतिदर्शन शैक्षणिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान कोसानगर, सुपेला भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
3	श्री बिरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, प्लाट नं.–724/1, स्ट्रीट नं.–1, ग्राम+पोस्ट–जामगाँव, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
4	विकास शिक्षा महाविद्यालय, सी–191, देवपुरी, फुंडहर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
5	सेंट्रल कालेज आफ एजुकेशन, प्लाट नं.–1131/3, रिंग रोड नं.–3, ग्राम–तुलसी, रायपुर
6	श्याम बालाजी महाविद्यालय, महासमुंद
7	उदय कालेज, प्लाट नं. 108/1,108/2, नेरा, एसीसी बोग्दा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, दुर्ग–490024,(छ.ग.)
8	सादिपनी एकेडमी, अछोटी, प्लाट नं. 44, तह.–धमधा, मुरमुंदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
9	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन, 94, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.)
10	अपोलो कॉलेज, शास. वेटनरी कालेज के सामने, अंजोरा, दुर्ग
11	खालसा एजुकेशन सोसायटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)
12	दिशा कालेज आफ साइंस एंड कामर्स, प्लाट नं.–788/1/2, 792/3, दिशा पार्क रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
13	रूंगटा इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, भिलाई, कोहका रोड, कुरूद, भिलाई, जिला–रायपुर
14	श्री राम शिक्षा महाविद्यालय, दिग्विजय स्टेडियम कैम्पस, राजनांदगांव (छ.ग.)
15	डी.ए.व्ही. मॉडल कालेज, धमधा रोड, दुर्ग, जिला–दुर्ग
16	छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय, नंदिनी रोड, अहेरी, दुर्ग जिला–दुर्ग (छ.ग.)
17	जगद्गुरू शंकराचार्य, कॉलेज आफ एजुकेशन भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
18	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.
19	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–581, ग्राम–पचेडा तह.–अभनपुर, जिला–रायपुर
20	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–129, ग्राम–धनेली, पो.–माना कैम्प, रायपुर
21	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, पचेडा, अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
22	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम– धनेली, माना, रायपुर
23	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, कुम्हारी, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
24	प्रिज्म स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–207, 2011, स्ट्रीट मेन रोड, पो.–उतई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) 491107
25	आर्यावर्त शिक्षा महाविद्यालय, रूआंबांधा, भिलाई, जिला–दुर्ग

अशासकीय बी.एड्. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

1	नेताजी सुभाष महाविद्यालय, ग्राम–बेलभाठा, व्हाया–अभनपुर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
2	छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर–6, भिलाई भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
3	महात्मा गाँधी महाविद्यालय स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)
4	मनसा कॉलेज आफ फिजिकल एजुकेशन, कोहका रोड कुरूद भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
5	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर (छ.ग.)
6	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)
7	दुर्गा महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
8	के.डी. रूंगटा कालेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीरसावरकर नगर, अटारी, रायपुर (छ.ग.)
9	जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
10	कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, प्लाट नं. 2661/24, देवरी, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा
11	कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
12	पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
13	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)
14	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रिसाली, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
15	सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई (छ.ग.)
16	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
17	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) महाविद्यालय, पुलगांव चौक, दुर्ग (छ.ग.)
18	शैल देवी महाविद्यालय, प्लाट नं. 763, स्ट्रीट नं. 25/35, ग्राम–अण्डा, जिला–दुर्ग
19	एम.जे. कॉलेज आफ इंफ. टेक्नालॉजी, भिलाई जिला–दुर्ग
20	स्वामी श्री स्वरूपानन्द सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको भिलाई जि.–दुर्ग
21	बी.एम. कालेज, दुर्ग, कोलिहापुरी, पुलगांव, दुर्ग जिला–दुर्ग
22	श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सेक्ट–6, भिलाई नगर जिला–दुर्ग

अशासकीय महाविद्यालय

1	सेंट्रल कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, फाफाडीह, रायपुर (छ.ग.)
2	आदर्श कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर (छ.ग.)
3	इंस्टीट्यूट आफ नेशनल एंड फारेन लैंग्वेजेस, भिलाई (अथर्व आई.टी., दुर्ग), जिला–दुर्ग (छ.ग.)
4	काम्पटेक महाविद्यालय, सोरिद नगर, धमतरी (छ.ग.)
5	विंध्यवासिनि महाविद्यालय सनौद–बोहारा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
6	कला महाविद्यालय जी – जामगांव, जिला–धमतरी
7	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
8	मां बहादुर कलारिन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, गुरूर (बालोद) जिला–बालोद (छ.ग.)
9	सम्राट अशोका कॉलेज आफ इंफर्मेशन टेक्नालॉजी, कवर्धा, जिला–कबीरधाम
10	रामानुज कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पण्डरिया, जिला–कबीरधाम (छ.ग.)
11	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
12	अत्तर सिंह महाविद्यालय, मॉडल टाउन–511, भिलाई जिला–दुर्ग (छ.ग.)
13	संत राजा राम सदाणी नागरीक महाविद्यालय, डौंडी लोहारा, जिला–बालोद (छ.ग.)
14	माता कर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय गुण्डरदेही जिला–बालोद (छ.ग.)
15	कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर (छ.ग.)
16	विवेकानंद महाविद्यालय, भानसोज, व्हाया–मंदिर हसौद, जिला–रायपुर (छ.ग)
17	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)
18	एलायंस इंस्टी. आफ कामर्स एंड, मैनेजमेंट, जैन मिलन, जैन मंदिर के बाजू सेक्टर–6, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

19	पं. के.एल.एस. विधि महाविद्यालय राजनांदगांव (छ.ग.)
20	ओम श्री साईं नाथ विद्यालय परसतराई (धरसीवां), जिला–रायपुर (छ.ग.)
21	महंत लक्ष्मी नाराण दास महा. रायपुर (छ.ग.)
22	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टिट्यूट आफ बिहेवियेरले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
23	विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
24	साईं महाविद्यालय, स्ट्रीट–69, सेक्टर–6, भिलाई जिला–दुर्ग
25	श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीटयुट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्राम– पचेड़ा जिला– रायपुर
26	बेलीराम महाविद्यालय, भिलाई नगर जिला–दुर्ग (छ.ग.)
27	प्लेटिनम कालेज आफ प्रोफेशनल स्टडिज, माना रायपुर (छ.ग.)

निर्णय : (1) अशासकीय बी.एड्. महाविद्यालय के सरल क्रमांक 03, 09, 14, 19 एवं 22 में उल्लेखित महाविद्यालयों में परिनियम 28 की अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति एवं पदभार ग्रहण करने के पश्चात् सत्र 2015–16 की वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

(2) शेष उपरोक्त महाविद्यालयों को सत्र 2015–16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. **दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 168/U-2-2/Affil. दिनांक 22.07.2015 के अनुसार विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 08.12.2014 के निर्णय क्र. 2 की कंडिका 9(1) को निरस्त करते हुए शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत बी.काम. 120 सीट, एवं बी.काम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन 100 सीट पूर्ववत् किये जाने की अनुशंसा की जाती है।**

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्र. 4239 /अका./वि.प.स्थायी समिति/**2015** रायपुर, दिनांक: 29 **/07/2015**

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

//कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका//

विषय :– **शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रू. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में निर्देशार्थ बाबत्।**

––00––

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक 107/एफ–1005279/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर दिनांक 03 अप्रैल 2013 के अनुसार– छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश दिनांक 01.02.2013 से प्रभावशील होगा।

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत् तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की–डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरनबाजार, रायपुर में कौशल परीक्षा आयोजित की गई, जिसकी अंकसूची प्राप्त हो गई है। **(अंकसूची मूलतः संलग्न)**

संबंधित परीक्षा में सभी कर्मचारियों द्वारा 8000 (Key) की–डिप्रेशन किया है परन्तु गलती करने के कारण अंको में कटौती करते हुए अंक प्रदान किया गया है।

आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त कौशल परीक्षा में कितने प्राप्तांको के आधार पर कर्मचारियों को उक्त राशि की पात्रता होगी। इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशार्थ हेतु **माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।**

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक
बैरनबाजार, रायपुर (छ0ग0)

Web Site:- http://ggpraipur.ac.in E Mail:- principal.ggpraipur@gmail.com Fax 0771-2424778 Tel.No.:- 0771-2423045

क्रमांक /752 / शाकपॉरा / परीक्षा / 2015 रायपुर, दिनांक 20/04/15

प्रति,

कुल सचिव,
पं0 रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर, छ0ग0

विषयः– लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदाय करने हेतु प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) की मूल्यांकित उत्तर–पुस्तिका तथा अंकसूची सौपने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत् लेख है कि संस्था में दिनांक 11 अप्रैल 2015 को आपके विभाग के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता प्रदाय करने हेतु आयोजित प्रायोगिक परीक्षा (कौशल परीक्षा) के उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर तथा अंकसूची तैयार कर मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं का एक तथा अंकसूची का एक सील बंद लिफाफा आपकी ओर प्रेषित हैं । संस्था में उक्त परीक्षा से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है ।

मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका – 59 नग

संलग्न : –1 अंकसूची का सीलबंद लिफाफा 01 नग
2 मूल्यांकित उत्तरपुस्तिका का सीलबंद लिफाफा 01 नग

प्राचार्य,
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक,
बैरन बाजार, रायपुर, छ0ग0

R-1067
22-7-15

Sd other exam permission

परीक्षा का नाम : पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कार्यरत् तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कम्प्यूटर भत्ता प्रदाय किये जाने हेतु आयोजित कौशल परीक्षा

परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर

विषय : कम्प्यूटर

दिनांक : 11.04.2015 पूर्णांक 50

—:: एकीकृत अंकसूची ::—

स. क0	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक अंकों में	प्राप्तांक शब्दो में
1	101	श्री शंकरलाल कुंजाम	स्टेनाग्राफर	कुलपति कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
2	102	श्री हेमन्त कुमार ध्रुव	स्टेनाग्राफर	गोपनीय विभाग	48.00	forty eight only
3	103	कु0 डुलेश्वरी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग	.... A B S E N T	
4	104	श्रीमती दुलारी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग	.... A B S E N T	
5	105	श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	परीक्षा विभाग	.... A B S E N T	
6	106	श्रीमती ममता घोड़ेसवार	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	23.76	twenty three pt. seven six
7	107	श्रीमती भारती शोरी	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	15.74	fifteen pt. seven four
8	108	श्री निर्मल कुमार अग्रवाल	प्रथम श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	.... A B S E N T	
9	109	श्री हेमंत शर्मा	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	38.45	thirty eight pt. four five
10	110	श्रीमती अंजू ठावरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	29.08	thwenty nine pt. zero eight
11	111	श्री प्रदीप कैलाश चंद्रकापुरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	ण्शारीरिक शिक्षा विभाग	13.23	thirty nine pt two three
12	112	श्री श्रवण सिंह ठाकुर	प्रथम श्रेणी लिपिक	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	39.65	thirty nine pt six five
13	113	श्री आर0पी0 देवागंन	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	.... A B S E N T	
14	114	श्री परदेशी राम यादव	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	49.00	forty nine only
15	115	श्री नरेन्द्र गोस्वामी	द्वितीय श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	47.75	forty seven pt. seven five
16	116	श्रीमती सरोज शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक	ग्रंथालय विभाग	.... A B S E N T	
17	117	श्री गिरीश कुमार सेन	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	45.75	forty five pt. seven five
18	118	श्री रणजीत सिंह रात्रे	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	42.90	forty two pt. nine zero

कमशः 2 पर

Ruchi Jain – RJain

Aarti verma –

20/04/15
Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क0	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक अंकों में	प्राप्तांक शब्दो में
19	119	श्री बलराम वर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
20	120	श्री रामकुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	15.58	fifteen pt. five eight
21	121	श्री केशर कुमार थवाईत	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलपति कार्यालय	48.75	forty eight pt. seven five
22	122	श्रीमती सविता पुसरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	43.68	forty three pt. six eight
23	123	श्रीमती प्रवीणा यादव	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	12.50	twelve pt. five zero
24	124	श्री विवेक शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	49.50	forty nine pt. five zero
25	125	कु0 नूतन साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	26.15	twenty six pt. one five
26	126	कु0 स्वप्ना राजवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	48.75	forty eight pt. seven five
27	127	श्रीमती नीलम	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	47.50	forty seven pt. five zero
28	128	श्री धनेश प्रसाद चौबे	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	33.06	thirty three pt. zero six
29	129	श्री चेमन ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	17.44	seventeen pt. four four
30	130	श्री प्रेम कुमार साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.00	forty nine only
31	131	श्री विकांत गोंडाने	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.25	forty nine pt. two five
32	132	कु0 निशा ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	उपाधि विभाग	26.18	twenty six pt. one eight
33	133	श्री योगेश ध्रुव	निम्न श्रेणी लिपिक	दर्शन एवं योग अ0शा0	41.00	forty one only
34	134	श्री हुलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	46.50	forty six pt. five zero
35	135	श्री सागर चंद नाशा	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	25.24	twenty five pt. two four
36	136	श्री दीपक शर्मा	लिपिक	परीक्षा विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
37	137	श्री मुकेश कुमार भतपहरी	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	49.50	forty nine pt five zero
38	138	श्री पुरषोत्तम कहार	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	.... A B S E N T	
39	139	श्रीमती रेणु नवरंग	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	48.25	forty eight pt. two five
40	140	श्री लोभराम	निम्न श्रेणी लिपिक	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ	33.09	thirty three pt. zero nine

क्रमश 3 पर

Ruchi Jain –

Aarti verma –

Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क0	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक अंकों में	प्राप्तांक शब्दो में
41	141	श्री गणेश राम बेनर्जी	निम्न श्रेणी लिपिक	कार्या0 अधिष्ठाता छात्र कल्याण	39.82	thirty nine pt. eight two
42	142	श्री अनुराग श्रीवास्तव	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	18.83	eighteen pt. eight three
43	143	श्रीमती शकुन्ता मनहरे	निम्न श्रेणी लिपिक	साहित्य एवं भाषा विज्ञान	40.22	forty pt. two two
44	144	कु0 पूनम बारबुधे	निम्न श्रेणी लिपिक	इले0 एवं फोटोनिक्स अ0शा0	40.19	forty pt. one nine
45	145	श्री रामकुमार चंद्राकर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
46	146	श्री बिमल कुमार धुर्वे	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	38.10	thirty eight pt. one zero
47	147	श्री थानेश्वर राम इंगले	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
48	148	श्री प्रभात कुमार झा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
49	149	श्री संदीप खर्गवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अ0शा0	39.83	thirty nine pt. eight three
50	150	श्री अवधेश कुमार गंधर्व	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	48.19	forty eight pt. one nine
51	151	श्रीमती रजनी मडांवी	निम्न श्रेणी लिपिक	ग्रंथालय सूचना एवं विज्ञान अ0शा0	23.15	twenty three pt. one five
52	152	कु0 दुर्गेश खटकर	निम्न श्रेणी लिपिक	मनोविज्ञान अ0शा0	49.75	forty nine pt. seven five
53	153	श्री बंशी लाल टेकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	36.89	thirty six pt. eight nine
54	154	श्री अशोक कुमार देवांगन	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.50	forty eight pt. five zero
55	155	श्री महेन्द्र कुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
56	156	श्री पुष्कर दीवान	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	28.45	twenty eight pt. four five
57	157	कु0 सपना सिन्हा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	................ABSENT.........	
58	158	श्री राजन सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गणित अध्ययनशाला	32.08	thirty two pt. zero eight
59	159	श्री पलेश्वर सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	34.88	thirty four pt. eight eight
60	160	श्री नीलम तिर्की	निम्न श्रेणी लिपिक	फार्मेसी संस्थान	34.99	thirty four pt. nine nine

कमश 4 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti verma -

Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

स. क0	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दो में
61	161	श्री रघुराम मरकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	जैवप्रौद्योगिक अ0शा0	23.06	twenty three pt. zero six
62	162	श्रीमती हेमा सरवरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	भू–विज्ञान अ0शा0	................A B S E N T	
63	163	श्री कमलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	28.13	twenty eight pt. one three
64	164	श्रीमती अलका लकड़ा	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	33.39	thirty three pt. three nine
65	165	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	निम्न श्रेणी लिपिक	क्षेत्रीय अध्ययनशाला	32.33	thirty two pt. three three
66	166	श्री शिवलोचन नेताम	कनिष्ठ अधीक्षक	विकास विभाग	15.41	fifteen pt. four one
67	167	श्री योगेश कुमार सोनटेके	प्रथम श्रेणी लिपिक	विकास विभाग	31.31	thirty one pt. three one
68	168	श्री महेश सिह ठाकुर	द्वितीय श्रेणी लिपिक	इतिहास अध्ययनशाला	25.68	twenty five pt. six eight

मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर — Aarti verma, Ruchi Jain

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर — S. Sinha, H.S. Arora

प्राचार्य के हस्ताक्षर

Principal
Govt. Girls Polytechnic
RAIPUR (C.G.)

विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन में प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में कार्यालयीन टीप।

टीप: विश्वविद्यालय परिसर में स्थित प्रेक्षागृह गार्डन में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तत्संबंध में क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभागीय तौर पर स्थल के सर्वेक्षण के पश्चात् गार्डन परिसर में लगभग 40 नग स्ट्रीट लाईट को सोलर पावर प्लांट के माध्यम से संचालित किया जाने का प्रस्ताव किया है। उक्त कार्य संपादन हेतु 04 कि. बा. क्षमता के पावर प्लांट की स्थापना मय पावर वितरण प्रणाली की जाना प्रस्तावित है। जिस पर लगभग 11.03 लाख का व्यय आवेगा।

प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लाँट लगाये जाने हेतु कार्यालयीन टीप।

टीपः– विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के परिप्रेक्ष्य में क्रेडा छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से सौर ऊर्जा पावर प्लाँट लगाये जाना प्रस्तावित है। क्रेडा से संबंधित फर्म Elcoponics Technologies India Pvt. Ltd. Noida U.P. द्वारा उक्त तीनों भवनों का निरीक्षण कर क्रमशः 50 + 40 + 30 = 120 किलो वॉट का सौर ऊर्जा प्लाँट लगाने एवं पांच वर्षो तक रख–रखाव कुल राशि रूपए 98,97,800.00 का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है।

प्रस्ताव माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ रखे जाने अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक – 01 एवं अध्यादेश क्रमांक – 02 के अनुमोदन पर विचार करना।

टीपः– विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 सत्र 2014–15 के लिए मान्य किया गया था। अकादमिक कैलेण्डर 2015–16 में छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित है। अतः इससे संबंधित सत्र 2014–15 के लिए मान्य अध्यादेश क्रमांक 01 व अध्यादेश क्रमांक 02 का प्रारूप पुनः सत्र 2015–16 के लिए अनुमोदन किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

DRAFT ORDINANCE - 1

In exercise of the powers conferred by clause (xxi) of Section 37 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973), the following ordinance is issued relating to Students' Union in colleges and universities and teaching departments/school of studies for the academic session 2015-16 , namely:-

1. **Students' Union and its composition.-** (1) There shall be a Students' Union consisting of (a) Students' Council; and (b) Activity Societies in all University Teaching Departments (hereinafter referred to as UTD)/School of Studies (hereinafter referred to as SOS) and Colleges affiliated to the university.

   (2) The Students' Council shall comprise of President, Vice-President, Secretary & Joint Secretary along with all class representatives in all UTDs/SOSs and Colleges, formed by elections. The Activity Societies shall be nominated bodies:

   Provided that this will not be applicable to those Colleges which are up to second session of its existence:

   Provided further that the Executive Council of the University may, in extra ordinary situations, at the request of any UTD/SOS or College, as the case may be, permit it to be exempted from the operation of this ordinance:

   Provided further also that any UTD/SOS or College which is running only course/s of one year duration or less shall, too, be exempted from the operation of this

less shall, too, be exempted from the operation of this ordinance.

2. **Objectives of the Student's Union.**- The following shall be aims and objectives of the Students' Union, namely: -

(i) to promote and reinforce the democratic values and principles amongst the students and to educate them about their duties and rights in democracy;

(ii) to emerge with value oriented leadership qualities and to inculcate a spirit of discipline and also to foster the spirit of brotherhood;

(iii) to promote respect for human rights and dignity for the individuals and to eliminate ragging;

(iv) to promote intellectual, social and cultural activities in the campuses;

(v) to encourage participation in literary, cultural, artistic, innovative and sports activities to bring out their leadership and creative talents;

(vi) to promote scientific temper and awareness on subjects of national and international importance;

(vii) to extend social service through mutual cooperation with a view to shaping a generation dedicated towards social, economic, political issues of the society;

(viii) to nurture a congenial atmosphere of learning and teaching for the development of the institution with the ultimate aim to build a knowledge society:

Provided that the union,-

a. will not consider or canvass any matter relating to faculty / employees /individual students;

b. will not undertake any activity that will disturb the academic calendar approved by the Coordination Committee or is contradictory to the provisions of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973);

c. will not take up any matter which falls within the jurisdiction of a Statutory Body other than the University;

d. will not take up any activity that is against the code of conduct prescribed for the students of the College/ UTD/SOS.

e. will not indulge in any activity that is detrimental to the peace, tranquility and academic environment of the College/ UTD/SOS, as the case may be;

f. the union shall not identify or associate itself with any political party.

3. **Patron.-** The Kulpati shall be the Patron of the Students' Union in UTD/SOS whereas the Principal of the college shall be the Patron of the Students' Union in the College.

4. **Eligibility**.- (i) Any regular student on the rolls of College or UTD/SOS, as the case may be, on or before 14th August shall be eligible to vote for electing his/her

Class Representative and the Students' Council, subject to the provisions contained in clause (viii)of Section 20:

Provided that a student, who has indulged in ragging shall not be entitled to vote or contest for the Students' Council.

(ii) An eligible student can, at his/her option, also be a member of any one of the Activity Societies of the Students' Union of the College/ UTD/SOS after completing the prescribed formalities. Such a student can, at his/her option, also become associate member of any other society.

(iii) An associate member will have all the privileges and rights of a member, except that he/she cannot be nominated to any office of the Society.

5. **Students' Council.-** (i) The Students' Council shall consist of the following members, namely:-

(a) (i) President;

(ii)Vice President;

(iii) Secretary; and

(iv) Joint Secretary.

(b) One Class Representative from each section of every under graduate class (e.g. Part one, two, three) and one representative each from 1st & 2nd semester (combined), one representative from 3rd & 4th semester (combined) of each subject at the post graduate level, elected by the student members of

the section/subject/class from amongst themselves. Wherever semester system is followed at under-graduate classes, the Class Representative shall be from 1st and 2nd semester (combined), 3rd and 4th semester (combined) and 5th and 6th semester (combined) from each section of undergraduate class. In case of semester courses of one year duration, the Class Representative shall, too, be from 1st and 2nd semester (combined) for each of the course.

(c) If, at least one representative belonging to any of the following categories is not elected under clause (a) and (b) above, as a member of the council, the Patron shall nominate, as nominated members, one student from each of following categories from amongst the students whose name figure in the electoral roll, namely :-

(i) Scheduled Tribes;

(ii) Scheduled Castes;

(iii) Other Backward Classes; and

(iv) Persons with disability

Note: Nominated members can participate in deliberations at a meeting of the Council but shall not have any voting rights.

(ii) The following shall be the office bearers of the Student Council, namely:-

1. President

2. Vice-President

3. Secretary

4. Joint Secretary,

The office bearers shall be elected by the regular students of the college whose name figure in the electoral roll of the College/ UTD/SOS, as the case may be. Any student, whose name figures in the electoral roll, can contest for the post of Students' Council provided one post of office bearer shall be reserved for a woman candidate in the College/ UTD/SOS where women students are also enrolled.

(iii) In the first year, the post for women will be determined by lottery after which it will rotate in the descending order, as given in (ii), above.

(iv) The term of the Students' Council and societies shall commence on the date of its constitution and end on the 30th April of the academic year.

(v) One third of the total posts of Class Representatives in College/ UTD/SOS shall be reserved for women in those colleges where women students are also enrolled and posts for women will be determined by draw of lots.

(vi) A teacher not below the rank of assistant professor in a College/ UTD/SOS shall be appointed as professor-in-charge of the Students' Council and the society by the Patron. The professor-in-charge shall also be the treasurer of the Council/Societies and he/she shall have the right to be present at any meeting of the Students' Council or the societies and to offer his/her advice on any matter relating thereto.

6. **Nomination Committee.-** There shall be a Nomination Committee for nominating office bearers of the Activity Societies. The Nomination Committee shall ordinarily comprise up to four members. In case of Government Colleges, the patron shall be the President of the Nomination Committee with the elected President of the Students' Union, the President of Janbhagidari Samiti and professor- in- charge of Students' Union as its members. The vice-president/ Collector's nominee of the Jan Bhagidari Samity shall be the member, wherever the post of President, Janbhagidari Samiti is lying vacant. In U.T.D., the Kulapati shall be President of the Nomination Committee, whereas in a private college, the Chairman of Management Committee shall be the President of the Nomination Committee.

7. **Co- curricular and Academic Activity Societies**.- (i) There shall be, in every College/ UTD/SOS, Co-curricular and Academic Activity Societies like (1) Cultural Society; (2) Social Work Society [This includes Red cross Society, NCC/NSS (wherever it exists)] ; (3) Science club; (4) Physical Activity Society; (5) Society on Gender Issues (6) Knowledge Society; (7) Current affairs club; (8) Computer literacy Society; (9) Book Readers' Society; (10) Dramatics Society and (11) Fine Arts Society, etc. in a manner prescribed here in below.

(ii) There shall be a Working Committee for each Activity Society. The committee shall comprise of Convener, Co-convener and Nominated Members. The number of nominated members shall depend upon the strength of bona fide students enrolled in College/ UTD/SOS, as

the case may be. Colleges/ UTD/SOS with student strength of up to 1000 shall have 5 nominated members whereas the number of nominated members can be 10 for College/ UTD/SOS with student strength beyond 1000.

(iii) The Working Committee of each Activity Society shall be responsible for conducting activities assigned to it. The Convener of the Working Committee shall have the right to attend the meeting of the Student Council. He can also offer advice to the Student Council on evolving programs for the Student Council. However, such advice shall not be binding upon the Student Council. The other powers and functions and scope of activities of each Society shall be determined by the Patron.

(iv) The funds generated from the membership fees of any society and those raised by the members of that particular society, with prior permission of the Professor-in-charge, shall be available to the concerned society to carry out the functions and activities.

(v) The Activity Society shall be constituted within 21 days from the date of completion of election.

8. **Powers of the Patron.-** The Patron shall have the following powers, namely:-

(a) To preside and address any meeting of the Students' Council or of the office bearers of the Students' Council and to address the members thereof, as and when the situation so warrants.

(b) to decide all disputes of Students' Council or societies referred to him and his decision in the matter shall be final.

(c) to administer the oath of office to members and office bearers of Students' Union.

(d) to annul any resolution or proceedings of the Students' Council or the Societies, as deemed necessary, wherever such a resolution or the proceeding is found to be beyond the powers of the council or detrimental to the interest of the College/ UTD/SOS.

(e) to dissolve Students' Council in the event of violation of the provisions of the Ordinance by the Students' Council or the Societies, as the case may be, and to take appropriate action.

(f) to remove any office bearer of the Students' Council or the Society from his/her office if the said office bearer has directly or indirectly indulged in ragging;

or

is involved in financial embezzlement;

or

has extracted or tried to extract money illegally from some person/institution or business establishment;

or

has intimidated any officer or the employee of the college/University to do an illegal act;

or

indulged in violent activity or have lead violent demonstration or is involved in case of moral turpitude;

or

has indulged in any activity that is detrimental to the reputation of the institution.

(g) to authorize the arrangement and allocation of funds for the Students' Council and different Societies.

(h) to decide the membership fees for the members of any of the Societies.

(i) to call a monthly meeting of student union and the teaching staff.

9. **Powers of the Professor-In-Charge.-** Professor-in-charge of the Students' Council or of the Societies, as the case may be, shall have the following powers with respect to the Council / Societies, namely:-

(a) to conduct the election to the Students' Council;

(b) to be present at the meetings of the Students' Council or the Society;

(c) to exercise general supervision over the affairs of the Council or the Society and if necessary to advise the Students' Council or the Society regarding their activities;

(d) to be in-charge of the funds of the Council or the Society and to ensure that no part thereof is advanced or spent without the sanction of proper

authority or for purposes other than those for which they are allocated;

(e) to bring to the notice of the Patron any resolution or proceeding or act of any of the bodies or office bearers of the Council or the Society which is in violation of the provisions of the Ordinance or is likely to be prejudicial to the interest of the college;

(f) to send to the Adviser-cum-Treasurer of the University, the names of elected President and Secretary, immediately upon the completion of the election.

10. **Power of the President/ Convener to preside over the meeting of the Council or Society.-** The President/Convener of the Council/Societies, as the case may be, shall in the absence of the Patron/Professor-in-charge, preside over the meetings of the Students' Council or Society.

11. **Duties of the President/Convener of the Council/Societies**.- Subject to clause 10 above, President/Convener of the Council/Societies may preside over the meeting of the Council/Societies and shall perform the following duties, namely:-

(a) Subject to the control of the Students' Council/Societies, to be in charge of the general management of the affairs of the Council/ Society.

(b) To ensure discipline at the meetings of the Students' Council/Societies or at any meeting or gathering organized by the Council/Societies.

(c) To ensure that the provisions of the Ordinance are faithfully observed.

(d) To ensure that any activities organized by the Council/Societies do not become unruly, violent or unlawful nor does it lead to the destruction of the private or public property.

(e) To discharge any other legitimate functions entrusted to him/her or any legitimate duty imposed on him/her by the Students' Council or the Society subject to the approval of the Patron/ Professor-in-charge.

12. **Duties of the Vice President of the Council.-** the Vice President of the Council shall carry out the legitimate work assigned to him/her by the President of the Council and perform the legitimate functions of the President in his/her absence.

13. **Duties of the Secretary/Co-convener of the Council or Society.-** the Secretary/Co-convener of the Council or Society as the case may be, shall carry out the following functions, namely:-

(i) to convene meetings of the Students' Council/Society subject to the instructions of the President and approval of the Professor-in-charge;

(ii) to prepare and maintain the minutes of the meetings of the Students' Council or the Society;

(iii) to conduct the correspondence of the Council or the Society and keep all records thereof;

(iv) to ensure that the legitimate decision of the Students' Council or the Society are carried out;

(v) to perform all other legitimate function entrusted to him/her by the President/Convener with the approval of the Professor-in-charge;

Note:- The Co-convener of a Society shall perform the legitimate functions of the Convener, in his/her absence.

14. **Duties of the Joint Secretary.**- (i) The Joint Secretary of the Council shall assist the Secretary in the discharge of his/her duties and shall have such powers as may be assigned to him/her by the President with the approval of the Professor-in-charge.

(ii) The Joint Secretary shall, in the absence of the Secretary discharge the legitimate duties of the Secretary.

15. **Powers of the Students' Council/Societies.**-

(i) The Students' Council/Societies, as the case may be, shall have the following powers, namely :-

(a) To lay down the broad pattern of the activities of the Students' Council/Societies.

(b) To approve the budget estimates of the Council/Societies.

(ii) One-third of the total membership of the Students' Council & one-fourth of the total membership of the concerned Society shall constitute the quorum.

(iii) Each member of Students' Council shall have the right of one vote.

16. **Meeting of the office bearers of the Students' Council/Societies.-** (i) The office bearers of the Students' Council/Societies shall meet at least once in every two months. No quorum is required for the meeting of the office bearers.

(ii) The office bearers shall be given at least three days notice for an ordinary meeting and clear twenty four hours' notice for an emergent meeting. Agenda of the ordinary as well as the emergent meeting shall be sent along with notice. No ex-agenda item shall be admissible in an emergent meeting.

(iii) The minutes of the meeting of the office bearers of the Students' Council /Societies shall be put up for confirmation at the next following meeting.

17. **Functions of the Students' Council/Societies.-** The office bearers of the Students' Council/Societies, as the case may be, shall:-

(i) prepare the budget of the Council/Societies under the guidance of the Professor-in-charge and submit it to the General Meeting of the Students' Council/Societies for approval.

(ii) draw up the programme of work to be undertaken by the Council or Societies during the academic session and make necessary arrangement for the implementation of the programme. Provided that no outsider shall be invited to address the Council/ Societies or any of its bodies without the prior approval of the Patron/Professor-in-charge.

18. **Grievance redressal society and welfare society.-** (i) The President of the Students' Council may constitute a Students Grievance Redressal Society and Students' Welfare Society.

(ii) The number of members of these societies shall be determined by the Patron keeping in view the size of the college, number of the students and other relevant factors.

19. **Funds of the council.-** (i) Funds placed at the disposal of the Council by the Patron of the College together with any other funds raised lawfully with the prior permission of the Patron, shall constitute the funds of the Council.

(ii) The Professor-in-charge shall draw, out of the fund, money sanctioned by the Council and shall have direct control over it.

(iii) Whenever any amount is advanced to the President or any member of the Council authorized to receive the amount, the account shall be rendered to the Secretary who shall countersign the vouchers, maintain the accounts of the Council and submit the account with the complete set of vouchers to the Professor-in-charge within a week.

(iv) The Professor-in-charge and the office bearers of the Council/Societies, as the case may be, shall be responsible for appropriate utilization of the allotted amount.

(v) Absolute transparency shall be required to be maintained in matters pertaining to the maintenance of accounts of the Students' Council/ Societies. Any

Student, who is a member of the Council/Societies, shall have the right to see the accounts of the Council / Societies.

20. **Elections.-** (i) Election shall be held on a date determined in the academic calendar approved by Kuladhipati.

(ii) Election shall be conducted by the Professor-in-charge according to the program announced by the Kulpati.

(iii) The Professor-in-charge, shall notify 7 days in advance, the date and place of election of office bearers of the Students' Council and Class representatives, the time for filing nomination papers, time for scrutiny of nominations, hours of the withdrawal of nomination, the day, place and duration of the poll, time and place for the counting of votes etc.

(iv) The result of the election shall be declared by the Professor-in-charge immediately after the counting of votes is over.

(v) If in the opinion of the patron, exigencies exist for postponement of election and a recommendation to postpone or advance the date of election is forwarded to the Kulpati, the Kulpati shall have the power to postpone or advance the date of the elections.

(vi) The election for the office bearers of the Students' Council and the Class Representatives shall be held simultaneously.

(vii) It shall be, at the discretion of the Professor-in-charge, to give opportunity to candidates contesting for

the post of Students' Council or Class Representative, to speak about his/her plan and programmes to the concerned students, prior to 24 hrs before the commencement of polling.

(viii) A student shall not be eligible to contest the election or to be nominated to any office of the Council/Society of the College if he/she falls in any of the categories listed below,-

(a) Has ever been found guilty of ragging.

(b) Has passed 10+2 examination earlier than six years before the commencement of the academic session in which the election is held or has taken more than the prescribed minimum period, for whatever reason, for the course of which he/she is/was a student in the College/ UTD/SOS or has an academic backlog.

(c) Has failed to pay the tuition fees and any other dues.

(d) Has been convicted by a court of law for any offence or against whom charges have been framed and the criminal proceedings are in progress for any offence relating to the affairs of the College/UTD/SOS as the case may be.

(e) Has been punished for use of unfair means at any examination or against whom proceeding is pending.

(f) Is in employment while studying in the college.

(g) Has passed the last University examination in more than the minimum period required.

(h) Has been punished for indiscipline by the College / UTD/SOS authorities.

(i) Joined any equivalent course after having failed in one or having left one incomplete.

(j) Has been provisionally admitted.

(k) Has been expelled from the hostel due to breach of rules.

(ix) No person shall hold the same office consecutively.

(x) A candidate seeking election shall be nominated by a Proposer and a Seconder who shall be eligible voters.

(xi) In addition to the elected and nominated members of Students' Council, any regular student whose name figures in the electoral rolls of the college, can contest the elections of the following, namely:-

1. President;
2. Vice-President;
3. Secretary; or
4. Joint-Secretary:

Provided that only those students can contest for the post of President of the Students' Council, who have been regular students of the college for one year immediately before the present academic session or he/she is enrolled as the student of the post graduate degree course:

Provided further that any student shall be eligible to contest election and to get elected for the post of Class Representative once during under graduate education and once during post graduate education.

(xii) Nomination paper shall be filed before the professor-in-charge, as per announced schedule to be displayed on the notice board, for elections to the post of Students' Council/Class Representatives, in the presence of proposer and seconder. In case of Students' Council, the proposer and the seconder can be any student of the College / UTD/SOS, whose name figures in the electoral roll of the College/UTD/SOS; however, for the post of Class representatives, the proposer as well as the seconder shall have to be from the same class/section, as the case may be, of the contestant. Scrutiny of nomination papers, withdrawal etc, shall be done as per the pre-announced schedule to be displayed on the notice board. The nomination paper shall be delivered by the candidate himself, at a place specified for this purpose, in the presence of proposer and seconder.

(xiii) All the Nominations shall be made in the prescribed form, available with the professor in charge, and a nomination paper shall be declared invalid if:

(a) The nomination paper was received after the prescribed date and time.

(b) The nomination is not in the prescribed form and it has not been obtained from the Professor in charge.

(c) The nomination paper submitted is, in any way, incomplete.

(d) The candidate is disqualified to seek election under the provisions of this ordinance.

(e) No addition or alterations shall be permitted once the nomination is submitted by the candidate and received by the Professor-in-charge.

(xiv) (a) If in an election all the nominations are found invalid or no nomination paper is filed, the patron shall nominate a student/students not disqualified under sub-para (ix), from amongst the voters concerned, to fill the seat remaining vacant due to the invalidation or for want of nomination.

(b) If the number of validly nominated candidates is less than or equal to the number to be elected, all such nominated persons shall be declared elected and the vacancy thereafter, if any, shall be filled up by Patron by nomination as in (a) above.

(c) Voting shall take place if the number of validly nominated candidates, after the withdrawals of candidature, is greater than the number of members to be elected, for a particular post.

(d) The voting shall be done by secret ballot and the candidate securing highest number of votes shall be declared as elected.

(e) In case of two or more candidates securing equal number of highest votes, for a particular post, the winner shall be decided by draw of lots, by the Professor-in-Charge.

(xv) Every student shall have to abide by the following code of conduct, during the course of election, namely:-

(a) No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.

(b) Criticism of other candidates, when made, shall be confined to their policies and programs, past record and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates.

(c) Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.

(d) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship,

within or without the campus shall not be used for election propaganda.

(e) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 metres of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.

(f) No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.

(g) Candidates may only utilize hand-made posters at designated places in the campus, which shall be notified in advance in writing by the university/college authority.

(h) No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the university/college campus.

(i) No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the university / college campus, for any purpose whatsoever, without the prior written permission of the college / university authorities, as may be designated for the purpose. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction / defacing of any university / college property.

(j) During the election period the candidates may hold processions and / or public meetings, provided that such processions and / or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co-curricular activities of the college / university. Further, such procession / public meeting may not be held without the prior written permission of the college / university authority as may be designated for this purpose.

(k) The use of loudspeakers, vehicles, animals or any other undesirable things for the purpose of canvassing shall be prohibited.

(l) No candidate shall exceed the limit of expenditure, for the purpose of election that is fixed by the Professor-in Charge, for this purpose.

(m) On the day of polling candidates shall -:

(i) Co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without annoyance or obstruction;

(ii) not serve or distribute any eatables either in solid or liquid form whatsoever on the day of polling.

(xvi) Where a candidate fails to observe the code of conduct or instigates or supports breach of the code of conduct as given above, the Professor-in-Charge may declare his/her election invalid and may also recommend for disciplinary action.

(xvii) A ballot paper shall be rejected if:

(a) it bears any mark or writing by which the elector can be identified; or

(b) it bears no mark to indicate the vote or bears a mark other than the mark of the prescribed seal placed for the purpose, provided by the College/ UTD/SOS; or

(c) a mark of the seal, indicating the vote, is placed in such a manner as to make it doubtful or uncertain as to which candidate the vote has been given; or

(d) a voter has given more votes than the number of seats to be filled; or

(e) a ballot paper is signed by the voter. Provided that where there is an uncertainty in respect of any vote/votes but not in respect of all the

votes given by the voter, the ballot paper shall be void to the extent of the uncertainty only.

21. **Election dispute resolution committee.-** The Patron, at the beginning of the academic session, shall constitute a Election Dispute Resolution Committee. Dispute relating to elections that cannot be resolved by the Professor-in-Charge could be referred by the patron to the Committee. The decision of the committee shall be binding.

22. **Ceasing to be in office.-** If a student elected to an office does not take oath within the prescribed period, the right to the office shall cease and the office shall be deemed to be vacant.

23. **Debar from continuing in office.-** When a person elected to any office or body of the Council/Societies incurs any of the disqualification listed under sub-Para(ix) of Para 20 above, he/she shall be debarred from continuing in such office or body by the order passed by the Patron, and the position held by him/her shall become and remain vacant.

24. **Resignation.-** An office bearer of the Council/Societies or a member of the Students' Council or the Society may resign by a letter addressed and submitted in person to the Professor-in-Charge and the resignation shall take effect as soon as the resignation letter is accepted by the Professor-in-Charge.

25. **Assistance of district administration.-** The Vice-chancellor/ College Principal may call upon the district

administration and police to assist in the conduct of elections.

26. **Powers of Kulpati.**- In the Ordinance or under this Ordinance, wherever date and time are specified, they could be changed by the Kulpati.

27. **Power to remove difficulties.**- Not with standing anything contained hereinabove, the Kulpati shall be the authority to clarify matters relating to interpretation of this Ordinance.

28. **Repeal**.- This Ordinance shall be in the supersession of the previous Ordinance.

ORDINANCE No. 2

UNIVERSITY STUDENTS' UNION

1. The University Students' Union, at the head-quarters of the University, shall be a federation of Students' Union of UTDs / SoS and Colleges (hereinafter referred to as College Union) affiliated to the University. President and Secretary of Students Union of every College Union shall be Members of the University Students' Council. The Members of the University Students' Council shall, unless disqualified under any provisions of the Adhiniyam, the Statutes or the Ordinances, have the right to participate in the activities of the University Students' Union and to vote to elect or to get elected to the post of office bearers of the University Students' Council.
2. The objectives of the University Students Union shall be :
   - (a) to promote intellectual, cultural and social life of the students;
   - (b) to foster activities to bring out and develop the creative talents of the students and to promote their welfare;
   - (c) to develop a tradition of service and to inculcate in the students, the sense of social responsibility;
3. (i) In order to achieve these objectives the University Students' Union may :
   - (a) Organise and participate in debates, symposia, study circles, lectures, conduct scientific and cultural exhibitions, science and literary clubs;
   - (b) Promote social service activities and students welfare programmes;
   - (c) examine and determine the nature and extent of the difficulties of students, such difficulties being of a general nature and not relating to any individual student, in the conduct of their academic, cultural and social life and place them before University authorities for their solution.

   (ii) The activities of the University Students' Union may extend to such areas as may be the territorial jurisdiction of the University and the University Students' Union may avail of assistance of College Unions as may be required. The University Students' Union shall not identify or associate itself with any political party.
4. Every College Union shall contribute at the rate of one rupee for each of its members towards the funds of the University Students' Union. The total amount of such contribution payable from out of the Amalgamated Fund/Composition fee, collected every year, shall be sent by the Principal of the College or the Head of the Teaching Department/School of Studies to the Registrar of the University as soon as possible.

5. If a College fails to remit the prescribed amount of contribution due from its Students' Union, such Union of the College/UTDs/SoS may be debarred from membership of the Student's Union.

6. The Kulapati shall be the Patron of the University Students' Union and the Dean Students' Welfare or where ever there is no Dean, Students' Welfare, a teacher not below the rank of Associate Professor to be nominated by the Patron shall be its Adviser-cum-Treasurer. If no officer of the rank of Associate Professor is available, then the patron may nominate an officer of the rank of Assistant Professor for the post.

(i) The **University Students' Union** shall have a **Council** and an **Executive Committee**.

(ii) The **Council** shall be composed of:-

(a) The Presidents of College Unions and

(b) The Secretaries of College Unions.

(iii) The **Council** shall elect, by simple majority vote, from amongst its members, the following **office bearers** of the University Students' Union:-

(a) President

(b) Vice-President

(c) Secretary

(d) Joint- Secretary

Provided that no candidate shall contest the election for more than one office or seek re-election to an office which he has held once.

(iv) The office bearers, so elected, together with two members of the College Union from each district, within the territorial jurisdiction of the University, to be nominated by the Kulapati on the basis of draw of lots from amongst all members of the University Students' Union electoral roll of that District, shall constitute the Executive Committee.

7. (a) Every professor in-charge of College Union shall send, every year, the names of the President and the Secretary of the College Union so as to reach the Adviser-cum-Treasurer of the university Students' Union immediately after the declaration of the results of the College Union as per the election schedule.

(b) The Adviser-cum-Treasurer shall compile the names of the President and Secretary of all College Councils, within its jurisdiction, for the purpose of constituting the University Students' Union and also for

preparing the electoral roll of University Students' Union. A list of the University Students' Council members shall be notified and sent to all its members and the respective Colleges/U.T.D./SoS under the signature of Adviser cum Treasurer. All elections shall be held by secret ballot.

(c) The members of the Council shall cast their votes, for the election to the posts of office bearers, on specified date and time, as announced by the Adviser cum Treasurer, at their respective colleges/U.T.D./SoS only, to be held under the supervision of Patron/ Professor in charge of that College/U.T.D./SoS

(d) Vacancies in the electoral roll arising out of resignation, removal etc. shall not be filled up in any manner, once it is finally published.

Provided that once the date for the election of the office-bearers of the University Students' Union is notified by the Adviser cum Treasurer, the election will be held notwithstanding the fact that a College/U.T.D./SoS have not held the election to the College Union before the day specified under clause (a) above. Nomination papers shall be filed before the designated authority as per announced schedule.

(e) All nominations shall be made in the prescribed form, available with the designated authority and a nomination paper shall be rejected if:

(i) The nomination paper was received after the time prescribed or announced as per schedule;

(ii) the nomination is not in the prescribed form;

(iii) the nomination paper submitted is, in any way, incomplete;

(iv) the candidate is disqualified to seek election under the provisions of the Ordinance;

(f) A ballot paper for the election of an office bearer shall be rejected if :-

(i) it bears any mark or writing by which the elector can be identified, or

(ii) it bears no mark to indicate the vote or bears a mark other than the mark of the prescribed seal placed for the purpose, or

(iii) a mark of the seal, indicating the vote, is placed in such a manner as to make it doubtful or uncertain as to which candidate the vote has been given, or

(iv) the elector has given more votes than the number of seats to be filled, or

(v) the ballot paper is signed by the voters.

Provided that where there is uncertainty in respect of any vote/votes but not in respect of all the votes given by the elector, the ballot paper shall be void to the extent of uncertainly only.

(g) The voting shall be done by secret ballot and the candidates securing highest number of votes shall be declared as elected.

(h) In case of two or more candidates securing equal number of highest votes, for a particular post, the winner shall be decided by draw of lots, by the Adviser cum treasurer.

(i) Every student shall have to abide by the following code of conduct, during the course of election, namely:-

(a) No candidate shall indulge in, nor shall abet, any activity, which may aggravate existing differences or create mutual hatred or cause tension between different castes and communities, religious or linguistic, or between any group(s) of students.

(b) Criticism of other candidates, when made, shall be confined to their policies and programs, past record and work. Candidates shall refrain from criticism of all aspects of private life, not connected with the public activities of the other candidates or supporters of such other candidates.

(c) Criticism of other candidates, or their supporters based on unverified allegations or distortion shall be avoided.

(d) There shall be no appeal to caste or communal feelings for securing votes. Places of worship, within or without the campus shall not be used for election propaganda.

(e) All candidates shall be prohibited from indulging or abetting, all activities which are considered to be "corrupt practices" and offences, such as bribing of voters, intimidation of voters, impersonation of voters, canvassing or the use of propaganda within 100 metres of polling stations, holding public meetings during the period of 24 hours ending with the hour fixed for the close of the poll, and the transport and conveyance of voters to and from polling station.

(f) No candidate shall be permitted to make use of printed posters, printed pamphlets, or any other printed material for the purpose of canvassing. Candidates may only utilize hand-made posters for the purpose of canvassing, provided that such hand-made posters are procured within the expenditure limit set out herein above.

(g) Candidates may only utilize hand-made posters at designated places in the campus, which shall be notified in advance in writing by the university/college authority.

(h) No candidate shall be permitted to carry out processions, or public meetings, or in any way canvass or distribute propaganda outside the university/college campus.

(i) No candidate shall, nor shall his/her supporters, deface or cause any destruction to any property of the University / College campus, for any purpose whatsoever, without the prior written permission of the college / university authorities, as may be designated for the purpose. All candidates shall be held jointly and severally liable for any destruction / defacing of any university / college property.

(j) During the election period the candidates may hold processions and / or public meetings, provided that such processions and / or public meetings do not, in any manner, disturb the classes and other academic and co-curricular activities of the College / University. Further, such procession / public meeting may not be held without the prior written permission of the College / University authority as may be designated for this purpose.

(k) The use of loudspeakers, vehicles, animals or any other undesirable things for the purpose of canvassing shall be prohibited.

(l) No candidate shall exceed the limit of expenditure, for the purpose of election that is fixed by the Adviser-cum-Treasurer, for this purpose.

(m) On the day of polling candidates shall -:

(i) Co-operate with the officers on election duty to ensure peaceful and orderly polling and complete freedom to the voters to exercise their franchise without annoyance or obstruction;

(ii) not serve or distribute any eatables either in solid or liquid form whatsoever on the day of polling.

(j) Where a candidate fails to observe the code of conduct or instigates or supports breach of the code of conduct as given above, the Advisor-

cum-Treasurer may declare his/her election invalid and may also recommend for disciplinary action.

8. (i) The Council shall start functioning from the date of its constitution, as notified by the Adviser cum Treasurer, in accordance with 7(b) above. The term of office of the members of the Executive Committee of the University Student's Union shall commence from the date of its notification and continue till the end of April of the academic session. The Council, too, shall continue till the end of April of the academic session.

(ii) The Council shall meet at least twice in the academic session on dates to be fixed by the President in consultation with the Adviser-cum-Treasure. The President shall, upon a requisition in writing signed by not less than one third of the total number of members of the Council, convene a special meeting of the Council within 20 days of the receipt of such a requisition. Members shall be given at-least 15 days notice of every meeting and the agenda shall be sent to the members with the notice of the meeting.

(iii) One third of the members of the Council shall constitute a quorum,

9. The **Council** shall have the following powers and perform the following duties, namely :

(i) to lay down the broad programme of work to be undertaken by the Union.

(ii) to approve, with or without modifications, the annual report and the budget estimates of the Union submitted by the Executive Committee.

(iii) to approve the matters to be placed before the University authorities by the Union.

(iv) to prepare a guideline necessary to regulate the activities of the Union.

(v) to exercise all other power conferred on it by the ordinances.

10. (i) The Executive Committee comprising of the office bearers and the nominated members shall remain in office so long as the Council functions unless the member/s of the Committee or the office bearer/s are removed by an order of the Patron after a no-confidence motion against the Executive Committee or the office bearers is passed by the Council.

(ii) The Executive Committee shall meet at-least once in two months on a date to be fixed by the President in consultation with the Adviser-Cum-Treasurer. A special meeting of the Executive Committee, if

requisitioned in writing by one third of its members, shall be called by the president with-in fifteen days of the receipt of such requisition.

(iii) Members shall be given at least ten days notice of an ordinary meeting or a special meeting & four days notice of an emergent meeting. The proposal for holding an emergent meeting shall be accepted if at least two third of the members of the Executive Committee give in writing to this effect. Agenda of an ordinary meeting or a special meeting shall be sent to the members with the notice of the meeting. No other topic other than mentioned in the agenda shall be discussed in the special / emergent meeting.

(iv) Half of the members of the Executive Committee shall constitute a quorum.

11. The **Executive Committee** shall :

(a) draw-up detailed schemes to be implemented and take steps to implement them;

(b) prepare the budget and submit it to the Council for approval;

(c) study students problems and bring them before the Council with its suggestions;

(d) allot duties to its members and may constitute sub-committee for specific purpose as may be required in consultation with Advisor-cum Treasurer;

(e) prepare the annual report of the Union and submit it to the Council for approval;

(f) have such other powers and duties as may be assigned to it by the Council.

Note:- The activities of the Council/Executive Committee/Sub-Committee, as the case may be, shall be uploaded by the Adviser-Cum-Treasurer in the web site specifically launched for this purpose.

12. The **Patron** shall have the following powers, namely -

(a) to be present at any meeting of the Council or the Executive Committee and to address the members there of,

(b) to decide all disputes arising out of elections of the office-bearers and others members of the Executive Committee referred to him within five days following the day of the declaration of the result of election. His decision in the matter shall be final.

(c) to administer the oath of office to the members of the Executive Committee.

(d) to annul any resolution or proceedings of the Council or the Executive Committee if he deems such resolution or proceeding to be beyond the

legitimate function or power of the Union or are detrimental to the interests of the University/Students in general:

(e) to give direction to the Council or the Executive Committee in the interest of proper functioning of the Council/ Executive Committee, as the case may be, and the Council/ Executive Committee shall act in accordance with such direction;

(f) to suspend the Council or the Executive Committee in the event of violation of the provisions of this Ordinance by the Council or the Committee;

(g) such other powers as are vested in the Patron under this Ordinance and /or by the Government .

13. The **Adviser-cum-Treasurer** shall :-

(a) notify the constitution of the University Students' Council;

(b) conduct the elections to the Executive Committee;

(c) have the power to be present at any meeting of the council or the Executive Committee and to advise the Council and the Executive Committee in regard to their activities;

(d) be in-charge of the funds of the Union and ensure that no part thereof is spent without proper authority or for purpose other than those for which they are allocated;

(e) bring to the notice of the patron any resolution or proceedings or any act of any of the bodies or office bearers of the Union which is violative of the provisions of this Ordinance or likely to be prejudicial to the interest of the University/Students in general;

14. (i) The **President** of the Union shall preside at meeting of the Council and the Executive Committee;

(ii) The President shall have the following powers and perform the following duties, namely -

(a) subject to control of the Executive Committee to be in charge of the general management of the affairs of the Union;

(b) to ensure discipline at meeting of the Council and the Executive Committee or at any meeting or gathering organised by the Union;

(c) to ensure that the provisions of this Ordinance are faithfully observed;

(d) to discharge any other lawful function entrusted to him or any other legitimate duty imposed on him by the Council or

the Executive Committee subject to overall provisions of the Ordinance and keeping in view the larger interest of the University/Students in general.

15. The **Vice President** shall carry out the work assigned to him by the President and in the absence of the President, shall perform his functions.

16. The **Secretary** shall perform the following functions, namely -

(i) to issue notice of every meeting of the Council and the Executive Committee subject to the instructions of the President;

(ii) to prepare and maintain the minutes of the meeting of the Council and the Executive Committee;

(iii) to maintain the accounts of the Union, conduct the correspondence of the Union and keep all records thereof;

(iv) to ensure that the discipline of the Council and the Executive Committee are properly carried out;

(v) to perform all other lawful functions entrusted to him by the Council or the Executive Committee;

17. The **Joint Secretary** shall assist the Secretary in the discharge of his duties and shall have such powers as may be assigned to him by the President with the approval of the Adviser-cum-Treasurer.

18. (i) The University Students' Union fee collected from the College Unions together with any other lawful receipts from any source, if any, shall constitute the fund of the University Students' Union;

(ii) Whenever any expenditure is authorised by the Executive Committee, the Adviser-cum-Treasurer shall obtain the required funds from the Registrar and make it available to the person authorised by the Committee to receive the same;

(iii) Whenever any amount is paid to any office-bearer or members of the Union by the Adviser-cum-Treasurer, accounts shall be rendered to the Secretary who shall maintain the accounts of the Union and submit at the end of each month the accounts with complete vouchers (duly countersigned by the Secretary) to the Adviser-cum-Treasurer.

(iv) The Accounts of the Unions shall be audited every year by such agency as the Patron may appoint.

19. (i) The Council may pass a motion expressing no-confidence in the President or any other office bearer or the entire Executive Committee if it is moved by not less than one-third of its total members and supported by a majority of at least two-thirds of the members present and voting at the meeting and constituting not less than half of the total membership of the Council. Such motion can be moved only

on the ground that the office bearer or Committee has disregarded the provisions of this Ordinance or failed to perform his/its duties or has acted in any manner which is detrimental to the interests of the University/ students in general and a meeting of the Council shall be convened to consider the no-confidence motion after the Adviser-cum-Treasurer decides that the motion is sought to be moved on admissible ground/grounds. The meeting at which such a motion is considered shall be presided over by the Adviser-cum-Treasurer.

(ii) The member of the Executive Committee or an office bearer shall not be removed except by the order of the Patron in pursuance of the Council resolution to this effect.

20. A Student who is also a member of the University Council, shall cease to hold office in the University Students' Union from the date of his expulsion or rustication by the Principal of his College or the Kulapati, as the case may be.

21. (i) An office bearer of the University Students' Union or a member of the Executive Committee may resign by a letter addressed to the Adviser-cum-Treasurer and the resignation shall take effect as soon as a decision, to this effect, is taken by the Adviser-cum-Treasurer.

(ii) Where any membership of the Executive Committee or an office of the University Students' Union falls vacant, the same shall continue to remain vacant for the entire session. The Adviser-cum-Treasurer shall, in such cases, have the power to re-allocate the work earlier entrusted to the person whose office has fallen vacant, as deemed suitable for the purpose, in consultation with the patron, for smooth functioning of the Union.

22 Powers to remove difficulties- Notwithstanding anything contained herein above, the Kulpati shall be the authority to clarify matters relating to interpretation of this Ordinance.

23. Repeal - This Ordinance shall be in supersession of the previous Ordinance pertaining to this subject matter.

प्रारूप

(61)

वि.प.क्र.3/- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल ''स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

टीपः— विश्वविद्यालय के स्वीकृत सेटअप में स्टेनोटायपिस्ट का 01 पद (वेतनमान 5200—20200 + 1900), स्टेनोग्राफर के 04 पद (वेतनमान 5200—20200 + 2800) एवं कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक एवं गोपनीय सहायक के कुल 03 पद (वेतनमान 9300—34800 + 4300) है। प्रचलित विनियम 91 में निज सहायक का पद जो कि 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा कनिष्ठ अधीक्षक समकक्ष संवर्ग से भरा जाता है, उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हता कनिष्ठ अधीक्षक के पद पर कार्य करने का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है अथवा कुलसचिव/कुलपति जी विश्वविद्यालय के कनिष्ठ कर्मचारी को भी अस्थायी रूप से उनके कार्यकाल तक सीमित अवधि के लिए अनुशंसा कर सकते है। स्टेनोग्राफर का पद जो कि उच्च श्रेणी लिपिक वर्ग—1 के समकक्ष है। उक्त पद हेतु आवश्यक अर्हताएँ 10+2 हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण, हिन्दी/अंग्रेजी, शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा शासन नियमानुसार समयबद्ध क्रमोन्नति प्रावधानित है। इसलिए उसे लिपिक संवर्ग वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं किया जाता है अर्थात् एकल पद श्रेणी में रखा गया है।

कुलपति/कुलसचिव की सहायता के लिए निज सहायक पद पर पदस्थ व्यक्ति में स्टेनोग्राफी की दक्षता होने पर कार्यों के संपादन में अतिरिक्त सहायता मिलेगी ऐसा सदैव अनुभव किया जाता रहा है। कनिष्ठ अधीक्षक संवर्ग से निज सहायक लिये जाने पर सदैव यह सुनिश्चित नही होता है कि आवश्यकता पड़ने पर उनसे टायपिंग एवं स्टेनोग्राफी से संबंधित कार्य लिये जा सके। जबकि स्टेनोग्राफर जो कि स्टेनोटायपिस्ट के पद पर कार्य करते है, स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नत होते है (50 %) उन्हे टंकण एवं आशुलिपि का अच्छा अनुभव होता है।

अतः स्टेनोग्राफर के पद पर कार्यरत लोगो को ही नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुये। विश्वविद्यालय में रिक्त निज सहायक के पदों पर पदोन्नत किया जाने हेतु।

माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(62)

विषय :— डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत किए जाने संबंधी।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक 185/आउशि/वि.वि.पे./2015 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव के पेंशन प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान को अंगीकृत करने हेतु प्रथमतः अपने कार्यकारिणी समिति में इस हेतु निर्णय पारित कर स्थापना में सीधी भर्ती में स्वीकृत पदो को शामिल करते हुए परिशिष्ट–2 तैयार कर स्पष्ट संक्षेपिका एवं व्यय भार की जानकारी के साथ प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित करने हेतु कहा गया है।

विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पात्रतानुसार राज्य शासन के आदेश के अनुक्रम में प्रथम एव द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है, किंतु सेवानिवृत्त होने के उपरांत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन प्रकरण समयमान वेतनमान की पात्रता विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों को नहीं होने का कारण दर्शाते हुए आपत्ति की जाती है।

उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 की कंडिका 26(2) के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयीन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ उसी प्रकार देय होंगी, जिस प्रकार राज्य शासन अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए समय–समय पर निर्धारित करेगा।

यह भी लेख्य है कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 14.07.2008 के विषय क्रमांक 4 में राज्य शासन के आदेश क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 28.04.2008 के द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान को अंगीकृत किया गया है। साथ–ही विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय विनियम 91 की कंडिका 45 में विश्वविद्यालयीन अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा घोषित क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान की पात्रता प्रावधानित है, जिसके तहत विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पात्रतानुसार प्रथम एव द्वितीय क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत किया गया है।

अतः उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त पत्र के तारतम्य में एवं विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के प्रावधानों एवं विश्वविद्यालय विनियम 91 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा स्वीकृत क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान आदेश को अंगीकृत करते हुए

डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान पर होने वाले व्यय भार की जानकारी सहित प्रकरण उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किए जाने के संबध मे विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

साथ ही राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत सेटअप अनुसार स्थापना में सीधी भर्ती के समस्त पदों को शामिल करते हुए परिशिष्ट–2 तैयार कर संचालनालय को अवगत कराए जाने के संबंध में प्रकरण पुनः कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक सी–30, द्वितीय व तृतीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

पत्र क्र. 185 /आउशि/वि.वि.पें./2015 रायपुर, दिनांक 18/ 6 /2015

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर

विषयः— समयमान वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में डॉ. बी.पी. साहू एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, उपकुलसचिव।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक 505/स्था/सा.प्रशा./15, दिनांक 11.02.2015।

—000—

विषयांतर्गत लेख है समयमान वेतनमान स्वीकृति के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 457/2276/2011/38–2, दिनांक 06.02.2013 के अनुसार निम्नलिखित टीप अंकित की गई है "प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में लेख है कि राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान शासकीय सेवकों हेतु है। यदि विश्वविद्यालय उक्त वेतनमान को अंगीकृत करना चाहती है तो उन्हें प्रथमतः अपने कार्यकारिणी समिति में इस हेतु निर्णय पारित करना होगा। तदोपरांत विश्वविद्यालय स्थापना में सीधी भर्ती में स्वीकृत पदों को शामिल करते हुए एक परिशिष्ट–2 तैयार करना होगा, तदोपरांत स्पष्ट संक्षेपिका एवं व्ययभार की जानकारी के साथ प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित करना होगा।" तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चाही गई जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 02/आउशि/वि.वि.पें./15 दिनांक 02.01.2015 प्रेषित किया गया था, जिसमें डॉ. बी.पी. साहू, स्व. श्री विक्टर एक्का एवं अन्य राज्य विश्वविद्यालय सेवा के अधिकारियों को समयमान वेतनमान देने के संबंध में वित्तीय व्यय भार सहित कार्यपरिषद की अनुशंसा सहित जानकारी चाही गई थी, किन्तु विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 505/स्था./सा.प्रशा./2015, दिनांक 11.02.2015 के द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण है।

अतः उपरोक्तानुसार से जानकारी तैयार कर भेजें। ताकि प्रकरण पर आगामी कार्यवाही की जा सके।

(अपर संचालक, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक(के)
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर(छ.ग.)

पत्र क्र. /आउशि/वि.वि.पें./2015 रायपुर, दिनांक / /2015

प्रतिलिपिः—

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
2. डॉ बी.पी. साहू, से.नि. उपकुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(के)
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
------00---------

क्रमांक 1577/2276/2011/38-2 रायपुर, दिनांक 26/02/2013

प्रति,

1. **अपर संचालक**
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर छ.ग.।

2. **कुलसचिव,**
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर छ.ग.।

DP(T)/0

विषयः— **समयमान वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में (डॉ. बी.पी.साहू उप कुलसचिव एवं श्री विक्टर एक्का, उप कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर)।**

-----00-------

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु समयमान वेतनमान के संबंध में वित्त निर्देश 11/08, दिनांक 28/04/2008 लागू किये जाने की सहमति हेतु नस्ती वित्त विभाग को भेजी गई थी। नस्ती में वित्त विभाग ने निम्नलिखित टीप अंकित की है :-

"प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में लेख है कि राज्य शासन द्वारा जारी समयमान वेतनमान शासकीय सेवकों हेतु है। यदि विश्वविद्यालय उक्त वेतनमान को अंगीकृत करना चाहती है तो उन्हें प्रथमतः अपने कार्यकारिणी समिति में इस हेतु निर्णय पारित करना होगा। तदोपरांत विश्वविद्यालय स्थापना में सीधी भर्ती में स्वीकृत पदों को शामिल करते हुए एक परिशिष्ट – 2" तैयार करना होगा, तदोपरांत स्पष्ट संक्षेपिका एवं व्ययभार की जानकारी के साथ प्रकरण अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित करना होगा। "

वित्त विभाग की टीप के अनुसार कार्यवाही करते हुये चाही गयी जानकारी इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि शासन स्तर पर आगामी कार्यवाही की जा सकें।

26/2/13
(एस.एल.नर्रे)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक /2276/2011/38-2 **रायपुर, दिनांक /02/2013**

प्रतिलिपि :-

डॉ. बी.पी.साहू, उपकुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

D(Kha134)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छ.ग.

Phone No. 0771-2262587 Website prsu.ac.in. Email- adm.prsu@yahoo.in

क्रमांक 230/वि. वि. यंत्री/2015 रायपुर, दिनांक 29/07/2015

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भवन निर्माण समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 29.07.2015 को दोपहर 01:00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. प्रो0 शिव कुमार पाण्डेय	– अध्यक्ष
2. श्री राजेश त्रिपाठी (विभागाध्यक्ष सिविल इंजी0 एनआईटी)	– सदस्य
3. श्री अबीर बन्दोपाध्याय (विभागाध्यक्ष आर्किटेक्चर विभाग एनआईटी)	– सदस्य
4. डॉ0 एम0 डब्ल्यू0 वाय0 खान, डीन साईंस	– सदस्य
5. श्री के0 पी0 तिवारी (वि0 वि0 यंत्री)	– सदस्य
6. श्री के0 पी0 यादव (प्रभारी वित्त नियंत्रक)	– सदस्य
7. श्री उमापति रस्तोगी, उपयंत्री	– प्रभारी यांत्रिकी
8. श्री के0 के0 चन्द्राकर, कुलसचिव	-- सचिव

विषय क्रमांकः–1 भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/05/2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः– भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 06/05/2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–2 दिनांक 06/05/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः– दिनांक 06/05/2015 को सम्पन्न हुई भवन निर्माण समिति के निर्णय पर की गयी कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांकः–3 लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा।

निर्णयः– लोक निर्माण विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत उन्हें प्रदान की गयी राशि के अंतर्गत निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य कार्यों के प्रगति के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

विषय क्रमांकः–4 विश्वविद्यालय के भू–गर्भशास्त्र अध्ययनशाला भवन के जीर्णोद्धार (रिनोवेशन) कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त ड्राईंग, डिजाईन एवं प्राक्कलन राशि रूपए 59.06 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराये जाने हेतु स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– भू–गर्भशास्त्र भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 59.06 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांकः–5 विश्वविद्यालय के विधि विभाग (लॉ डिपार्टमेंट) के रिनोवशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 47.28 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के विधि विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 47.28 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांकः–6 विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकीय विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 43.66 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के गणित एवं सांख्यिकीय विभाग भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के उपरांत संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 43.83 लाख का अनुमोदन करते हुए 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–7 विश्वविद्यालय के फॉर्मेसी संस्थान भवन के रिनोवशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 25.36 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के फॉर्मेसी संस्थान भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 25.36 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांकः–8 विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन के रिनोवेशन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 29.85 के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के विज्ञान भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करने के शर्त पर प्राक्कलन राशि रूपए 29.85 लाख की 33 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई। संशोधित प्रस्ताव आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

विषय क्रमांकः–9 विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर अध्ययनशाला भवन के रिनोवेशन हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन राशि रूपए 58.27 लाख के अनुमोदन पर विचार करना एवं कार्य डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग से कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– कम्प्यूटर अध्ययनशाला भवन के रिनोवेशन कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन

पर विषय विशेषज्ञ श्री राजेश त्रिपाठी के द्वारा दिये गये सुझाव को शामिल करने के उपरांत संशोधित प्राक्कलन राशि रूपए 68.17 लाख का अनुमोदन करते हुए हुए 33 प्रतिशत राशि भुगतान करने की अनुशंसा की गई।

विषय क्रमांकः–10 विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 63.78 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 21.05 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 42.73 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है । शेष राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास (पी. जी.) के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 63.78 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 21.05 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया गया है शेष राशि रूपए 42.73 लाख में से राशि रूपए 25.00 लाख भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–11 विश्वविद्यालय के यूटिलिटी सेंटर निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 300.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 257.50 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 42.50 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है ताकि कार्य पूर्ण कराया जा सके। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के यूटिलिटी सेंटर निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 300.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 257.50 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया गया है शेष राशि रूपए 42.50 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–12 विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बैसिक साईंस भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 383.25 लाख के विरूद्ध पूर्व में राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 283.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बैसिक साईंस भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 383.25 लाख के विरूद्ध पूर्व में राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 283.25 लाख में से राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–13. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के लिए वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 7.92 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 16.08 की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 03–07–2015 द्वारा की गई है। कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

पृष्ठ–03

निर्णयः– विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे विद्यार्थियों के लिए वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत प्राक्कलन राशि रूपए 24.00 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 7.92 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 16.08 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–14 विश्वविद्यालय के आजाद छात्रावास के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.30 में से अभी तक कुल राशि 25.28 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 21.02 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12–06–2015 द्वारा की गई है। ताकि शेष कार्य पूर्ण कराया जा सके। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के आजाद छात्रावास के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.30 में से अभी तक कुल राशि 25.28 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 21.02 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–15 विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल पार्ट–01 (भूतल+प्रथम तल) निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत राशि रूपए 286.00 लाख में से अभी तक कुल राशि रूपए 230.02 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 55.98 लाख के भुगतान की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल पार्ट–01 (भूतल+प्रथम तल) निर्माण कार्य की कुल स्वीकृत राशि रूपए 286.00 लाख में से अभी तक कुल राशि रूपए 230.02 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 55.98 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–16 विश्वविद्यालय के प्रेस भवन के विस्तार निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 161.83 लाख में से पूर्व में राशि रूपए में से 50.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 111.83 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के प्रेस भवन के विस्तार निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 161.83 लाख में से पूर्व में राशि रूपए में से 50.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 111.83 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–17 विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भवन फेस–2 रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 28.60 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 9.438 का भुगतान किया गया है। शेष राशि की मांग लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि रूपए 19.162 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी भवन फेस–2 रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 28.60 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 9.438 का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 19.162 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–18 विश्वविद्यालय के टीचर्स हॉस्टल के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 41.96 लाख में से अभी तक कुल 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 11.96 लाख के भुगतान की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के टीचर्स हॉस्टल के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 41.96 लाख में से अभी तक कुल 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 11.96 लाख में से राशि रूपए 10.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–19 विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम के चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपए 35.50 लाख लोक निर्माण विभाग को भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12–06–2015 के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि कार्य पर कुल लागत राशि रूपए 36.09 लाख आयी है। अतः राशि रूपए 36.09 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 0.59 लाख का भुगतान करने हेतु निवेदन किया है। अतः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के कोटा स्टेडियम के चारो ओर बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कार्य हेतु राशि रूपए 35.50 लाख लोक निर्माण विभाग को भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12–06–2015 के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि कार्य पर कुल लागत राशि रूपए 36.09 लाख आयी है। अतः राशि रूपए 36.09 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 0.59 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–20 विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 199.13 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 65.7129 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 133.4171 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के सेंट्रल वेल्युएशन हॉल के द्वितीय तल के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 199.13 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 65.7129 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 133.4171 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–21 विश्वविद्यालय के स्टॉफ क्वार्टर के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.79 लाख रूपए में से 15.44 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 31.35 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गयी है। कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के स्टॉफ क्वार्टर के रिनोवेशन कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 46.79 लाख रूपए में से 15.44 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 31.35 लाख में से राशि रूपए 31.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–22 विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 151.39 लाख के विरूद्ध राशि रूपए 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 121.39 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12–06–2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज गेस्ट हाऊस निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 151.39 लाख के विरूद्ध राशि रूपए 30.00 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 121.39 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–23 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 15.28 लाख में से राशि रूपए 5.04 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 15.28 लाख में से राशि रूपए 5.04 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को करने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–24 विश्वविद्यालय के एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 308.73 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 75.8571 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 232.8729 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के एन. सी. एन. आर. भवन निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 308.73 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 75.8571 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 232.8729 लाख में से राशि रूपए 100.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–25. विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन (भू–तल) निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए

152.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन निर्माणपर कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख आयी है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के अकादमिक स्टॉफ कॉलेज भवन (भू–तल) निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 152.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 के अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है तथा भवन निर्माण पर कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख आयी है। अतः कुल लागत राशि रूपए 170.84 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 18.84 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–26 विश्वविद्यालय के न्यू कन्या छात्रावास के प्रथम तल निर्माण के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 57.63 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 19.08 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 38.62 लाख के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के न्यू कन्या छात्रावास के प्रथम तल निर्माण के शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 57.63 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 19.08 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 38.62 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–27 विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 13.81 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 4.56 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 9.25 लाख के भुगतान हेतु लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 25–06–2015 द्वारा की गई है। कार्य पूर्ण हो चुका है अतः शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के कला भवन के पीछे सायकिल स्टैण्ड निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 13.81 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 4.56 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि 9.25 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–28. विश्वविद्यालय परिसर में 02 बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 12.19 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 6.00 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त

पत्र दिनांक 12–06–2015 द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य की आवश्यकतानुसार कुल लागत 16.11 लाख होना बताया गया है अतः कुल राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने तथा शेष राशि रूपए 10.11 लाख भुगतान हेतु निवेदन किया है। अतः लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 10.11 लाख के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय परिसर में 02 बास्केटबॉल कोर्ट निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 12.19 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 6.00 लाख का भुगतान किया गया है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12–06–2015 द्वारा कार्य स्थल एवं कार्य की आवश्यकतानुसार कुल लागत 16.11 लाख होना बताया गया है अतः कुल राशि रूपए 16.11 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 10.11 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–29 विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भवन विस्तार (प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 102.64 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 33.74 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 68.90 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 के द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भवन विस्तार (प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 102.64 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 33.74 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 68.90 लाख में से राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–30 विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 15.30 लाख में से राशि रूपए 5.05 लाख भुगतान की गयी है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 30–06–2015 के द्वारा की गयी है। वाहन शेड निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण हेतु कुल स्वीकृत राशि 15.30 लाख में से राशि रूपए 5.05 लाख भुगतान की गयी है। शेष राशि रूपए 10.25 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–31 विश्वविद्यालय के गेस्ट हाऊस विस्तार भवन निर्माण कार्य की कुल राशि रूपए 34.10 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 11.253 लाख का भुगतान किया गया है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि रूपए 22.847 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09–06–2015 द्वारा की गयी है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के गेस्ट हाऊस विस्तार भवन निर्माण कार्य की कुल राशि रूपए 34.10 लाख में से पूर्व में राशि रूपए 11.253 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 22.847 लाख के

पृष्ठ–08

भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः—32 विश्वविद्यालय के ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 119.86 लाख के विरूद्ध अब तक राशि रूपए 39.5538 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 80.3062 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 09—06—2015 द्वारा की गयी है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— विश्वविद्यालय के ट्रॉयबल स्टडी सेंटर भवन के अधूरे कार्य पूर्ण कराने हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 119.86 लाख के विरूद्ध अब तक राशि रूपए 39.5538 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 80.3062 लाख में से राशि रूपए 70.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः—33 विश्वविद्यालय के बायोसाईंस भवन विस्तार (भूतल + प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 187.84 लाख में से कुल राशि रूपए 161.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 25.85 लाख की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12—06—2015 द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। शेष राशि भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— विश्वविद्यालय के बायोसाईंस भवन विस्तार (भूतल + प्रथम तल) निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 187.84 लाख में से कुल राशि रूपए 161.99 लाख का भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रूपए 25.85 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः—34 विश्वविद्यालय के साईंस ब्लॉक नवीनीकरण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12—06—2015 के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर कुल लागत रूपए 54.48 लाख आयी है। कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 4.48 लाख का भुगतान किये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने एवं शेष राशि रूपए 4.48 लाख की भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— विश्वविद्यालय के साईंस ब्लॉक नवीनीकरण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 50.00 लाख का भुगतान लोक निर्माण विभाग को किया जा चुका है। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12—06—2015 के अनुसार कार्य पूर्ण करने पर कुल लागत रूपए 54.48 लाख आयी है। कुल लागत राशि रूपए 54.48 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शेष राशि रूपए 4.48 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–35 विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 49.12 लाख में से अभी तक कुल राशि 36.20 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि की मांग लोक निर्माण विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 12.06.2015 के द्वारा की गई है। कार्य प्रगति पर है। अतः शेष राशि रूपए 12.92 लाख के भुगतान स्वीकृति प्रदान करने विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य हेतु कुल स्वीकृत राशि रूपए 49.12 लाख में से अभी तक कुल राशि 36.20 लाख का भुगतान किया गया है। शेष राशि रूपए 12.92 लाख के भुगतान लोक निर्माण विभाग को किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

विषय क्रमांकः–36 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग के लिए अद्योसंरचना मद के अंतर्गत राशि रूपए 100.00 लाख स्वीकृत किया है। हिन्दी विभाग के भवन, परिसर में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के द्वितीय तल में बनाये जाने हेतु बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट श्रीवास्तवा बगरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर द्वारा तैयार किया गया है। आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत ड्राईंग अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हिन्दी विभाग के लिए अद्योसंरचना मद के अंतर्गत राशि रूपए 100.00 लाख स्वीकृत किया है। हिन्दी विभाग के भवन, परिसर में निर्माणाधीन बी. एड. भवन के द्वितीय तल में बनाये जाने हेतु बिल्डिंग प्लान आर्किटेक्ट श्रीवास्तवा बगरेचा एण्ड एसोसिएट रायपुर द्वारा तैयार किये गये ड्राईंग डिजाईन का अनुमोदन किया गया है।

कुलपति | **कुलसचिव**

पृ. क्रमांक 231/वि. वि. यंत्री/2015 रायपुर, दिनांक 29/07/2015

प्रतिलिपिः–

1. भवन निर्माण समिति के समस्त सदस्यों की ओर इस आशय के साथ अग्रेषित की कार्यवृत्त में कोई सुधार किया जाना है, तो कृपया सूचित करें।
2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अनुदान प्रकोष्ठ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी
यांत्रिकी विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में चल रहे डिपोजिट कार्यों की सूची (वर्ष 2014 –15)
(दिनांक 28.07.2015 तक की स्थिति)

बैठक दिनांक 29.07.2015

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (प्रथम तल)	F.F. - 1347.77 sqm	151.39						40%		कार्य प्रगतिरत
2	बायो साईस बिल्डिंग Extension कार्य (भूतल + प्रथम तल)	G.F. - 83.43+83.43 R/w F.F. - 357.05 sqm L/w F.F. - 329.16 sqm	192.46						80%		कार्य प्रगतिरत
3	एन.सी.एन.आर. बिल्डिंग निर्माण कार्य। (भूतल)	G.F. - 1877.00 Sqm	308.73						20%		कार्य प्रगति पर
4	फार्मेसी बिल्डिंग में हॉल एवं रूम निर्माण कार्य।	G.F. - 212.00 sqm F.F. - 238.00 sqm	82.07						80%		कार्य प्रगतिरत
5	गोल्डन जुबली गेट निर्माण कार्य।	271.00 sqm	49.12						70%		कार्य प्रगतिरत
6	रसायन भवन का निर्माण कार्य (भूतल+प्रथमतल)	G.F. - 438.40 Sqm	94.80						10%		कार्य प्रारंभ
7	इलेक्ट्रानिक एण्ड फोटोनिक्स विभाग के विस्तार भवन निर्माण। भूतल + प्रथम तल	G.F. - 689.00 Sqm F.F. - 689.00 Sqm	102.64						30%		कार्य प्रारंभ
8	न्यू कन्या छात्रावास प्रथम तल विस्तार के शेष कार्य।	972.86 Sqm	57.63						60%		कार्य प्रगति पर
9	~~रिनोवेशन~~ Extension ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल) एवं निर्माण (प्रथमतल)	G.F. - 129.67 Sqm F.F. - 129.62 Sqm	34.10						75%		कार्य प्रगति पर
10	रिनोवेशन एवं निर्माण सेन्ट्रल वैल्युवेशन हॉल	999.40 Sqm	199.13						15%		कार्य प्रगति पर
11	प्रेस गोडाऊन निर्माण कार्य।	G.F. - 559.36 Sqm	161.83						40%		कार्य प्रगति पर
12	बेसिक साईस भवन निर्माण कार्य। भूतल, पोर्च + प्रथमतल	G.F. - 1255.85 P. - 39.00 Sqm F.F. - 1227.00 sqm	383.25						30%		कार्य प्रगति पर

स. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	बी.एड. कॉलेज भवन निर्माण कार्य। भूतल + पोर्च + प्रथमतल	G.F. - 1442.36 Sqm P. - 72.00 sqm F.F. - 1476.75 sqm	469.42						-		कार्य प्रारंभ
14	रिनोवेशन ऑफ गेस्ट हाऊस (भूतल + प्रथमतल) निर्माण	G.F. - 578.13 sqm F.F. - 555.01 Sqm	40.72								प्राक्कलन प्रेषित
15	फार्मेसी बिल्डिंग में हॉल एवं रूम निर्माण कार्य फेस –2।	G.F. - 2572.00 Sqm	252.00								प्राक्कलन प्रेषित करना शेष।
16	रेनोवेशन ऑफ लायब्रेरी बिल्डींग फेस –2	1083.23 Sqm	28.60						90%		कार्य प्रगतिरत
17	गर्ल्स हास्टल पार्ट –। निर्माण कार्य।		254.82						80%		कार्य प्रगतिरत
18	विश्वविद्यालय के चारों ओर 3 किमी. बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।		251.69						80%		कार्य प्रगतिरत
19	रिनोवेशन आफ आर्ट ब्लाक PH-I + II		177.01						-		पुनः निविदा प्रक्रिया
20	प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण कार्य।		15.28						100%		कार्य पूर्ण
21	रिनोवेशन ऑफ ट्राईवल स्टडी भवन	G.F. - 750.00 sqm F.F. - 690.00 sqm	119.86						70%		कार्य प्रगतिरत
22	कला भवन रिनोवेशन फेस –2 का निर्माण कार्य		92.01								निविदा प्रक्रिया
	कुलयोग		**3518.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में चल रहे डिपोजिट कार्यों की सूची (वर्ष 2014 –15)
(दिनांक 28.07.2015 तक की स्थिति में पूर्ण कार्यों की सूची)

बैठक दिनांक 29.07.2015

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ई.सी. मीटिंग हॉल निर्माण कार्य। (G.F.)	G.F. -155.00 sqm	30.40						100%		कार्यपूर्ण
2	साईंस रिसर्च लैब निर्माण कार्य। (G.F+F.F.)	G.F. - 166.08 sqm F.F. - 166.08 sqm	49.00						100%		कार्यपूर्ण
3	नोडल इन्स्ट्रीमेन्शन सेंटर निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 87.36 sqm F.F. - 87.36 sqm	25.00						100%		कार्यपूर्ण
4	स्टॉफ क्वार्टर निर्माण कार्य। (I type)	G.F. - 227.52 sqm F.F. - 227.52 sqm	52.77						100%		कार्यपूर्ण
5	रिनोवेशन ऑफ साईस ब्लॉक	Toilet 48.15 sqm	50.00						100%		कार्यपूर्ण
6	लॉ मूट कोर्ट निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 82.50 sqm F.F. - 82.50 sqm	30.61						100%		कार्यपूर्ण
7	कस्टर क्लास रूम (2 नग) निर्माण कार्य।	Art block 165.00 sqm Geography 162.00 sqm	75.00						100%		कार्यपूर्ण
8	एनीमल हाउस निर्माण कार्य। (FF)	51.10 sqm	6.17						100%		कार्यपूर्ण
9	स्टूडेंट रिकरेशन सेंटर निर्माण कार्य। (GF+FF)	G.F. - 170.64 sqm F.F. - 170.64 sqm	50.95						100%		कार्यपूर्ण
10	रिनोवेशन ऑफ लाईब्रेरी बिल्डिंग निर्माण कार्य।	771.90 sqm	50.00						100%		कार्यपूर्ण
11	हर्बल गॉडन निर्माण कार्य।	511.00 sqm	10.27						100%		कार्यपूर्ण
12	बास्केट बॉल कोर्ट निर्माण कार्य। (2 NOs)	G.F. - 714.00 sqm F.F. - 714.00 sqm	12.19						100%		कार्यपूर्ण

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ब्रीकवर्क रोलिंग शर्टर परीक्षा विभाग निर्माण कार्य।	633.75 sqm	6.50						100%		कार्यपूर्ण
14	मैनेजमेंट विभाग में वेहिकल पार्किग शेड निर्माण कार्य।	500.00 sqm	8.11						100%		कार्यपूर्ण
15	कुलपति निवास में गैरेज निर्माण कार्य।	99.00 sqm	8.24						100%		कार्यपूर्ण
16	अकादमी स्टॉफ कालेज निर्माण कार्य। (भूतल तल)	G.F. - 1347.77 sqm	152.00						100%		कार्यपूर्ण
17	युटीलिटी सेंटर बिल्डिंग निर्माण कार्य। भूतल, प्रथमतल	G.F. - 1210.00 Sqm F.F. - 1210.00 Sqm	236.32						90%		कार्य प्रगतिरत
18	रिनोवेशन ऑफ टिचर्स हास्टल निर्माण कार्य।	300.00 sqm	41.96						100%		कार्यपूर्ण
19	कारीडोर एवं प्रथम तल इसी मिटींग हॉल निर्माण कार्य।	240.24 sqm	33.20						100%		कार्यपूर्ण
20	मैथ्य सांख्यकी विभाग में 2 नग हॉल निर्माण कार्य।	79.54 sqm Semm. Hall 135.00 sqm	18.37						100%		कार्यपूर्ण
21	रिनोवेशन आफ जिम्नेजियम एवं बैंण्डमिन्टन कोर्ट	G.F. - 820.44 sqm F.F. - 121.905 sqm	34.28						90%		कार्य प्रगतिरत
22	शारीरिक शिक्षा विभाग भवन निर्माण कार्य।	G.F. - 825.00 Sqm	70.07						100%		कार्यपूर्ण
23	गांधी हॉस्टल रिनोवेशन	G.F. 530.24 Sqm F.F. 530.24 Sqm	77.72						100%		कार्यपूर्ण
24	आजाद हॉस्टल रिनोवेशन	G.F. 504.00 Sqm F.F. 504.00 Sqm	46.30						100%		कार्यपूर्ण
25	एस.आर.सी. केबिन निर्माण कार्य	30.00 Sqm	17.18						100%		कार्य पूर्ण

सं. क्रं.	कार्य का नाम	कार्य का निर्माण क्षेत्रफल	प्रशासकीय स्वीकृति (लाख)	जमा राशि (लाख)	सिविल कार्य पर व्यय राशि	इलेक्ट्रिकल कार्य पर व्यय राशि (अनुमानित लागत)	कन्टेंजेशी पर व्यय राशि	कुल व्यय	पूर्णता प्रतिशत	मांग राशि	रिमार्क कार्य की प्रगति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	रिनोवेशन ऑफ बायोटेक्नालॉजी भवन।	G.F. - 1314.40 Sqm	62.96						100%		कार्यपूर्ण
27	कला भवन के पीछे वाहन शेड का निर्माण कार्य	300.00 Sqm							100%		कार्य पूर्ण
28	प्रशासनिक भवन के सामने वाहन शेड निर्माण।	300.00 Sqm							100%		कार्य पूर्ण
29	टीचर मल्टीस्टोरी फलैट निर्माण कार्य। (G.type)	G.F. - 250.00 sqm F.F. - 125.00 sqm	72.70						100%		कार्य पूर्ण
30	प्रशासनिक भवन के चारों ओर बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।		32.67						100%		कार्यपूर्ण
31	प्रेक्षा गृह के चारों ओर बाण्ड्री निर्माण कार्य।		33.45						100%		कार्यपूर्ण
32	कोटा स्टेडियम के चारों ओर बाण्ड्रीवाल निर्माण कार्य। क्रं. 1 एवं 2		35.50						100%		कार्यपूर्ण
33	एन.आई.सी. के बाजू ग्रिल बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।		12.17						100%		कार्य पूर्ण
34	रेनोवेशन आफॅ स्टाफ क्वार्टर		46.79						100%		कार्य पूर्ण
35	प्रशासनिक भवन के पीछे गैरेज निर्माण कार्य।		15.28						100%		कार्य पूर्ण
36	एस.आर.सी. के बाजू वाहन शेड निर्माण कार्य								100%		कार्य पूर्ण
	कुलयोग		1504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

उपअभियंता
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी
लो.नि.वि. उपसंभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. संभाग क्रं. 3
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 4328 / अका. / का.प. / 2015 रायपुर, दिनांक : 4 / 08 / 2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तेरहवीं* बैठक गुरूवार, दिनांक 30.07.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय.खान	–	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	–	सदस्य
4. डॉ. एस.सी. नैथानी	–	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	–	सदस्य
6. श्री राजेश सिंह राणा	–	सदस्य
7. श्री सी.जे. खत्री	–	सदस्य
8. श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा	–	सदस्य
10. श्री श्रीचंद सुंदरानी	–	सदस्य
11. श्री नवीन मार्कण्डेय	–	सदस्य
12. श्री सत्यनारायण शर्मा	–	सदस्य
13. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम वैज्ञानिक एवं मिसाइल मैन का दिनांक 27.07.2015 को शिलांग में असामयिक निधन हो जाने के कारण, कार्यपरिषद् के सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि दी, तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान की गई।**

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 10.06.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.06.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

03. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के नियुक्ति के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **डॉ.विभूति राय, संचालक महाविद्यालय विकास परिषद (संविदा) की सेवाएं दिनांक 05.06.2015 को समाप्त होने के पश्चात दिनांक 06.06.2015 से 31.07.2015 तक ही वृद्धि करते हुए संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।**

04. NCNR, PRSU के लिए Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED मूल्य क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा Fluorescence. Microscope- Model- DM-2000 LED निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company M/s. Leica DHR Hodina, India Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से क्रय करने हेतु उपकरण का मूल्य Euro 15,249.65 (रूपये 12,01,000/– बारह लाख एक हजार मात्र) + Custom Charges + LC Opening Charges की केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।**

05. NCNR, PRSU के लिए HPTLC क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा HPTLC क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. CAMAG, Switzerland से Company m/s. Anchrom Enterprises (1) Pvt. Ltd, Mumbai के माध्यम से मूल्य Swiss CHF 94,173 + Custom Charges + LC Opening Charges (Rs. 72,91,321=00) की केंद्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। आदेश जारी करने के पूर्व LC Opening Charges एवं Custom Charges का आवश्यक परीक्षण कर ली जावे।**

06. NCNR, PRSU के लिए Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णय : **NCNR, PRSU द्वारा Anesta Iwata Oil Free Silent Scrol Air Compressor 3 HP क्रय करने के लिए निर्माता Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) से Company m/s. ANEST IWATA MOTHERSON LTD. Graiter NOida (UP) के माध्यम से मूल्य रु. 5,67,600 (पाँच लाख सढ़सठ हजार छः सौ रुपए) की केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

07. छत्तीसगढ़ संवाद से शेष 05 लाख कोरी उत्तर पुस्तिका मुद्रण का देयक रु.14,63,000.00 भुगतान स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : **छत्तीसगढ़ संवाद से पांच लाख कोरी उत्तर–पुस्तिका मुद्रण के पश्चात् देयक राशि रुपए 14,63,000.00 (रुपए चौदह लाख तिरसठ हजार मात्र) भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।**

08. पुनर्मुल्यांकन शुल्क कम करने के संबंध में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के ज्ञापन पत्र दिनांक 17.06.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सत्र 2016–17 में पुनर्मूल्यांकन शुल्क में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया गया।**

09. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2010 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी एवं पुत्र/पुत्री को शिक्षण शुल्क में छूट के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 10.09.2000 में हुए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट किया गया कि यह व्यवस्था स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।**

10. केन्द्रीय जेल, रायपुर से छात्रावास हेतु तखत् क्रय करने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **छात्रावास हेतु तखत क्रय निविदा के आधार पर अथवा शासन द्वारा अनुमोदित अन्य एजेंसी के माध्यम से क्रय की कार्यवाही की जावे।**

11. NCNR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव, Extension of Appointment के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **एन.सी.एन.आर. प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉ. एम.एल. नायक, भूतपूर्व प्राध्यापक, बायोसाइंस अध्ययनशाला की सेवाएं कंसल्टेंट के रूप में दिनांक 01.05.2015 से 30.04.2016 तक पूर्व निर्धारित शर्तों एवं मानदेय के अनुसार वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

12. विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति की अनुशंसा विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **विश्वविद्यालय सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्राप्त निविदा पर समिति के द्वारा अनुशंसित टीप पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि सभी मापदंड पूरा करने के फलस्वरूप इंडियन सेक्युरिटी फोर्स, शाप नं. के–3/264 सुभाष मार्केट, जिला–दुर्ग के द्वारा उल्लेखित दर के अनुसार कार्य कराने हेतु अनुमोदन किया गया।**

13. विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक – बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने के संबंध में अनुमति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीयकृत बैंक– बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा खोलने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

14. विषय क्रमांक 2 माननीय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 29.05.2015 में हुए निर्णय के परिपालन में महाविद्यालयों को दी गयी नोटिस के पश्चात् प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संशोधित परफारमेंस इंडेक्स अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **ऐसे महाविद्यालय जिनकी परफार्मेंस इंडेक्स 0.5 से नीचे है, उन्हें नोटिस जारी किया जाय कि वे परफार्मेंस इंडेक्स वृद्धि के संबंध में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य आवश्यकताएं 31 दिसंबर, 2015 तक पूर्ण कर लें। अन्यथा सत्र 2016–17 में संबंधित महाविद्यालयों की सम्बद्धता प्राप्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रतिबंधित किया जावेगा।**

15. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद– कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

16. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आगामी सेवावृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रकरण पर उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा शासन की ओर से यह आश्वस्त किया गया है कि इस संबंध में 15 अगस्त, 2015 तक निर्णय लिया जावेगा। अतः इस स्थिति में निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा अवधि उनके नाम के समक्ष उल्लेखित तिथियों तक वृद्धि की जावे :**

1. **डॉ. जे.एल.गंगवानी,उपकुलसचिव – 15.07.2015 से 15.08.2015 तक**
2. **डॉ. आर.के. अग्रवाल,उपकुलसचिव – 15.07.2015 से 15.08.2015 तक**
3. **श्री बी.सी. बिश्वास, वित्त नियंत्रक – 01.08.2015 से 15.08.2015 तक**

17. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।**

18. प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **निम्नलिखित महाविद्यालयों में प्राचार्य, विभागाध्यक्ष (शिक्षा) के पद के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष उल्लेखित व्यक्तियों के नाम का अनुमोदन किया गया :**

प्राचार्य		
1	भारती कालेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक, दुर्ग	डॉ. आलोक भट्ट
2	खालसा एजुकेशन सोसाइटी, जी.ए.डी. कालोनी, दुर्ग	डॉ. लतिका क्रिश्चियन
3	दिशा कालेज आफ साइंस एण्ड कॉमर्स, रामनगर, कोटा, रायपुर	डॉ. अरूण दुबे
4	विवेकानंद कालेज, नारा, भानसोज	डॉ. सरिता मेश्राम
विभागाध्यक्ष शिक्षा		
1	दिशा कालेज, रामनगर, कोटा रोड, रायपुर	डॉ. सौम्या तिवारी

उपरोक्त प्राचार्य/विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन की सूचना देने के पूर्व, नियमानुसार परीक्षण कर ली जावे।

19. श्री जानकी प्रसाद शर्मा, निम्न वर्ग लिपिक (बर्खास्त) के द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 27.02.2015 के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रकरण पर विचार विमर्श के पश्चात् अपील सुनवाई के संबंध में निम्नानुसार कार्यपरिषद् सदस्यों की समिति गठित करने का निर्णय लिया गया :

1. **श्री सत्यनारायण शर्मा – अध्यक्ष**
2. **श्री नवीन मारकण्डेय – सदस्य**
3. **डॉ. भगवंत सिंह – सदस्य**

पूरक विषयसूची

01. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

02. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

03. स्व. श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : एम.ए. अर्थशास्त्र (सेमेस्टर पद्धति) विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को स्वर्गीय श्री अभिलेष प्रसाद मेमोरियल गोल्ड मेडल प्रदान किये जाने हेतु विनियम क्रमांक 163 का अनुमोदन किया गया।

04. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

05. विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह गार्डन के प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने के संबंध में क्रेड़ा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

06. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

07. विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव से संबंधित अध्यादेश क्रमांक 01 एवं अध्यादेश क्रमांक 02 सत्र 2015–16 के लिए अनुमोदन किया गया।

08 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

09. डॉ. बी.पी. साहू, से.नि. उप कुलसचिव एवं स्व. श्री विक्टर एक्का, पूर्व उप कुलसचिव को राज्य शासन के नियमानुसार क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान स्वीकृत कर भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

10. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4329 /अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 4/8 /2015

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)